लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

18-6-92
4.1.84

[खंड 50 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. L contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4—गुरुवार, 17 फरवरी, 1966/28 माघ, 1887 (शक)
No. 4—Thursday, February 17, 1966/Magha 28, 1887 (Saka)

पृष्ठ PAGES

विषय SUBJECT

निधन सम्बन्धी उल्लेख — Obituary Refernce — 2921

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या
*S.Q. Nos.

61	विदेशी बैंक	Foreign Banks	2921–23
62	जीवन बीमा निगम के लिए विद्युत-चालित संगणक	Electric Computers for L.I.C.	2923–27
63	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पुनर्विलोकन	Review by International Monetary Fund	2927–31
64	पूंजी बाजार	Capital Market	2932–34
65	राज्यों में बिजली की कमी	Power Shortage in States	2934–35
66	विश्व की जनसंख्या की समस्या	World Population Problem	2935–37

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

67	कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation	2937
68	तीसरी योजना में विदेशों से सहायता	Aid from abroad during Third Plan	2938
69	राज्यों द्वारा अपने खाते की राशि से अधिक धन का निकाला जाना	Overdrawal by States	2939
70	1966–67 योजना का आकार	Size of 1966-67 Plan	2939–40
72	करों की बकाया राशि	Arrears of Taxes	2940
73	ब्रिटिश ऋण	U.K. Loan	2940–41
74	काला धन	Unaccounted Money	2941
75	बर्ड एण्ड कम्पनी	Bird & Co.	2943
76	महानगरों की परिवहन आवश्यकताएं	Transport Requirement of Metropolitan Cities	2942–43
77	वस्तुओं पर से कंट्रोल हटाना	Removal of Control on Commodities	2942
78	कृष्णा-गोदावरी-जल सम्बन्धी विवाद	Krishna-Godavari Waters Dispute	2943
79	केरल को बिजली की सप्लाई	Electricity Supply to Kerala	2943–44
80	चेकोस्लोवाकिया से सहायता	Aid from Czechoslovakia	2944
82	जवाहर सागर बांध	Jawahar Sagar Dam	2945
84	स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन संग्रह	Accumulation of Wealth by the Late Dr. Saifuddin	2945

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of the Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by the Member.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
85	रूबी सामान्य बीमा कम्पनी, दिल्ली	Ruby General Insurance Company, Delhi	2945–46
86	दिल्ली के लिए पृथक बिक्री कर कानून	Separate Sales Tax Law for Delhi	2946
87	स्वर्ण नियंत्रण आदेश	Gold Control Order	2946
88	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत को हुई हानि	Losses Suffered by India in Indo-Pak. Conflict	2947
89	स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन-संग्रह	Accumulation of Wealth by the late Dr. T. Saifuddin	2947
90	तृतीय योजना के उत्पादन लक्ष्य	Third Plan Production Targets	2947–48
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
265	परियोजना क्षेत्र से कृषकों को बेदखली	Eviction of Peasants from project Areas	2948
266	केरल के लिये तापीय संयंत्र	Thermal Plant for Kerala	2948
267	केरल में बिजली की सप्लाई	Power Supply in Kerala	2948–49
268	पश्चिमी तट पर समुद्री कटाव	Sea Erosion on West Coast	2949
269	क्विलेण्डी-कोरापुजा लाइन का विद्युतन	Energisation of Quilandy-Korapuzha Line	2949–50
270	भारत पाकिस्तान युद्ध में व्यय	Expenditure on Indo Pakistan War	2950
271	जीवन बीमा निगम द्वारा मकान बनाने के लिए दिये गए ऋण	Housing Loans given by L.I.C.	2950
273	पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिये पानी	Water for Irrigation in Hilly Areas	2950
274	आय-कर से बचने के लिये जाली फर्मों की स्थापना	Establishment of Fictitious Firms to Evade Income-tax	2951
275	कैंसर	Cancer	2951
276	दिल्ली में रैन बसेरे	Night Shelters in Delhi	2952
277	स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन सम्बन्धी मुदलियार समिति	Mudaliar Committee on Health Survey and Planning	2952–53
278	भविष्य निधि का पेंशन में परिवर्तन	Conversion of Provident Fund into Pension	2953
279	मृत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये सरकारी क्वार्टर	Govt. Quarters for Children of Deceased employees	2953–54
281	धोबियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Washermen	2954
282	ठंड से मृत्यु	Deaths due to Cold	2954–55
283	दिल्ली को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई	Power Supply to Delhi From Bhakra	2955–56
284	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Central Government Employees	2956–57
285	मैसूर राज्य से केन्द्रीय ऋणों की वसूली	Recovery of Central Loans from Mysore State	2957

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
286	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें	Grievances of C.H.S. Doctors	2957–59
287	ग्रामीण जनशक्ति	Rural Manpower	2959
288	छोटी सिंचाई योजनायें	Small Irrigation Schemes	2959–60
289	सिन्धु जल आयोग की बैठक	Meeting of Indus Waters Commission	2960
290	उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिये योजना सम्बन्धी सहायता	Plan Aid for U.P. and Bihar	2960-61
291	1966–67 की योजना के लिये साधन	Resources for 1966-67 Plan	2961
292	ताजेवाला हेड-वर्क्स	Tajewala Head Works	2961-62
293	व्यय में मितव्ययता	Economy in Expenditure	2962–63
294	सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन	Evaluation of Irrigation Projects	2963
295	केन्द्रीय नदी बोर्ड	Central River Board	2963–64
296	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बांड और प्रतिरक्षा ऋण योजनायें	National Defence Gold Bonds and Defence Loan Schemes	2964
297	रैन बसेरे	Night Shelters	2965
298	मंत्रियों द्वारा बिजली की खपत	Electric Consumption by Ministers	2965
299	सैनिकों के लिये जमीन के प्लाटों का आरक्षण	Reservation of Plots for Military Personnel	2966
300	पूर्व-निर्मित भवन-निर्माण कारखाना	Prefab Housing Factory	2966–67
301	छोटी बचतों में अंशदान	Contribution to Small Savings	2967
302	नई दिल्ली में स्टैट बैंक की शाखा से धन का गुम हो जाना	Money Missing from State Bank's Branch in New Delhi	2968
303	खेतिहार मजदूर	Agricultural Labour	2968–69
304	तूत्तुकुडि तापीय संयंत्र	Tuticorin Thermal Plant	2969
305	दिल्ली में बिजली तैयार करना	Power Generation in Delhi	2969–70
306	कानपुर और जालोन में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income-Tax Authorities in Kanpur and Jalaun	2970
307	दिल्ली में अस्पताल	Delhi Hospitals	2970
308	दिल्ली में गंदी बस्तियां	Slums in Delhi	2970–71
309	वित्त आयोग द्वारा किया गया नियत	Finance Commission's Allocation	2971–72
310	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर	C.H.S. Doctors	2972
311	पोंग तथा पाण्डोह से हटाये गये लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Pond and Pandoh Oustees	2972–73
312	युद्ध जोखिम बीमा	ıRisks Insurance	2973
313	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hilly Areas	2973
314	रामगढ़ (राजस्थान) में आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे	Raid by Income-Tax Authorities at Ramgarh (Rajasthan)	2974

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
315	मंहगाई भत्ते का सूत्र	Dearness Allowance Formula	2974–75
316	हुगली नदी पर पुल	Bridge over River Hooghly	2975
317	पूर्वी क्षेत्र में परिवहन	Transport in Eastern Region	2975–76
318	कुष्ठ के रोगियों को प्रशिक्षण	Training of Leprosy Patients	2976
319	हैजा और चेचक महामारियां	Cholera and Small-pox Epidemics	2976–77
320	रानीगंज कोयला खान क्षेत्रों के लिये जलकल (वाटर वर्क्स) योजना	Water-works Scheme for Raniganj Coalfields	2977
321	आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Andhra Pradesh	2977–79
322	नर्सों की सेवा की शर्तें	Service Conditions of Nurses	2979
323	परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति	Committee on Transport Policy and Coordination	2979
324	सेक्यूलर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली	Secular Cooperative House Building Society Ltd., New Delhi	2980
325	शक्ति सर्वेक्षण समिति	Energy Survey Committee	2980
326	रुपये का अवमूल्यन	Devaluation of Rupees	2980–81
327	कुष्ठ रोग की औषधी	Medicine for Leprosy	2981
328	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	International Board for Reconstruction and Development	2981
329	दिल्ली में घडियों का तस्कर व्यापार	Smuggling of Watches in Delhi	2981–82
330	पश्चिम कोसी नहर	Western Koshi Canal	2982
331	दिल्ली की नर्सों की शिकायतें	Grievances of Delhi Nurses	2982
332	स्टेशनरी ऑफिस, कलकत्ता	Stationery Office, Calcutta	2983
333	रिजर्व बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति	Reserve Bank's Credit Policy	2983–84
334	डा० वी० के० आर० वी० राव की जापान यात्रा	Dr. V.K.R.V.Rao's visit to Japan	2984
335	चैकास्लोवाकिया से ऋण	Credit from Czechoslovakia	2984–85
336	कम्पनियों पर कर-भार	Incidence of Tax on Companies	2985
337	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा धन-प्रेषण योजना	National Defence Remittance Scheme	2985–86
338	विदेशों से सहायता	Aid from Abroad	2986
339	सिक्कों का निर्यात	Export of Coins	2986–87
340	राजस्व की वसूली	Revenue Collections	2987–88
341	अप्रयुक्त सिंचाई-क्षमता	Unused Irrigation Potential	2988–89
342	जनसंख्या नियंत्रण उपाय	Population Control Measures	2989
343	राजस्थान में काले धन का पकडा जाना	Unaccounted Money Seized in Rajasthan	2989–90
344	दुर्गापुर तापीय विद्युत केन्द्र	Durgapur Thermal Power Station	2990

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
345	जीवन बीमा निगम की किश्तों का डाकखाने के माध्यम से दिया जाना	Payment of L.I.C. Premium through Post Offices . .	2990-91
346	दिल्ली में परिवार नियोजन सप्ताह	Family Planning Week in Delhi.	2991-92
347	दिल्ली में फ्लू तथा चेचक की महा-मारियाँ	Flu and Small-Pox Epidemic in Delhi	2992-93
348	दिल्ली में "चिट फंड" कम्पनियों पर छापे	Raid on Chit Funds in Delhi .	2993
349	इलाहाबाद में यात्रियों से पकड़ा गया सोना	Gold seized from Passengers at Allahabad	2993-94
350	उत्तर प्रदेश में सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling in U.P. . .	2994
351	निर्माण विभाग (वर्कस डिवीजन) का पुनर्गठन	Reorganisation of Works Division	2994
352	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Delhi . .	2995
353	एल्लाप्पि मैडिकल कालेज	Alleppey Medical Collegc . .	2995
354	पुराना किला, नई दिल्ली से हटाये गये व्यक्ति	Evictees of Purana Qilla, New Delhi	2995-96
355	मदनगीर बस्ती के लिये औषधालय	Dispensary for Madangir Colony	2996
356	झुग्गी-झोंपड़ी योजना	Jhuggi Jhopri Scheme . .	2996-97
357	परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Clinics . .	2997
358	कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई बोर्ड	Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Board . . .	2998
359	केरल के लिये तापीय बिजलीघर	Thermal Plant for Kerala . .	2998
360	चौथी योजना के लिये रूसी सहायता	Soviet Assistance for Fourth Plan	2999
361	"विकास दल"	Vikas Dal	2999
362	कोठागुडम तापीय बिजली घर	Kothagudem Thermal Power Station	2999-3000
363	निजामुद्दीन पुल, दिल्ली	Nizammuddin Bridge, Delhi .	3000-01
364	हज तीर्थयात्रियों द्वारा तस्कर व्यापार	Smuggling by Haj Pilgrims .	3001
365	पंजाब में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन	L.I.C. Investment in Punjab .	3001-03
366	हड़तालें	Strikes	3003
367	दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन	Re-organisation of D.V.C. .	3003
368	आन्ध्र प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता	Assistance for Minor-Irrigation Works in Andhra Pradesh .	3003-04
369	राजस्थान में बरामद सोना	Gold Recovered in Rajasthan .	3004

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
370	विदेशो से सहायता	Aid from Abroad . . .	3004
371	सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को अदायगियां	Payment to Pakistan Under the Indus Waters Treaty . .	3005
372	आनन्दपुर में बांध	Barrage at Anandapur . .	3005
373	स्वर्ण बाँड योजना	Gold Bonds Scheme . .	3005
374	फरक्का बांध	Farakka Barrage . . .	3006
375	कोलार स्वर्ण क्षेत्र में हड़ताल	Strike in Kolar Gold Fields .	3007
376	कमला नदी	Kamala River	3007
377	परिवार बचत का विनियोजन	Investment of Family Savings .	3008
378	नये उद्योगों के लिये प्रबन्धकों का प्रशिक्षण	Training for Managers for new Industries	3008
379	कलकता में पकड़ी गई चीन की वस्तुयें	Chinese Goods seized in Calcutta	3009
380	दिल्ली में राजनीतिक दलों के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Employees of Political Parties in Delhi . .	3009
381	अफीम	Opium	3009–10
382	कमला नदी	Kamala River	3010
383	उत्तर प्रदेश के लिये सिंगलवायर ग्रिड	Single Power Grid for U.P. .	3010–11
384	बुलसर जिले में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा छापा	Raid by Customs Officials in Bulsar District	3011
385	उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत योजनाय	Irrigation and Power Schemes of Orissa	3011
386	उड़ीसा में चेचक और हजे के मामले	Small Pox and Cholera Cases in Orissa	3011–12
387	उड़ीसा के महा-लेखा पाल	Accountant-General, Orissa .	3012
388	उड़ीसा में आय-कर का आवंचन	Evasion of Income-Tax cases in Orissa	3012
389	सीमाशूल्क-अधिकारियों द्वारा चल मुद्रा तथा आयातित माल का जब्त किया जाना	Seizure by Customs of Currency and Imported Goods . .	3012–13
390	नई दिल्ली में कर्जन रोड पर होस्टल	Hostel on Curzon, Road, New Delhi	3013
391	चोरी-छिपे लाया गया सोना	Smuggled Gold . . .	3013–14
392	1966–67 के लिये पश्चिम बंगाल की योजना	West Bengal Plan for 1966-67 .	3014–15
393	मेडिकल कालिजों में स्थानों का रक्षण	Reservation of Seats in Medical Colleges	3015
394	गाजीपुर अफीम कारखाना	Ghazipur Opium Factory . .	3015
395	मद्रास में चमड़े के उत्पादन सम्बन्धी ऋण नीति	Credit Policy for Leather Manufacture in Madras . . .	3016

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
396	सालन्दी नदी पर बांध	Dam on Salandi River . .	3016
397	मैसूर राज्य में परियोजनाओं की प्रगति	Progress of Projects in Mysore State	3016–17
398	सरकारी वार्टर परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र	Application for Change of Government Quarters . .	3017–18
399	दिल्ली गृह-निर्माण सम्बन्धी ऋण	Housing Loan in Delhi . .	3018
400	तस्कर व्यापार	Smuggling	3018
401	महंगाई भत्ता	Dearness Allowance . . .	3019
402	उपसचिवों तथा अवर सचिवों का वेतन	Salaries of Deputy Secretaries and Under Secretaries . .	3019–20
403	झुग्गी तथा झोंपड़ी योजना	Jhuggi and Jhopris Scheme .	3020
404	तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवास योजना	Housing Scheme in Third Five Year Plan	3020
405	गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधि	L.I.C. Funds for Housing Schemes	3020–21
406	राजेन्द्र मेडिकल कालिज और अस्पताल	Rajendra Medical College and Hospital	3021
407	अगरतला जल सम्भरण योजना	Agartala Water Supply Scheme	3021–22
408	महिला चिकित्सकों के लिये छात्र-वृत्तियां	Scholarships for Girl Medicos .	3022
409	पेंशन नियम	Pension Rules	3022
410	कंजीरापुजहा सिंचाई योजना	Kanjirapuzha Irrigation Scheme.	3022–23
	एक सदस्य की टिप्पणियों के बारे में	Re: Remarks of a Member .	3023
	अविलंबनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति को पत्र तथा उसके उत्तर के संबंध में समाचार	Reported letter from the President of North Vietnam to the President of India and the reply thereto	3023–25
	स्थगन प्रस्तावों के बारे मे—	Re: Motions for Adjournment—	
	पश्चिम बंगाल में खाद्य-स्थिति	Food Situation in West Bengal	3025–26,3041
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	3026–30
	राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha .	3030
	नाविक भविष्य निधी विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रुप में	Seamen's Provident Fund Bill—As passed by Rajya Sabha .	3030
	सभापति-तालिका के बारे में घोषणा	Announcement re: Panel of Chairmen	3030
	3 अप असम मेल में विस्फोट के बारे में वक्तव्य—	Statement re:Explosion in 3 Up Assam Mail—	
	डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh .	3031

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सभा का कार्य	Business of the House . .	3032–33
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक पुर:स्थापित	Delhi Land Reforms (Amendment Bill—Introdsuced . .	3033
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन, अध्यादेश, 1966 के बारे मे वक्तव्य	Statement re: Delhi Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1966	3033
ताशकन्द घोषणा के बारे मे प्रस्ताव—	Motion re: Tashkent Declaration—	
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza . .	3033–34
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya .	3034
श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित	Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit	3034–35
श्री फ्रेंक एन्थनी	Shri Frank Anthony . .	3035–36
श्री ज० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	3636–37
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	3037–38
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	3838–39
श्री जोकीम आल्वा	Shri Jochim Alva . .	3039
श्री सेझियान	Shri Sezhian . . .	3039–40
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha .	3040
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri .	3041–42
श्री मौर्य	Shri Maurya . . .	3042
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . .	3043
भारत के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान सेना के मुख्य सेनापति के बीच चर्चा के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Discussion Between Chief of Army, India and C-in-C Pakistan Army—	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	3043
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members Bills and Resolutions	
सत्तहत्तरवां प्रतिवेदन	Seventy-seventh Report . .	3047–48
विधेयक पूर:स्थापित	Bills Introduced—	
(1) श्री दीवान चन्द्र शर्मा का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1966 (धारा 13 का संशोधन)	The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of section 13) by Shri Diwan Chand Sharma . . .	3048
(2) श्री प्रकाशवीर शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 152, 370 आदि का हटाया जाना)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Omission of article 152, 370 etc.,) by Prakash Vir Shastri	3048
(3) श्री कृष्ण देव त्रिपाठी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966	The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill, 1966 by Shri Krishna De Tripathi .	3084

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(4) श्री कृष्ण देव त्रिपाठी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 1 तथा 393 का संशोधन)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of articles 1 and 393) by Shri Krishna Deo Tripathi . . .	3048–49
(5) श्री कृष्ण देव त्रिपाठी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (सप्तम अनुसूची का संशोधन)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of the Seventh Schedule) by Shri Krishna Deo Tripathi . .	3049
(6) श्री हुकम चन्द कछवाय का गोवध रोक विधेयक, 1966	The Prevention of Cow Slaughter Bill, 1966 by Shri Hukam Chand Kachwai	3049
(7) डा० महादेव प्रसाद का साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थायें (सहायता बन्द करना) विधेयक, 1966,	The Denominational Educational Institutions (Discontinuance of Aid) Bill, 1966 by Dr. Mahadeva Prasad.	3049
(8) डा० महादेव प्रसाद का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1966 (धारा 5 का संशोधन)	The Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of section 5) by Dr. Mahadeva Prasad	3950
(9) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक 1966 (अनुच्छेद 31 का संशोधन)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of article 31) by Shri Madhu Limaye .	3050
(10) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of article 16) by Shri Madhu Limaye	3050
(11) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 22 तथा 32 का संशोधन और अनुच्छेद 359 का हटाया जाना)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of articles 22, 32 and omission of article 359) by Shri Madhu Limaye	3050–51
(12) श्री मधु लिमये का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 83 तथा 172 का संशोधन)	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of articles 83 and 172) by Shri Madhu Limaye	3051
(13) श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 352 का संशोधन।	The Constitution (Amendment) Bill, 1966 (Amendment of article 352) by Shri Hari Vishnu Kamath	3051
(14) श्रीमन्नू लाल द्विवेदी का राजद्रोह विधेयक, 1966	The Treason Bill, 1966 by Shri M.L. Dwivedi . .	3051
श्री चपलकांत भट्टाचार्य का अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक (नई धारा 3क का रखा जाना) वापस लिया गया—	All India Services (Amendment) Bill—Withdrawn (Insertion of new section 3A) by Shri C.K. Bhattacharyya—	

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री चपल कान्त भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	3052–53
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	3053
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa	3053
श्री दीवान चन्द शर्मा	Shri D. C. Sharma	3054
श्री वाल्मीकी	Shri Balmiki	3054
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh	3055
श्री बसन्त कुमार दास	Shri B. K. Das	3055
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	3055
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	3055–56
श्री दी० चं० शर्मा का सिवील प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 1962 (धारा 92 का संशोधन—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill 1962 (Amendment of section 92) by Shr iD. C. Sharma—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	3057

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 17 फरवरी, 1966/28 माघ, 1887 (शक)

Thursday, February, 17, 1966/Magha 28, 1887 (Saka).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

निधन सम्बंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री रघवर दयाल मिश्र की दुखद् मृत्यु का समाचार देना है । 14 दिसम्बर 1965 को 67 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के बुलन्द शहर ज़िला के अमरगढ़ गांव में उनका देहान्त हो गया । 1952 में वह अस्थायी संसद् के सदस्य थे और 1952 से 1962 तक वह प्रथम और द्वितीय लोकसभा के सदस्य थे ।

इस मित्र के निधन पर हमें भारी दुख है ।

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Speaker, Sir, I fully associate myself in the sense of quiet expressed by you over the sad demise of Shri Raghuber Dayal Mishra. He took a leading part in our struggle for freedom. He carried the message of Gandhiji to far flung villages. He went to jail several times between 1921-42. He had special interest in the reforms relating to our constitutional law and education system.

इसके पश्चात् सदस्य कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी बैंक

***61. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्रीमती विमला देवी :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री द्वा० ना० तिवारी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक विनिमय नियंत्रण विनियमों के परिणामस्वरूप विदेशी बैंकों ने भारत में अपने कारोबार को कम करने का निश्चय किया है;

(ख) क्या इन बैंकों ने अपना कारोबार एकीकृत करने के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों की छटनी करने की भी धमकी दी है;

(ग) क्या विदेशी बैंकों के इस छिद्रान्वेषी रवैया को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के वित्तीय कार्यकलापों की कार्यप्रणाली का पुनर्विलोकन किया है; और

(घ) विदेशों से पूंजी के आगमन को नियंत्रित करने तथा ऋण देने पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में रिजर्व बैंक विनियम कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं । तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विनियम बैंकों द्वारा भारत में लाई गई निधियां, रिज़र्व बैंक को पूर्व सूचना देने तथा उसका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही वापस भेजी जा सकती हैं और केवल तभी भेजी जा सकती हैं जबकि प्रेषण के समय विनिमय बैंक, रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य बैंक का क़र्ज़दार न हो, भारत में प्रयोग के लिये विदेशों से अपने वाली निधियों में कमी हो सकती है ।

(ख) ऐसी किसी धमकी का हमें पता नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) आशा है कि विदेशों से आने वाली बैंक पूंजी भारत में अधिक अवधि के लिये लाई जायेगी और जब हमारे विदेशी मुद्रा के निक्षेपों में कमी हो तो इन राशियों को भेजना आवश्यक नहीं होगा । संबंधित बैंकों से यह आशा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऋण केवल आवश्यक प्रयोजनों के लिये ही उपलब्ध होगा ।

श्री क० ना० तिवारी : इस समय विदेशी बैंकों के मुख्य कार्य क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वे अन्य बैंकों की तरह उद्योगों के लिए और व्यापार के लिए ऋण देते है ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या विदेशी बैंकों को देशी बैंकों से प्रतियोगिता करने की छूट हैं और यदि हां, तो इस कारण देशी बैंकों की प्रगति के लिए किस कदर रुकावट पैदा हुई है ?

श्री ब० रा० भगत : विदेशी बैंक भारतीय बैंकों के समान आधार पर कार्य करते हैं । तथ्यों से यह पता चलता है कि भारतीय बैंकों का काम अच्छा चल रहा है और उन में जमा राशियों की मात्रा बढ़ रही है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिन से पता चल सके कि 1965 तक इन बैंकों ने कितना काम किया और उसके पश्चात् उन के काम में कितनी कमी हुई ?

श्री ब० रा० भगत : ज्यादा काम के समय में उन के द्वारा विदेशों से लायी जाने वाली राशियों में कमी हो रही है । उन की कुल जमा राशियों और काम के आंकड़ों के लिए मुझे सूचना चाहिए ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : उन के द्वारा विदेशों से लायी गयी वास्तविक पूंजी के 31 मार्च, 1965 को आंकड़े क्या थे ?

श्री ब० रा० भगत : अप्रैल से सितम्बर, 1965 तक उन के द्वारा 6 करोड़ रुपया बैंकिंग पूंजी लायी गयी ।

श्री दी० चं० शर्मा : विदेशी बैंकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को कितनी सहायता दी गयी है ?

श्री ब० रा० भगत : सामान्यत: सार्वजनिक उपक्रमों को भारत का राज्य बैंक सहायता देता है ।

श्री नाथ पाई : क्या इन में से कुछ बैंकों ने सरकार से कहा है कि दुर्लभ मुद्रा वाले देशों के लिए पये का वर्तमान विनिमय मूल्य अवास्तविक है और क्या उन्होंने अवमूल्यन का सुझाव दिया है और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे ऐसे सुझाव की जानकारी नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या भारत में जरूरतमन्द लोगों को ऋण मिल रहे हैं और क्या किन्हीं चुने हुए विदेशी बैंकों को अपना धन लगाने की अनुमति दी जाती है या वे भारतीय बैंकों की तरह ऋण दे सकते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वे भी अन्य बैंकों की तरह रक्षित बैंक के निदेशों के अनुसार कार्य करते हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Are the Government keeping a watch so that foreign banks do not consolidate their business in the name of exchange control and do not retrench employees?

Shri B. R. Bhagat : Yes, we are keeping a watch on this.

Electric Computers for L.I.C.

***62. Shri Kishen Pattnayak :**
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :
Shri S. M. Banerjee :
Shri D. N. Tiwary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have directed the Life Insurance Corporation not to introduce the Electronic Computer in its offices; and

(b) Whether Government have received any protest from the employees of the Corporation in that connection?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) No Sir.

(b) Yes Sir.

Shri Kishen Pattnayak : Certain undertakings other than L.I.C. have also tried to introduce mechanical methods for clerical jobs. Has the hon. Minister studied the magnitude of this problem and the unemployment that can be there due to the same?

Shri B. R. Bhagat : We have given an assurance that for the time being no retrenchment would be made as a result of introducing mechanical system.

Shri Kishen Pattnayak : On the one hand there is danger of increasing unemployment and on the other of less production if mechanical methods are not employed. Has the Minister of Planning given any balanced solution to this problem for the future ?

Shri B. R. Bhagat : Both these factors are kept in view while introducing modern machines.

Shri Kishen Pattnayak : Has any scheme been formulated to reconcile these two factors ?

Shri B. R. Bhagat : There is definite policy about it. If by introducing mechanical devices production is not likely to increase, they are not introduced. But this policy is applied according to the situations.

Dr. Ram Manohar Lohia : What is the proportion of the economic condition to the most modern mechanisation and has the hon. Minister seen that economic conditions deteriorate rather than improving due to that proportion?

Shri B. R. Bhagat : After careful consideration of the question of introducing mechanical device in L.I.C., it was decided that things would be in bad condition of such a device is not introduced in certain sections, particularly in the servising of policies.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ ने इन संगणकों के प्रयोग में लाये जाने के विरुद्ध देशभर में आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया है, चूंकि एक संगणक के प्रयोग में लाये जाने पर 14,000 तक की संख्या में कर्मचारी बेकार हो जायेंगे और यदि हां, तो क्या सरकार इन संगणकों के प्रयोग में लाने से पहले उन से बातचीत करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : जीवन बीमा निगम और उस के कर्मचारियों के बीच इस विषय में बातचीत की गयी है और हम ने यह आश्वासन दिया है कि हम किसी कर्मचारी की छटनी नहीं करेंगे ।

श्री रंगा : पहले हम यह देखें कि जो बात कही गयी है क्या वह ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या एक संगणक से 14,000 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे देखना पड़ेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : अमरीका में गये एक दल के अनुसार एक संगणक के कारण 14,000 कर्मचारी बेकार हो जायेंगे । अब कलकत्ता में एक और संगणक लगाया जा रहा है जिस से 14,000 कर्मचारी और बेकार हो जायेंगे । परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें उस बार में पता ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने गारंटी दी है कि छंटनी नहीं की जायगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप कृपया मंत्री महोदय से सारी जानकारी सभा पटल पर रखने के लिए कहे ।

श्री कपूर सिंह : पिछले कुछ ही मिनटों मंत्री महोदय ने दो बार कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है और उस बारे में जानकारी नहीं है । मेरा सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर के लिए कोई ऐसा मंत्री रखें जो अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है ।

Shri D. N. Tiwary : In view of the tight employment position and the excess of these seeking employment in the country, has the Government taken any definite decisions in regard to machines which no doubt save labour but they are otherwise not useful for mechanical advancement?

Shri B. R. Bhagat : Where it is not possible to increase production or to effect more efficiency in work without the aid of machines, the machines are used after due consideration. But I cannot say that there will be no automation because of unemployment. Such policy cannot be adopted.

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी । परन्तु इस के साथ ही योजना मंत्री को व्याप्त बेरोजगारी के प्रश्न पर भी विचार करना है। सरकार ऐसे संगणकों का उपयोग कर रही है और हो सकता है इस का प्रयोग करना आवश्यक हो, परन्तु उन्हें आश्वासन देना होगा कि इन यंत्रों के कारण केवल वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी न किये जाने के अलावा देश की रोजगार की स्थिति पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा । मैं इस का निश्चित उत्तर चाहता हूं ।

श्री ब० रा० भगत : संगणक पहली बार नहीं लगाया गया है । जब किसी उपक्रम का काम इतना बढ़ जाता है तो संगणक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है । विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के संगठनों में पहले भी ऐसा किया गया है । **(अन्तर्बाधा)**

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा केवल तेल कम्पनियों में किया गया है । अन्य किसी जगह नहीं किया गया ।

श्री ब० रा० भगत : हमारा यह कर्त्तव्य है कि वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी न हो और इस विषय में एक निश्चित आश्वासन दिया गया है । परन्तु इस नीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में और अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए यंत्रीकरण नहीं किया जाय ।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : इस समस्या के दो पहलू हमें अपने समक्ष रखने हैं । एक तो यह है कि कई प्रकार की ऐसी गणनायें करने के लिये जो व्यक्तियों द्वारा नहीं की जा सकती संगणक की जरूरत पड़ती है । जहां तक जीवन बीमा निगम का प्रश्न है यद्यपि वर्तमान कर्मचारियों के प्रति और भविष्य में भी रोजगार के सम्बन्ध में उस की जिम्मेदारी है परन्तु उस की मुख्य जिम्मेदारी उन के प्रति है जिन्होंने पालिसियां ली हुई हैं और हमें उन की जरूरतों को कारगर ढंग से पूरा करना पड़ता है ।

मेरे सहयोगी ने कह दिया है कि छंटनी नहीं की जायगी । परन्तु निगम का काम कुशलता से चलाने के लिए और उस प्रयोजनार्थ कई प्रकार की गणनायें करने के लिये संगणक की जरूरत पड़ती है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : परन्तु जो काम व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता वह अब तक कैसे होता रहा ? इन संगणकों के लिए काफी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है । मैं जानना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम द्वारा मंगाये जाने वाले संगणकों की विदेशी मुद्रा में लागत क्या है । केवल एक अमरीकी कम्पनी इन्हें सप्लाई करती है और उस के लिए डालरों में विदेशी मुद्रा की जरूरत है ।

श्री ब० रा० भगत : हमने ये खरीदे नहीं हैं, किराये पर लिये हैं । केवल सेवाओं के लिए रुपयों में अदायगी की जाती है जो 10 वर्ष तक नहीं की जायगी । अतः कम से कम 10 वर्ष तक विदेशी मुद्रा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Has the Government decided to use such machines for administrative purposes only, so that the problem of unemployment may not get worse due to that?

Shri B. R. Bhagat : As has already been told, certain calculations and other works can be done by machines efficiently and no errors occur that way. Machines are used due to this reason.

Shri Sheo Narain : For how many rupees these machines have been hired?

Shri B. R. Bhagat : I want notice for that.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जब हम दूसरी और तीसरी पंच वर्षीय योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे तो सरकार ने श्रमिक प्रधान योजना इस दृष्टि से स्वीकार की थी ताकि रोजगार के नये साधन बनाये जा सके। इस दृष्टि से निर्यात के मुकाबले के मामलों को छोड, अब इस मशीनरी को श्रम क्षमता के विचार से क्यों त्याग दिया गया है ? क्या हमने अपनी श्रम प्रधान योजनाओं को लागू करने की नीति को छोड दिया है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने श्रम प्रधान योजनाओं को लागू करने की योजनाओं को स्वीकार कर लिया है। इन्हें काफी संख्या में चालू किया गया है, परन्तु उन्हें उचित केन्द्रों में ही लागू किया जाता है। यह जीवन बीमा निगम जैसी संस्था नहीं है, जिसकी गतिविधियों का हाल ही के कुछ वर्षों में काफी विस्तार हो गया है और जिसके लिए यन्त्रवत सेवाओं की अपेक्षा है। यहां बड़ी कुशल और निर्दोष मशिनों की अपेक्षा है। दोनों की दिशायें अलग अलग है।

श्री कपूर सिंह : हमारी इस समाजवादी व्यवस्था में क्या सरकार ऐसी कोई नीति अपनायेगी जिससे आदमी और यन्त्र द्वारा कार्य के करने के संबंध में सिद्धांतों का निर्धारण कर सके यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब० रा० भगत : बात मेरी समझ में नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय : श्री बड़े।

श्री हेम बरुआ : मेरा औचित्य प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री हेम बरुआ : हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास करते रहे हैं। हमारे दल के किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गयी। दूसरी और आपने एक ही दल के माननीय सदस्य को दो प्रश्न पूछने का अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दो प्रश्नों की अनुमति किसी को नहीं दी, आप कहिये, और मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री हेम बरुआ : आपने श्री कपूर सिंह को दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय : यही एक अनुपूरक प्रश्न था जो कि पूछा गया है, अनावश्यक आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैंने कहां उसे दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। वह तो पूर्व प्रश्न का ही उल्लेख कर रहे थे। मैंने तो केवल उन्ह एक ही प्रश्न की अनुमति दी थी। मुझ पर आरोप लगाया गया है। वह यह शिकायत क्यों कर रहे हैं कि उनके दल के किसी व्यक्ति को भी नहीं बुलाया गया। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व दिया जाय। उनकी शिकायत उचित नहीं है।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने दो अनुपूरक प्रश्न पूछे है **(अन्तर्बाधायें)**

श्री कपूर सिंह : मेरी मांग है कि मेरे विरुद्ध जो कुछ कहा गया है उसे वापिस लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी के विरूद्ध नहीं है, यह तो मेरे विरूद्ध है। श्री कपूर सिंह के विरूद्ध कुछ नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : यदि यह आपके विरूद्ध है तो सारे सदन के विरुद्ध है और इसे वापिस लिया जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरे विचार में इस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने समझ-लिया कि आपने उन्हें दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। आपने स्पष्ट कर दिया है कि प्रश्न एक ही था, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है। मामले को आगे बढ़ाने का कोई लाभ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रत्येक दल को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। यह रिकार्ड में रहना चाहिए कि श्री हेम बरूआ ने किस तरह अध्यक्ष महोदय का उल्लेख किया।

श्री रंगा : उन्हें श्री कपूर सिंह का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

Shri Bade : Whether the Minister has received any protest from Indore that due to this machine there will be centralisation. There will not be retrenchment, but what will be the fate of those employees who have been asked to go. Minister has not given any clarification.

Shri B. R. Bhagat : I don't exactly remember. I shall see to it, whether it has come?

Shri Bade : One question will be of centralisation.

Mr. Speaker : You have received the reply?

Shri B. R. Bhagat : There is not the question of centralisation, it is computor.

श्री प्रियगुप्त : योजना मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का छँटनी से क्या मतलब है ? डीज़ल तथा विद्युद् से रेलें चलाने/यंत्रीकरण तथा केन्द्रीय यातायात नियंत्रण तथा हिसाब किताब के सरलीकरण के कारण रेलवे तथा जीवन बीमा निगम विभाग के स्थायी स्थानों को भरा नहीं जा रहा। उनके पदोन्नति के अवसर कम हो रहे हैं। यह उस आश्वासन के विरूद्ध है जो सेवा शर्तों के संरक्षण लिए दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की इस दिशा में क्या स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पुनर्विलोकन

*63. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री हिम्मतसिंहका : **श्री बागड़ी :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री राम मनोहर लोहिया :**
श्री नारायण रेड्डी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री लहटन चौधरी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की भुगतान-संतुलन तथा आर्थिक स्थिति का व्यापक रूप से पुनर्विलोकन का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य जांच निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उनका प्रतिवेदन भारत के लिये कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री ब० रा०भगत) : (क) से (ग) : तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि के करारनामे (आर्टिकल्स आफ एग्रीमेंटस) के अनुच्छेद XIV में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि और उन सदस्य देशों के बीच वार्षिक परामर्श किय जाने की व्यवस्था है, जो विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों का पालन करते ह। इस प्रकार निधि के एक दल ने नवम्बर 1965 में भारत सरकार से परामर्श किया था। इन परामर्शों के बारे में दल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुदा निधि को दी गयी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का एक गोपनीय दस्तावज है और इस कारण रिपोर्ट से उद्धरण देना या उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या चर्चा करते हुए यह कहा गया था कि भारत की विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत खराब है और क्या भारतीय रुपये के मूल्य को कम करने का भी सुझाव था, यदि हां, तो भारत सरकार की इस दिशा में नीति क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रश्न बिलकुल भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का प्रथम भाग ठीक है।

श्री ब० रा० भगत : जहां तक विदेशी मुद्रा की बुरी हालत का सम्बन्ध है यह बात तो सर्वाविदित है, और यह बात सही है कि विदेशी भुगतान शेष पर काफी भार है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या जुलाई 1965 के दौरान श्री बैल के सभापतित्व में विश्व बैंक का दल भारत आया था, यदि हां, तो उनके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या है ?

श्री ब० रा० भगत : वह दल बिल्कुल अलग दल था।

अध्यक्ष महोदय : उस दल का उल्लेख मुख्य प्रश्न में नहीं है।

श्री रामेश्वर टांटिया : उस प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री ने कहा था कि यह गोपनीय बात है। यह प्रश्न भी वैसा ही है, और इसका सम्बन्ध भी देश की मुद्रा स्थिति के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस तरह से नहीं, दूसरी तरह है।

Shri Omkar Lal Berwa : I want to know whether the Commissioner of International Monetary Fund has stated that money given has not been utilized for the farmers but some where else.

Shri B. R. Bhagat : I cannot say anything about that report here.

Shri Omkar Lal Berwa : Then do they come here to have our photographs?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : पता नहीं क्यों वह सारी बातें नहीं बता रहे और मामलें को गुप्त रख रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार के पास प्रतिवेदन आ गया है।

श्री ब० रा० भगत : निधि को रिपोर्ट दे दी गयी है और उसकी एक प्रति हमें मिलती है क्योंकि निधि में एक कार्यपालिका निदेशक हमारा है। प्रक्रिया परम्परा के अधीन निधि तथा बैंक सदस्य देशों द्वारा प्रतिवेदन पर चर्चा करना ठीक नहीं समझते हैं।

श्री अल्वारेस : गत वर्ष के लगभग अन्त में टोकियों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दवालियापने के बारे में विचार करने के लिये हुई थी । मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो भी उसकी समालोचना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की गयी हो। क्या भारत के दृष्टिकोण से दवालियपन की कोई व्यवस्था की गयी थी, ताकि देश को अदावगियों को समस्या को हल किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : टोकियों में इस बात पर चर्चा होने के बाद पुन: उस पर वाशिंग्टन में चर्चा हुई, इस से पूर्व मामला समिति को सोंपा गया था और वह समिति पुन: मामले की जांच कर रही है, परन्तु अभी तक उसने कोई अन्तिम निर्णय नही किया।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Reportof International Monetary Fund has been stated by the Minister as secret. I want to ask as an ordinary matter of information whether it is a fact that in the international market the actual rate of rupee is equal to 10 cents. Legal value is 20 cent and up to the last month it was 14 cents.

Shri B. R. Bhagat : This is not correct as we have been stating previously that this price is in the open market but the payments are done according to the Government rate. We cannot accept that price like this.

Dr. Ram Manohar Lohia : I did not know what the Honorable Minister has stated. My question is whether the price of our Rupee has come down.

Mr. Speaker : He has stated that it is correct.

Dr. Ram Manohar Lohia : But he has added certain other things also, I want to state on that this is the major portion of our entire trade.....

Mr. Speaker : When he says it is correct, then what can I say?

Dr. Ram Manohar Lohia : This is your duty to tell him what to state and what not.

Shri Yashpal Singh : Recently a delegation came from Japan they expressed anxiety over the Financial position of this country and said that she will not be able to make payment in Rupee.

Shri B. R. Bhagat : This is a separate question and the Economic Mission of Japan. They had talks and reports have been published in the papers, now what should I comment.

Shri Yashpal Singh : You have the information or not?

Shri B. R. Bhagat : This is a separate question. Information is there and we know their view. They even expressed this thing in the newspapers.

Shri Vishwa Nath Pandey : The consultation were held between Government of India and international Monetary Fund, whether during these consultation the economic, import and export situation of the country was also discussed?

Shri B. R. Bhagat : Economic matters and export etc., all the subjects were considered.

श्री दी० चं० शर्मा : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विचार परिसमापन क्षेत्र का विस्तार करने का है और वह भी अन्तर्राष्ट्रीय करंसी में। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में हमारे नये और पुराने वित्त मंत्री की सलाह ली गयी थी कि स्टर्लिंग, डालर और स्वर्ण परिसमापन के स्थान पर अन्तराष्ट्रीय करंसी रखी जाय ?

श्री ब० रा० भगत : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गत बैठक में इस मामलें पर चर्चा की गयी थी। सामान्य पसरिनापन का मामला समिति को दिया गया है, और समिति अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है ।

Shri K. D. Malaviya : Whether Government will present before the house a statement giving the causes of the fall in the price of the Indian rupee.

Shri B. R. Bhagat : It is not possible to place any statement regarding rupee alone. It will come under general Economic situation.

Shri K. D. Malaviya : Why not for rupee, which the price has come down?

Shri B. R. Bhagat : That I have stated that the price has come down in the Black Market.

Shri K. D. Malaviya : This is your opinion, our opinion may be different.

श्री नाथ पाई : यह बात मंत्री महोदय ने स्वीकार की है, और बड़ी स्पष्टता से आश्चर्यजनक ढंग से कहा है कि रुपये का जो सरकारी मूल्य है वह उसका बाजार दर नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्थिति की ठीक करने के लिए सरकार क्या कर रही है? और क्या सरकार स्थिति को स्वीकार करतो हुई रुपये का मूल्य कम कर देगी?

श्री ब० रा० भगत : अर्थ व्यवस्था को ठीक और मजबूत करने के लिए वे सभी पग उठाये जा रहे हैं जिससे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति ठीक हो। समय समय पर पहले भी इस दिशा में पग उठाये जाते रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री अन्य बातों के साथ साथ इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे ।

श्री नाथ पाई : रुपये के मूल्य कम करने के बारे में स्थिति क्या है? वह मेरे प्रश्न का उत्तर देने में संकोच क्यों कर रहे हैं। और यह प्रश्न लोगों को काफी परेशान कर रहा, इस लिए बार बार सामने आता है। क्या इस पर विचार हो रहा है? क्या यह बजट के साथ आयेगा?

श्री ब० रा० भगत : इस प्रकार के मामलों में सरकार अपना कोई मत व्यक्त नहीं करती। कोई कार्यवाही करने से पूर्व हम यह नहीं बता सकते कि हम क्या कर रहे है। इनकी पूर्व घोषणा नहीं की जाती ।

श्रीमती सावित्री निगम : अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में रुपये के मूल्य में काफी अन्तर है। और मैं यह जानना चाहती हूँ कि इसका हमारी निर्यात आय पर क्या प्रभाव पड़ता है और सामान्य व्यापार पर इसका क्या प्रभाव क्या है।

श्री ब० रा० भगत : कोई प्रभाव नहीं कि विनियम सरकारी दरों के आधार पर होता है।

श्री शिकरे : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुए मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्हें पता है कि इस व्यावहारिक नीति के कारण ही हमें अपने निर्यात का बहुत कम मुल्य मिल रहा है? क्या सरकार इस प्रकार का कोई पग उठा रही है, जिससे कि निर्यात में हमें रुपया का वहीं मूल्य मिले जो कि वास्तव में उसका है।

श्री ब० रा० भगत : मेरे विचार में सरकार का दृष्टिकोण अव्यवहारिक नहीं है। 99.9 प्रतिशत सौदें सरकारी स्तर पर ही होते हैं। 0.1 प्रतिशत सौदे अनाधिकृत तथा अवैध रूप में होते है। उनके लिए यदि एसा सोचा जाता है तो अव्यवहारिक बात है।

श्री दाजी : श्री नाथ पाई के प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया, इससे देश के बारे में गलत धारणायें बनेगी। क्या सरकार को पता है लंडन के अखबार यह प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय रुपये की कीमत कम होने वाली है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंग कि ऐसा हो रहा है अथवा नहीं ? यदि अपने इसका प्रतिवाद न किया तो देश में वित्तीय संकट खड़ा हो जायेगा। हम बजट की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम आज ही इस बात का उत्तर चाहते है।

श्री ब० रा० भगत : मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय सदस्य लंदन के अखबारों को बहुत महत्व देते है। सरकार किसी को स्वीकार अथवा किसी का प्रतीवाद नहीं कर सकती। हम वक्तव्य दग, परन्तु उससे पूर्व हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री नाथ पाई : इसका मतलब यह हुआ कि जो डर है, उन्हें आप स्वीकार करते है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को यह महसूस करना चाहिए कि यह सन्देहात्मक स्थिति देश को हानि पहुँचा सकती है। बजट तो जब आयेगा देखा जायेगा। अभी तो सरकार यह कह सकती है कि हाल ही में एसी कोई बात नहीं।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : सरकार के सामने रुपये की कीमत को कम करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं।

श्री दाजी : मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के विषय पर विचार हो तो वित्त मंत्री को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। यह ठीक है कि वह नये आदमी है, परन्तु फिर भी कुछ तो आदर उन्हें व्यक्त करना चाहिए। महत्व पूर्ण बात की चर्चा के समय मंत्री महोदय उपस्थित ही नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : वह सदन में आने से घबराते हैं।

श्री अशोक मेहता : मैं और वित्त मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे थे। मैं यहां आ गया हूँ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Parliamentary duties are of paramount importance and as such he should be present here.

Mr. Speaker : All right.

श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने वर्तमान आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिये निर्यात बढ़ा कर रुपय के अवमूल्यन करने की सिफारिश की है, तथा रक्षित बैंक के कुछ अधिकारियों और कुछ आर्थिक आयोजकों ने भी यह सिफारिश की है अथवा जसा कि लंदन के समाचार पत्रों में छपा है उन की यह राय है, और यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति का स्पष्टीकरण करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इसका मैं क्या उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका प्रश्न समझ लिया है। परन्तु अभी हमने एक मिनट पहले इस बारे में जो चर्चा की है, उसके बाद इस पर जोर देना ठीक नहीं है।

श्री हेम बरुआ : उस पर जोर देना इस लिये ठीक है क्योंकि लन्दन के समाचारपत्रों में हर प्रकार के समाचार छप रहे है और उन्होंने यहां तक कहा है कि विश्व बैंक ने भारत सरकार को रुपये का अवमूल्यन करने की सिफारिश की है, और यह भी कि कुछ आर्थिक आयोजकों तथा रक्षित बैंक के कुछ अधिकारियों की भी यही राय है।

वे कहते है कि अवमूल्यन आवश्यक है और यदि इसे अभी नहीं किया गया तो भविष्य में इस का किया जाना आवश्यंभावी है।

अध्यक्ष महोदय : यह उन की राय हो सकती है। श्री अशोक मेहता इसका उत्तर दे चुके हैं।

पूंजी बाजार

+

*64. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूंजी बाजार की दिनोदिन बिगड़ती हुई स्थिति का पता है;

(ख) क्या सरकार इसे पुनः स्थिर बनाने के लिए कुछ उपाय करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क), (ख) और (ग) : सरकार को मालूम है कि 1965 में पूंजी बाजार में कुछ शिथिलता रही है। लेकिन पूंजी बाजार की स्थिति पर सरकार की बराबर नजर है और वह पूंजी लगाने के वातावरण में सुधार करने के लिए कदम उठाती रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भारत में नई अभिदत्त संयुक्त स्कन्ध समवायों की पूंजी का 2/5 पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार में आई हुई मंदी के कारण समाप्त हो गया; यदि हां, तो कितनी हानि हुई और सरकार ने देश की औद्योगिक प्रगति को बनाये रखने की दृष्टि से पूंजी बाजार का पुनर्जीवन लाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : नये अथवा पुराने दोनों ही साम्य अंशों के मूल्य में गिरावट आई है। यह बताने के लिये कि कितनी कमी आई है मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार का ध्यान भारत के श्रेष्ठि-चत्वर (सट्टा बाजार) के प्रधान के इस वक्तव्य की ओर गया है कि भारत में निगमित कर की दर 70 प्रतिशत है जोकि स्केंडिनेविया, ब्रिटेन तथा अन्य देशों की लगभग 55 प्रतिशत दर के मुकाबले में बहुत अधिक है ? क्या सरकार इस में कमी करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : वित्त मंत्री जी कौन से कर लगाना चाहते है, इस बारे में मैं कैसे चर्चा कर सकता हूं। पिछले बजट में प्राथमिक उद्योगों तथा निर्यात के क्षेत्र में आर्थिक तथा दूसरे प्रोत्साहन दिये गये। इनको उन की तुलना में देखना होगा।

श्री शिवाजीराव देशमुख : सरकार के अनुमान के अनुसार भारत का कितना पूंजी बाजार उद्योग-पतियों के नियंत्रण में है ? क्या यह सच है कि बड़े उद्योगपति पूंजी को पुंजी बाजार में लगाने की बजाये उसे भूमिगत रखना चाहते है ?

श्री ब० रा० भगत : यह एक बड़ा व्यापक प्रश्न है। यह सच है कि पूंजी बाजार में बड़े पूंजीपतियों का धन लगा हुआ है, परन्तु माध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों का धन भी पूंजी बाजार में लगा हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बातको देखते हुये कि उद्योगों के लाभ में कोई गिरावट नहीं आई है बल्कि बढ़ोतरी हुई है; और इस देश के दौरे के दौरान सर थॉमस किपइंग के हाल के इस वक्तव्य को देखते हुये कि भारत में पूंजी लगाने के लिये बहुत उचित वातावरण है क्या मंत्री महोदय के विचार में पूंजी बाजार में शिथिलता वास्तविक है अथवा बड़े व्यापारियों ने सरकार से रियायत लेने के लिये इसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस बात को देखते हुये कि कितने नये अंश बिके हैं तथा पुँजी बाजार का मूल्य संचालक क्या है मैं ने तथ्य सामने रखे है। मैंने कोई राय नहीं दी है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या कुछ समाचार पत्रों में व्यक्त की गई इस शंका का कोई वास्तविक आधार है कि योजना मंत्री द्वारा एक विश्वविद्यालय समारोह में दिये गये भाषण से पूंजी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा पड़ने की संभावना है और यदि हां, तो क्या उनके प्रस्तावों से अथवा उनके भाषण से सरकारी की समूची नीति प्रतिबिंबित होती है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मेरे सहयोगी देंगे। दूसरे भाग के बारे में मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने मेरा भाषण पढ़ा है अथवा नहीं। यह एक मुद्रित भाषण है। यदि वह भाषण को पढ़े तो उन्हें ज्ञात होगा, कि वह भाषण वसा ही है जैसे कि मैं सदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामने देता हूं। इस में सरकार की कोई नीति व्यक्त नहीं की गई है अपितु उन ही समस्यायों का जिकर किया गया है, जिन्हें मैं नई पीढ़ी के लिये आवश्यक समझता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सरकार की नीति है ?

श्री ब० रा० भगत : अस्थायी तौर पर इसका बाजार पर प्रभाव पड़ा था और एक दिन मंदी आई थी, परन्तु फिर भाव उसी स्तर पर आ गये हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न यह है कि क्या इस से सरकार की समूची नीति प्रतिबिंबित होती है ? **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सभा की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। दूसरे दिन जब मैंने कहा था कि सभा को कार्यक्रम में अनुशासन का पालन किया जाना चाहिये, तो कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ पर भी आक्षेप किया था। मेरा अनुरोध है कि जब प्रश्न पूछा जाये तो उसका पूरा उत्तर दिया जाना चाहिये। **(अन्तर्बाधायें)** शांति शांति। जब प्रश्न पूछा जाये तो एक ही साथ उसका पूरा उत्तर दिया जाना चाहिये अन्यथा मुझे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती।

श्री अशोक मेहता : मैं तो प्रश्न के उसी भाग का उत्तर दे सकता हूं, जिसका मुझ से सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : उस भाग का उत्तर दिया जा चुका है। दूसरे भाग का भी उत्तर दिया जाना है। सम्बन्धित मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये। उत्तर मिलना चाहिए, उत्तर किसने दिया है इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रश्न यह पूछा गया था "क्या वह सरकार की नीति थी अथवा व्यक्तिगत राय अभिव्यक्त की गई थी" **(अन्तर्बाधायें)**

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा सुझाव है कि यह अच्छा हो कि एक ही मंत्री पूरे प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न के एक भाग का उत्तर एक मंत्री देते है तथा दूसरे भाग का उत्तर दूसरे मंत्री तो इस से संभ्रांति उत्पन्न होती है।

श्री त्यागी : ऐसी परम्परा होनी चाहिये कि प्रश्न काल में वित्त मंत्री अवश्य उपस्थित रहे, चाहे उन्हें कितनी की जरूरी बैठक में क्यों नहीं जाना हो।

श्री हरि विष्णु कामत : आप के कहने के बाद भी मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री दाजी : क्या मंत्री महोदय के भाषण से सरकार की नीति प्रतिबिंबित होती थी ? **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति, हर सदस्य को इस तरह खड़े हो कर प्रश्न नहीं पूछने चाहिये।

श्री ब० रा० भगत : उक्त भाषण में केवल वक्ता की राय प्रतिबिंबित होती है **(अन्तर्बाधायें)**

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार ने इस की जांच की है कि बहुत थोड़े बड़े धनिकों ने जिन के हाथ में देश के समाचार पत्रों का नियंत्रण है, इस नीति विकृत रूप में पेश करने का प्रयत्न किया है, तथा क्या देश के अधिकतर लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है कि नियंत्रण कुछ ही लोगों के हाथ में रहना चाहिये ? क्या सरकार ने इसकी जांच की है ? **(अन्तर्बाधायें)**

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका। क्या कुछ थोड़े से बड़े समाचार पत्रों ने नीति को विकृत रूप में पेश करने का प्रयत्न किया है, या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या कुछ थोड़े से उद्योगपतियों अथवा बड़े पूंजीपतियों ने जिन के हाथ में समाचार-पत्रों का नियंत्रण है इस नीति को विकृत रूप में पेश किया है ?

श्री ब० रा० भगत : यह तो अपनी अपनी राय का मामला है। इस का क्या उत्तर दिया जाये। **(अन्तर्बाधायें)**

श्री भागवत झा आजाद : सरकार का उत्तर क्या है ? जब उन्होंने कहा कि बाजार में मंदी आयी है, तो उन्होंने राय व्यक्त की थी। क्या उन्होंने जांच की है कि जनता की राय क्या है ? **(अन्तर्बाधायें)**

राज्यों में बिजली की कमी

*65. **श्री लिंग रेड्डी :**
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री वारियर :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की अनावृष्टि के कारण उन राज्यों में, जहां बिजली की कमी थी, बिजली कमी की समस्या हल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) यदि नहीं, तो दक्षिण और उत्तर भारत के क्षेत्रों में सरकार इस समस्या को कैसे हल करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० क० ल० राव) : (क), (ख) और (ग) : माननीय मंत्री लोक सभा के टेबल पर 24 फरवरी, 1966 को एक विवरण रखेंगे। जिस में अन्य बातों के साथ साथ इस प्रश्न में पूछी गई जानकारी भी शामिल होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री म० ला० द्विवेदी : इस की सूचना एक मास पूर्व दी गई थी और अब वह कह रहे हैं कि सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा। इसका उत्तर अभी दिया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : इस प्रश्न के पूछने की पूर्व सूचना जनवरी में दी गयी थी और अब 17 फरवरी को उत्तर दिया जा रहा है कि इस बारे में माननीय सिंचाई और विद्युत मंत्री 24 फरवरी को वक्तव्य देंगे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी समझ में नहीं आता वे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आप ने प्रश्न पूछने की अनुमति दी है अतः इस का उत्तर अभी दिया जाना चाहिये।

वे कह सकते हैं कि सामग्री इकट्ठी की जा रही है अथवा जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। क्या वे कह सकते है कि इस का उत्तर 24 फरवरी को अवश्य दिया जायेगा ? हमारे साथ ऐसा अवहेलनापूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात में कुछ सार है। यदि मंत्री महोदय से कोई प्रश्न पूछा जाता है और यदि वह उसका उत्तर नहीं दे सकते तो उन्हें चाहिये कि वह मेरे कार्यालय को सूचित करें ताकि या तो प्रश्न को प्रश्नसूची से निकाल दिया जाये अथवा किसी अगले दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये। यदि सामग्री उपलब्ध नहीं है अथवा इकट्ठी नहीं की जा सकी है तो मंत्री महोदय को यह कहना चाहिये। "हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी सामग्री इकटठी नहीं की गई है। इस में कुछ समय लगगा तथा उस के बाद हम इस का उत्तर देंगे"। कोई निश्चित जानकारी दी जानी चाहिये ताकि प्रश्नसूची में दर्ज प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० क० ल० राव): हमें आप का निदेश मान्य है। हमारे पास कुछ जानकारी है परन्तु वह पूर्ण नहीं है। सात राज्यों में बिजली की कमी है। हम ने इन सात राज्यों को जानकारी भेजने के लिये लिखा है। इन में से कुछ ने अभी भेजी नहीं है। हम जानकारी की प्रतीक्षा कर रहेहै। यदि कोई अन्तरिम जानकारी अपेक्षित होती हम वह दे सकते है।

श्री स० मो० बनर्जी : वह ही दे दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न किसी दूसरे दिन पूछा जायेगा ताकि इस का उत्तर दिया जा सके।

विश्व की जनसंख्या की समस्या

*66. +**श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री लहटन चौधरी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व की जन संख्या की समस्या हल करने के लिए नवीन उपाय अपनाने के बारे में कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई संकल्प प्रस्तुत किया है; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख) और (ग) : जी हां। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि ने सहपुरस्कर्ताओं की ओर से विश्व जनसंख्या की समस्या हल करने के नवीन उपाय अपनाने के बारे में वृहद् सभा में एक प्रस्ताव रखा था किन्तु इस मद को सभा के इक्कीसवें अधिवेशन में विचार करने के लिये छोड़ दिया गया।

Shri Rameshwar Tantia : Have we solved our population problem in our country? If not, what efforts are being made to solve it? Our population is increasing at a rate of 2½% at persent. What measures have been taken to check its increase and what steps are being taken to stabilise it?

Dr. Sushila Nayar : The increase of population in India has not been at a rate of 2½%. It has been revealed in the last census that the increase in population has been at a rate of 2.1%. This problem is not confined in India only, it is a world's problem. That is why some eight to ten countries co-sponsored the resolution before the United Nations that some positive steps should be taken and a serious thought may be given to this problem.

Shri Rameshwar Tantia : The Hon. Minister has stated that the population is growing at a rate of 2.1%. This is also a very light rate. The rate of increase in population in some countries, whose population is much less than ours is 1 to 1½%. May I know, whether Government are satisfied by the measures being taken to check the growth in population and if not, whether Government contemplate to take some such measures by which the growth of population may be checked?

Dr. Sushila Nayar : Government are always satisfied that the work being done in this regard is progressing at a very great speed and its results would be known at a suitable time. The results cannot be achieved in one day. It is not possible to give the details of the programme during Question Hour. The information is contained in the reports and other papers and the hon. Member may see them.

Shri A. P. Sharma : You have stated that the work is progressing in a great speed. May I know whether it is progressing to check the growth in population or to increase it?

Shri Onkar Lal Berva : Equipments are being imported in order to check the growing population and they are used here. May I know whether it is a fact that a report has been submitted by a Commission in connection with the Family Planning Week on the basis of a Survey conducted by them and it has been stated therein that loops have proved failure in 78% cases? If so, the steps taken by Government in this regard?

Dr. Sushila Nayar : This is not correct. Nearly four lakh loops have been inserted in this country and their failure rate is three per cent and a little above varying from place to place, but it has not been more than ten per cent at any place.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the report you have received regarding this failure?

Mr. Speaker : She has answered the question.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether Government have taken steps to that extent they were required regarding the present measures before proposing new measures to the effect United Nations to tackle the population problem? If not, and if they could not achieve any success due to the above fact, may I know the reasons for proposing the new measures?

Dr. Sushila Nayar : It has been suggested that the U.N. may coordinate the activities of its specialised agencies by fixing priorities on demographic basis. It has also been suggested therein as to what should be the priorities before the Population Commission. This is the proposal. It does not mean that we are giving up the present measures and are taking up new measures. The proposal is regarding fixing priorities in the programme of checking the growth in population and giving guidance to those countries where population is growing at a very great speed. This is all what has been said in that resolution.

Shri M. L. Dwivedy : May I know whether the principle of family planning applies equally to all the groups of people in India or only to certain groups? If it is not applied uniformally whether some steps are likely to be taken in this direction?

Dr. Sushila Nayar : There is no question of framing any rule. It is true that in our country family planning is carried on on a much larger scale as compared to other countries. Therefore, we give our advice to those countries who ask for it. The progress in this regard has not been uniform in all the parts of the country.

श्री स० चं० सामन्त : इस कार्य में जो देश हमारे साथ हैं क्या उन सभी देशों में जन संख्या की समस्या एक ही जैसी है ?

डा० सुशीला नायर : जी, नहीं । सभी देशों में समस्या एक समान नहीं है । स्वेडन, नार्वे आदि जैसे कुछ देशों में कुछ अन्य देशों की अपेक्षा जन संख्या बहुत धीरे बढ़ती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : किन किन देशों ने अपने कार्यकर्ताओं को भारत में प्रशिक्षण के लिये भेजा है और हम उनको कहां तक संतुष्ट कर सके हैं ?

डा० सुशीला नायर : प्रत्येक वर्ष हम 10 से 15 देशों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते रहे हैं । इस समय मेरे पास उन देशों की सूची नहीं है । उनमें से कुछ हमारे पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैं । परिवार नियोजन में कुछ तकनीकी सहायता अमरीका ने भी हम से मांगी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Agricultural Credit Corporation

***67. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :
Shri Yashpal Singh :
Shri Balmiki :
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bhanu Prakash Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwer Meena :
Shri D. B. Raju :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the results of the study made by the Reserve Bank in regard to the establishment of an Agricultural Credit Corporation in the States;

(b) when the said Corporation is likely to be set up; and

(c) the main functions of the said Corporation and the amount and the source from which it will be made available for its working?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Choudhuri) : (a), (b) & (c). An informal group constituted some time ago, with the Governor of the Reserve Bank as the Chairman, to examine the existing institutional arrangements for the provision of agricultural credit has recommended that Agricultural Credit Corporations should be established in West Bengal, Assam, Bihar, Orissa, Rajasthan and the Union territories of Manipur and Tripura, for supplementing the credit facilities which are now provided by cooperative banks in these areas. The share capital of the corporations, according to the informal group, is to be provided primarily by the State Governments concerned and the Reserve Bank, but the corporations will be in a position to borrow from the Reserve Bank. The recommendations of the informal group are still under consideration.

तीसरी योजना में विदेशों से सहायता

*68. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों ने तीसरी योजना के दौरान जितनी सहायता का वचन दिया था क्या वह पूर्णतः प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या है; और

(ग) क्या अब तक मिली हुई सहायता का पूर्णतया उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा को मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

तृतीय योजना के लिये विभिन्न देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कुल मिला कर 3095.53 करोड़ रुपये (खाद्य सहायता के अतिरिक्त) की सहायता देने का वचन दिया है। इसमें से 2670.48 करोड़ रुपये के लिय करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। 1992.87 करोड़ रु० के लिये क्रयादेश दिये गये है और 1481.03 करोड़ रु० वास्तविक रुप से ले लिया गया है।

2. वचन दी गई सहायता, प्राप्त सहायता और वास्तविक रुप से ली गई सहायता में अन्तर के कारण इस प्रकार हैं :—

(एक) ऋण देने वाले अभिकरणों को विस्तृत परियोजना सामग्री तथा आवेदन पत्र देने में और वचनों को ऋण संबंधी करारों में बदलने में कुछ समय लग जाता है ।

(दो) कुछ ऋण दाताओं को परियोजनाओ के आर्थिक और तकनीकी पहलूओ के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं पूरी करनी पड़ती हैं और इसमें काफी समय लग जाता है ।

(तीन) कुछ मामलो में अवश्य रुप से संभारण कर्ताओ के ऋणों के मामले में ऋण के ऊपयोग से पूर्व आयातकों और संभरणकर्ताओं के बीच काफी बढ़ी हुई सीमा तक बातचीत की आवश्यकता होती है ।

(चार) उन ऋणों के मामले में जिनके लिये पहले बातचीत की जा चुकी होती है, सरकारी क्षेत्र के लिये क्रियादेश देने के लिये टेंडर देने पड़ते हैं और परियोजनाओं के मामले में विशिष्ट विवरण पर विस्तृत कार्य और प्राप्त निर्खों पर जांच की आवश्यकता होती है ।

(पांच) परियोजनाओं के लिये ऋण के मामले में ऋण की वास्तविक प्राप्ति, विदेशों में उपकरणों के निर्माण पर, जिसमें कि कभी कभी कई वर्ष लग जाते हैं, और भारत में परियोजना की वास्तविक क्रियान्विति पर निर्भर करती है। इस प्रकार परियोजनाओं का ऋण प्रायः 4 या 5 वर्षों में मिल पाता है।

(छः) जो ऋण विविध बड़े उपकरणों, पुर्जों और कच्चे माल की खरीद के लिये होते हैं, वे शीघ्र दे दिये जाते हैं और पूंजीगत परियोजनाओं के ऋणों में इनकी अपेक्षा अधिक समय लगती है, परन्तु फिर भी इनके लिये बातचीत करने, और क्रयादेश देने और जहाज़ में लदान के लिये कुछ समय लग ही जाता है ।

राज्यों द्वारा अपने खाते की राशि से अधिक धन का निकाला जाना

*69. श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हेमराज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने रक्षित बैंक (रिजर्व बैंक) में अपने खातों की राशि से बहुत अधिक, अर्थात् 200 करोड़ रुपये तक अधिक धन निकलवाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह निदेश दिया है कि वे अपने संसाधनों से करारोपण के द्वारा इस कमी को पूरा करें; और

(ग) इस सम्बन्ध में और क्या उपचारी अथवा निरोधक उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द चौधरी) : (क) राज्य सरकारों के साथ किये गये करारों की शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक उनके बैंक के रूप में काम करता है, इसलिए उनके बीच हुए लेन-देनों का ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता ।

(ख) और (ग) : राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे अपने उपलब्ध साधनों की सीमा में रहते हुए ही अपने खर्च पर नियंत्रण रखें और अपने बजट सम्बन्धी घाटे को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक का सहारा न लें ।

1966-67 योजना का आकार

*70. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री चं० व० सिं० विष्ट :
श्री धर्मलिंगम :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1966-67, की योजना का आकार बहुत छोटा कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे खाद्य उत्पादन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख) और (ग) : 1966-67 की सालाना योजना के बारे में एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है और किसी समय मार्च, 1966 में सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा। पिछले साल की तुलना में समस्त योजना का आकार छोटा हो सकता है, परन्तु कृषि कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे में काफी बढ़ोतरी की जा रही है।

करों की बकाया राशि

*72. **श्री हेमराज :**
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आचाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कर्णी सिंह जी :
डा० श्री निवासन :
श्री परमशिवन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1962 से वर्ष 1965 तक की अवधि की सम्पत्ति कर, आय कर, व्यय-कर, उपहार-कर और सीमा शुल्क की कितनी कितनी राशि राज्य वार बकाया है; और

(ख) इसकी वसूली करने के लिये क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी।

ब्रिटिश ऋण

*73. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने चालू वर्ष में भारत को ऋण देने का अपना वचन पूरा कर दिया है;

(ख) ऋणों की कितनी राशि विशिष्ट वस्तुओं के आयात के लिये है; और

(ग) इसकी कितनी राशि सामान्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकती है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) ब्रिटेन ने चालू वर्ष में भारत को जितनी सहायता देने की बात कही थी उसमें से 50 लाख पौण्ड की रकम को छोड़ कर जिसके लिए जल्दी ही करारोपर हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है, उसने बाकी सहायता के लिये करारों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

(ख) और (ग): अलग से किये गये करारों में अर्थ-व्यवस्था के सामान्य प्रयोजनों के लिए 1.50 करोड़ पौण्ड की रकम अलग रखी गयी है, शेष 1.65 करोड़ पौण्ड की रकम विशिष्ट आयात सहित प्रयोजनों के लिए उपलब्ध है ।

काला धन

*74. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री बड़े :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मधु लिमये :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री महेश्वर नायक :
श्री किन्दर लाल :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा-शुल्क तथा आयकर अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों के परिणामस्वरूप नकदी तथा सोने के रूप में अब तक कुल कितनी राशि का काला धन पकड़ा गया है;

(ख) तलाशियों से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) काले धन का पता लगाने के काम में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या और कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) (एक) वर्ष 1965 में आयकर विभाग द्वारा 178 लाख रु० । इसमें नक़दी और बाजार भाव पर सोने के ज़ेवरात का मूल्य भी शामिल है ।

(दो) वर्ष 1965 में सीमा शुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 3,185 किलोग्राम सोना जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर लग भग 171 लाख रु० बनता है ।

(ख) संबंधित व्यक्तियों के पास काले धन के अनुमान लगाने के लिये कार्यवाही आयकर विभाग द्वारा की जाती है और सोने की ज़ब्ति और संबंधित व्यक्तियों को दण्ड देने के संबंध में निर्णयन की कार्यवाही सीमाशुल्क तथा स्वर्ण नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा की जाती है । इसके अतिरिक्त संबंधित सीमाशुल्क और स्वर्ण नियंत्रण कानूनों के अन्तर्गत उचित मामलों में मुकदमें भी चलाये जाते हैं ।

(ग) काले धन के पता लगाने की समस्या पर बराबर पुनर्विलोकन किया जा रहा है और मामले में सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं ।

बर्ड एण्ड कम्पनी

*75. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री 2 तथा 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 603 तथा 754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड एण्ड कम्पनी और एफ० डब्लू० हैलगर्स एण्ड कम्पनी के भूतपूर्व ब्रिटिश निदेशकों के शेयरों को भी इन संस्थाओं के भारतीय अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किये गये जुर्मानों के तौर पर बकाया रकमों के बदले में इन शेयरों को ले लेने का सरकार का विचार है; और

(ग) सार्थों तथा व्यक्तियों से जुर्माने के तौर पर बकाया रकमों की वसूली में आगे क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) बर्ड एण्ड कम्पनी तथा एफ० डब्ल्यू० हैलगर्स के एक भूतपूर्व ब्रिटिश निदेशक के हिस्सों का एकमात्र हस्तांतरण सर ई० सी० बैथल की सम्पदा से था। श्री बैथल 5 मार्च, 1961 तक इन दो कम्पनियों के अध्यक्ष थे। इस प्रकार हस्तांतरित हिस्सों और जिन पार्टियों को वे हस्तांतरित किये गये उनके बारे में सूचना सदन की मेज़ पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गयी है।

(ख) और (ग) : बर्ड एण्ड कम्पनी, उड़ीसा मिनरल्स डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड तथा बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी (1930) लिमिटेड पर कुल 1,55,00,000 रुपये के दण्ड लगाये गये। इसके अलावा 4 व्यक्तियों पर 10,35,000 रुपये की कुल रकम के निजी दण्ड लगाये गये।

सम्बन्धित पार्टियों ने उपर्युक्त दण्डों के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड में अपीलें दायर की हैं। अपीलों पर विचार किये जाने तक 47,50,000 रुपये जमा कर दिये गये हैं और कम्पनियों पर लगे दण्ड की शेष रकम के लिये स्वीकार्य बंध-पत्र भरवा लिए गये हैं अथवा भरवाए जा रहे हैं। निजी दण्डों के विरुद्ध 15,000 रुपये जमा कर दिये गये हैं। शेष रकम की वसूली के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी कदम उठा रहे हैं।

इन परिस्थितियों में बर्ड एण्ड कम्पनी या एफ० डब्ल्यू० हैलगर्स एण्ड कम्पनी में सरकार का हिस्से अधिग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महानगरों की परिवहन आवश्यकताएं

*76. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में महानगरों की परिवहन आवश्यकताओं सम्बन्धी विशेषज्ञ अध्ययन दल के कार्य में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या दल के कार्य-क्षेत्र तथा कार्य का अनुमान लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो वे क्या है और यह अपना प्रतिवेदन कब तक देगा;

(घ) क्या दल में विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल किये जायेंगे; और

(ङ) क्या कलकत्ता महानगर की परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार के उच्च स्तर के विशेषज्ञों को पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ङ): तक एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5479/66।]**

वस्तुओं पर से कंट्रोल हटाना

***77. श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू अथवा इससे पहले वर्ष में जिन वस्तुओं पर से कंट्रोल हटाया गया था उनके मूल्यों तथा उत्पादन पर इस का क्या प्रभाव हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): जिन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाया गया था उन में से अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया है; मूल्यों में हुई सामान्य वृद्धि के साथ-साथ इन वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गये हैं। यह कहना सम्भव नहीं है कि नियंत्रण हटा लेने के कारण मूल्यों या उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है।

कृष्णा-गोदावरी जल सम्बन्धी विवाद

***78. श्री यशपाल सिंह :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री वाल्मीकी : **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री बागड़ी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा महाराष्ट्र सरकारों के बीच कृष्णा-गोदावरी-जल के बारे में विवाद को अब निपटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह विवाद अन्तिम रूप में कब निपट जायेगा; और

(ग) इस विवाद को शीघ्रता से निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): इस विवाद को शीघ्र ही निपटाने के लिये हर तरह की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के साथ दो बार बातचीत की गई है, और आशा है कि एक संतोषजनक निर्णय पर पहुंचने के लिये इस वार्ता को जारी रखा जायेगा।

Electricity Supply to Kerala

***79. Shri D. N. Tiwary :** **Shri Vasudevan Nair :**
Shri Mohammed Koya : **Shri Warior :**

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of electricity which is to be supplied to Kerala through the Madras Transmission line by the Government of Mysore will be doubled;

(b) if not, what will be the actual rate;

(c) whether it is also a fact that the supply of electricity to such industrialists and farmers who will not be prepared to pay in accordance with the revised rate will be cut short; and

(d) what will be the impact of the revised rate on the industrial production?

Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) to (d). A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

To tide over the power shortage in Kerala, caused by the low level of water in the reservoirs of their hydel Projects, the Kerala State Electricity Board have arranged to get between 3 to 4 lakhs units of electricity per day from Mysore through Madras Grid, Madras State Electricity Board, who pay 9 paise per unit to Mysore for this energy, charge 3 paise per unit for transmission and the cost of energy to Kerala thus comes to 12 paise per unit. The supply of this additional power has enabled Kerala State Electricity Board to restrict the Power cut on industries to 50% against a 75% cut, which would have been otherwise inevitable. The import of energy from Mysore has not resulted in any revision of tariff by the Kerala State Electricity Board. However, in order to meet the additional expenditure for the import of energy, the State Board have decided to levy a surcharge of 100% on the power tariff applicable to industries. A 50% cut in power supply has now been imposed on such of the industries as have accepted this surcharge, while a 75% cut has been imposed on those few industries, which have declined to accept it. No power cut or surcharge has been imposed on agriculturists.

There is likely to be some fall in industrial production in the State as a result of the cut.

चेकोस्लोवाकिया से सहायता

*80. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया से और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के हेतु भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच आर्थिक सहयोग के लिए कोई समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं; और

(ग) समिति के कार्य का ठीक ठोक स्वरूप क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस तरह की कोई समिति अभी तक नहीं बनायी गयी ।

(ख) और (ग) : इन बातों के सम्बन्ध में चैकोस्लोवाकिया और भारत की सरकारों के बीच अब भी बात-चीत चल रही है ।

जवाहर सागर बांध

*82. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहर सागर बांध (कोटा बांध) के निर्माण में विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण विलम्ब हो रहा है;

(ख) इस बांध के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी तथा यह राशि आवश्यकता से कितनी कम पड़ती है; और

(ग) बांध के निर्माण को शीघ्रता पूर्वक पूरा करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) बांध की निर्माण सामग्री के लिये कुल 20 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। परन्तु अभी तक इस के प्रति केवल 1,23,074 रुपये की विदेशी मुद्रा दी जा सकी।

(ग) अनुरोध करने पर, ठेकेदारों ने उस सामान का जिस के लिये उन्होंने 15 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा मांगी थी, अपनी सिस्टर फर्मों के जरिये और अपने ऋण प्रबन्धों के अधीन प्रबन्ध कर दिया है।

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन संग्रह

*84. **श्री भानु प्रकाश सिंह :** **श्री हेम राज :**

श्री बागड़ी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री मधु लिमये :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन संग्रह के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) आयकर अधिनियम के अधीन जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठते।

रूबी सामान्य बीमा कम्पनी, दिल्ली

*85. **श्री बागड़ी :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूबी सामान्य बीमा कम्पनी, दिल्ली अनेक बोगस एजेन्सियां चला रही है और कम्पनी के कमचारियों इन बोगस एजेन्सियों के नाम से कमीशन के रूप में करोड़ों रुपये ले जाते है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार का कोई जांच कराने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा०भगत) : (क) बोगस एजेन्सियों के कोई विशेष मामले सरकार के ध्यान में नहीं आय हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Separate Sales Tax Law for Delhi

†*86. **Dr. Ram Manohar Lohia :** **Shri Vishram Prasad :**
Shri Bagri : **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is proposed to have a separate Sales tax law for Delhi; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) : (a) Yes Sir.

(b) Certain practical difficulties as also lacunae in law were experienced in the working of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941 as applicable in Delhi. Instead of superimposing a large number of amendments in the parent Act, it is considered desirable to replace the existing Act by a new law. A Bill to this effect will be introduced in the Sabha shortly.

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

*87. **डा० श्री निवासन :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री परमशिवन : **श्री बड़े :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश तस्कर व्यापार को बन्द करने के उद्देश्य से जारी किया गया था;

(ख) क्या इस उद्देश्य की पूर्ति में इसकी सफलता का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) यद्यपि स्वर्ण नियंत्रण के उद्देश्यो में एक यह भी था कि इससे चोरी छिपे सोना लाने की रोक थाम होगी, परन्तु यही एक मात्र उद्देश्य नही था ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा लगता है कि चोरी छिपे लाये गये सोने के बेचने में स्वर्ण नियंत्रण से कुछ रुकावट पड़ गई है और इससे चोरी छिपे सोना लाने का काम अपेक्षाकृत कठिन हो गया है ।

भारत पाकिस्तान संघर्ष में भारत को हुई हानि

*88. **श्री बुटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त-सितम्बर, 1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत को कुल कितनी हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत को जो हानि हुई उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। यदि ऐसा करना सम्भव भी होता, तो भी उसे प्रकट करना सार्वजनिक हित में न होगा।

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन द्वारा धन संग्रह

*89. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वित्त** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 744 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना मिलने तथा उचित जांच के पश्चात प्रवर्तन निदेशालय ने स्वर्गीय डा० टी० सफुद्दीन के मकान पर छापा मारने की अनुमति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या छापा मारा गया था;

(ग) उसका क्या परिणाम हुआ; और

(घ) यदि अनुमति नही दी गई तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले के बारे में सरकार के विचारार्थ कुछ सामग्री दी है और अनुदेशों के लिये प्रार्थना की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) मामले पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया था और छापे की सिफारिश नही की गई थी। इसके बाद डा० सफुद्दीन की मृत्यु हो गई थी।

तृतीय योजना के उत्पादन लक्ष्य

*90. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 के अन्त तक के वास्तविक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं के मामले में तृतीय योजना के उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति की संभावना का अभी हाल में अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के अनुमान विश्व बैंक दल के, जो हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था, अनुमानों से कहां तक मेल खाते है;

(ग) योजना अवधि के अन्त तक किन वस्तुओं के लक्ष्य पूरे होने की संभावना नही है; और

(घ) इनकी अनुमानिक कमी क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (घ) : ताजी उपलब्ध सूचना के आधार पर, तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में सम्भावित उत्पादन और कृषि तथा औद्योगिक जिन्सों का उत्पादन घटने के कारणो को दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5480/66]**

(ख) विश्व बैंक ने अभी तक भारत सरकार को औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। अतः किसी प्रकार की तुलनाएं करना संभव नहीं है।

परियोजना क्षेत्र से कृषकों को बेदखली

265. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के कोट्टयम जिले के परियोजना क्षेत्रों--विमलगिरि, चट्टिवुडि,-पपुथोडु पथिनरम कंडुम कमक्षी-नरक्काकनन-नयारापारा तथा पंडिपारा--में से कृषकों को बेदखल करने का काम पूर्ण हो गया है;

(ख) क्या सरकार को प्रस्तावित बेदखली के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि परिगणना कार्य प्रगति पर है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

केरल के लिये तापीय संयंत्र

266. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले जर्मन गणतंत्र गणराज्य ने केरल में एक तापीय सयंत्र की स्थापना में सहायता करने की पेश कश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में बिजली की सप्लाई

267. श्री अ० क० गोपालन : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दिसम्बर, 1965 में उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई में कितनी कमी की गई;

(ख) इस कमी का कितने उद्योगों पर प्रभाव पड़ा;

(ग) इसके परिणामस्वरुप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये; और

(घ) क्या आगामी वर्ष में बिजली की सप्लाई में कमी न हो इस के बारे में कोई योजना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 11 दिसम्बर, 1965 से औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिये बिजली की पूर्ति में 50 प्रतिशत की कटौती और घरेलू उपभोक्ताओं के लिये 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। कृषकों को दी जाने वाली बिजली में कोई कटौती नहीं की गई है तथा कुछ अन्य आवश्यक उद्योगों और उपक्रमों को भी बिजली की कटौती से मुक्त रखा गया है।

(ख) सुरक्षा सेवा संस्थाओं, दनिक समाचार पत्र निकालने वाली प्रिंटिंग प्रैसों, पैट्रोल पम्पों, पेट्रोल संचय प्रतिष्ठानों, बरफखानों और कोल्डस्टोरेज के संयत्रों को छोड़ कर, शेष सभी उद्योगों पर इस कटौती का प्रभाव पड़ा है।

(ग) बिजली की कटौती के कारण कुछ बेरोजगारी हो गई होगी, ऐसी सम्भावना है; ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) शोलापुर परियोजना के प्रथम यूनिट (18 मैगावाट) और सावरिगिरि केंद्र के 50-50 मेगाबाट के दो यूनिटों के मार्च, 1966 में चालू होने की सम्भावना है। इससे बिजली की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य की पन बिजली क्षमता को ताप बिजली से अनुपूरित करने के विचार से, कोचीन में एक ताप संयंत्र को स्थापित करने की स्कीम पर भी विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी तट पर समुद्री कटाव

268. श्री कर्णी सिंहजी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी विशेषज्ञों ने समुद्री कटाव के, जिससे भारत के पश्चिमी तट को खतरा है, नुकसान से बचने के लिये सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को किस हद तक तुरंत क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) दो अमरीकी विशषज्ञों ने, जिनकी सेवाएं भारत सरकार ने प्राप्त की थी, केरल में और महाराष्ट्र में वरसोवा बीच पर समुद्र कटाव की समस्या का अध्ययन किया तथा इसके समाधान के लिये कुछ सुझाव दिये हैं।

(ख) विशेषज्ञों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5481/66।]**

(ग) केरल सरकार ने विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार आवश्यक आंकड़ों के एकत्रण तथा अपेक्षित साज सामान इत्यादि की प्राप्ति के लिये कायवाही शुरु कर दी है। जब तक निम्न प्रवाह स्थलों पर ठोकरों के प्रभाव का पूर्ण अध्ययन नहीं कर लिया जाता, उन का निर्माण कार्य बद कर दिया गया है। समुद्र तट रख-रखाव पर एक प्रयोग भी किया गया।

महाराष्ट्र सरकार वरसोवा समुद्र तट कटाव से सम्बद्ध अमरीकी विशषज्ञों की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

क्विलेण्डी-कोरापुजा लाइन का विद्युतन

269. श्री अ० व० राघवन : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में विद्युत् तथा दूरसंचार समन्वय समिति द्वारा स्वीकृति न देने के कारण केरल के कालीकट जिले में क्विलण्डी-कोरापुजा लाइन के विद्युतन में विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो शीघ्र मंजूरी देने के लिये क्या कार्यवाही की गई, और

(ग) मामला समिति के समक्ष कब तक अनिर्णित पड़ा रहा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : जुलाई, 1963 में, केरल राज्य बिजली बोर्डने बिजली दूर संचार समन्वय समिति स प्रस्तावित किक्कलेंडी कोरापुजाह 11 के. वी. लाइन की स्वीकृति के लिय प्रार्थना की। बिजली दूर संचार समन्वय समिति की स्वीकृति से पहले ही केरल राज्य बिजली बोर्ड ने इसका निर्माण हाथ मेंले लिया तथा कार्य को पूरा कर दिया। और तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने के पश्चात् बिजली दूर संचार समन्व समिति ने इस लाईन में बिजली छोड़ने के लिय अपनी अस्थाई स्वीकृति दे दी। समिति की अंतिम स्वीकृति केरल राज्य बिजली बोर्ड मे और तकनीकी सूचना मिलने पर दे दी जाएगी।

भारत पाकिस्तान युद्ध में व्यय

270. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष में सरकार ने कुल कितना व्यय किया ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : गत भारत पाकिस्तान संघर्ष में सरकार द्वारा किये गये कुल व्यय का हिसाब लगाना कठिन है। यदि यह संभव भी हो तब भी इसको बताना लोकहित में नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा मकान बनाने के लिये दिये गये ऋण

271. **श्री वै० तेवर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम पालिसीहोल्डरों तथा राज्य आवास बोर्डों को ऋण देता है;

(ख) क्या ब्याज की दर में कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो अंतर कितना है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या पालिसीहोल्डरों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर को राज्य आवास बोर्डों सम्बधों दर के बराबर करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जीवन बीमा निगम पालीसी धारकों को 'अपना घर बनाइये योजना के अन्तर्गत मकानो के निर्माण अथवा उनके विस्तार और हाल में बनाये गये मकानो की खरीद के लिये ऋण देता है। निगम द्वारा राज्य आवास बोर्डों को कोई ऋण नहीं दिया जा रहा है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Water For Irrigation To Hilly Areas

273. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade :**
Shri Yudhvir Singh : Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up any scheme to provide water for irrigation purposes in the hilly areas of the country; and

(b) if so, its details and when it is likely to be implemented?

Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed) : (a) & (b). A Sub-group on Irrigation of the Working Group on Hill areas of the Ministry of Food & Agriculture has formulated proposals for the development of irrigation in the hill Areas. The report of the Sub-Group is yet to be considered by the Steering Committee for the development of Hill Areas functioning in the Planning Commission.

Establishment of Fictitious Firms To Evade Income-Tax

Shri Bade : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a case of an Advocate of Hissar who used to evade tax by establishing firms using fictitious names has come to the notice of Government;

(b) if so, the action being taken by Government in this regard;

(c) whether it is also a fact that some officials of the Income-tax Department have been suspended in connection with the enquiries in respect of such firms;

(d) whether it is also a fact that no charge sheet have yet been served on these suspended officials;

(e) whether it is a fact that one of these Income Tax Officers has died after 28 days because of the fact that no charge-sheet had been served on him; and

(f) the action being taken by Government in the matter?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhury) : (a) Yes, Sir.

(b) Searches were made simultaneously at Hissar, Delhi, Bikaner, Sriganga Nagar and Calcutta. Account books of ghost firms were found and seized. The Advocate and his associates have admitted that the entries made in the books are fictitious. Steps are being taken to assess the persons who had introduced their concealed incomes in names of these ghost firms. In fact many of the persons who had concealed their incomes have surrendered them for assessment.

(c) Yes, Sir.

(d) All the Officers concerned have been served with charge-sheet by 9-12-1965.

(e) It is a fact that one of the Income-tax Officers died on 29-11-1965, but apparently non service of charge sheet for 28 days had nothing to do with his death. It is reported that the Income-tax Officer was a patient of diabetics and heart trouble and the enquiry obviously had nothing to do with his death.

(f) Disciplinary proceedings are in progress.

Cancer

275. Shri Kishen Pattnayak : **Shri Madhu Limaye :**
Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Bagri :**

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a medicine called "Zehrin" has been invented by an Indian scientist for the treatment of cancer;

(b) if so, whether the said medicine has passed through all the stages of scientific analysis; and

(c) whether that medicine is being actually used?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) A medicine called "Jawaharene" (not "Zehrin") has been developed by Dr. Durlav K. Roy. This is claimed to be an antibiotic material obtained from a strain of *Aspergillus niger* isolated from rotten potatoes.

(b) "Jawaharene" has not yet passed through all stages of scientific analysis.

(c) It is not being used for human treatment.

दिल्ली में रैन बसेरे

276. श्री रा० गि० दुबे :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्रीमती विमला देवी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरियों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिये बनाये गये रैन बसेरे दिल्ली में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं ;

(ख) क्या यह सच हैं कि रैन बसरों में नियुक्त चौकीदार इन लोगों से बुरा व्यवहार करते है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रैन बसेरों में कभी-कभी ऐसे व्यक्ति भी चले जाते हैं जो जुआरी होते हैं और अफ़ीम के आदी होते हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) हमें पता नहीं है । परन्तु यदि हमें किसी विशिष्ट मामले की सूचना दी जाये तो उसकी जांच की जायेगी ।

(ग) हो सकता है ऐन बसेरों में आने वालों में कुछ अफीमची और जुवारी भी हों परन्तु जब वे रात को सोने के लिये आते हैं तो उनका पता लगाना कठिन है । रैन बसेरों में जुआ खेलने और नशा करने की इजाज़त नहीं है ।

स्वाथ्य सर्वेक्षण और आयोजन सम्बन्धी मुदलियार समिति

277. श्री राम हरख यादव : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में नर्सों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) स्वास्थ्य सर्वेक्षण और आयोजन सम्बन्धी मुदलियार समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इनकी शीघ्र क्रियान्विति में क्या कठिनाइयां हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस समय देश में नर्सों की कुल संख्या लगभग 45,000 है । 35,000 परिचारिकाएं और सहायक नर्स-परिचारिकाएं तथा 35,000 स्वास्थ्य निरीक्षक हैं ।

(ख) और (ग) : मुदलियार समिति की नर्सिंग में बुनियादी पाठ्यक्रम के दाखिले के लिये अर्हताएं, शिक्षा माध्यम, ज़िला मुख्यालयों के अस्पतालों में प्रशिक्षण का लागू किया जाना, वार्षिक दाखिलों की न्यूनतम संख्या, नर्सों को खुली रियायतें, दाइयों को प्रशिक्षण देना जारी रखना, स्नातक नर्सों को अनुभव प्राप्त करने के बाद पदोन्नत करना, कुछ कार्यों के लिये पुरुष नर्सों को प्रशिक्षण देना जैसी अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशों को अधिकांश राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित कर लिया गया है अथवा उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

नर्सों तथा सहायक नर्स परिचारिकाओं के प्रशिक्षण के लिये राज्यों में राज्य-सरकार के संस्थानों तथा गैर-सरकारी संस्थानों को केन्द्रीय सरकार सहायता अनुदान दे रही है। आशा है कि 1971 तक 6000 की आबादी के पीछे एक सहायक नर्स परिचारिका है।

विभिन्न श्रेणियों की नर्सें उच्च प्रशिक्षण के लिये पात्र हैं यदि उनके पास अपेक्षित शिक्षा अर्हताएं तथा/अथवा नर्सिंग का अनुभव है।

विभिन्न श्रेणियों की नर्सों को उनके नर्सिंग के संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी से अवगत कराने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया जा रहा है। शीघ्र और पूरे क्रियान्वन के मार्ग में सीमित वित्तीय संसाधन और प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपर्याप्त उपलब्धता मुख्य कठिनाइयां हैं।

भविष्य निधि का पेंशन में परिवर्तन

278. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि को पेंशन में परिवर्तित करने की योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सचिन्द्र चौधरी) : (क) और (ख): जी नहीं। सरकार कर्मचारियो के लिये जो कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं उनके लिये एक परिवार पेंशन निधि स्थापित करने की योजना है।

Govt. Quarters For Children of Deceased Employees

279. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated certain rules to allow the children of Government servants to continue to reside in Government quarters after the death of the Government servants till the annual examinations;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the basis on which the rent is charged?

The Minister of Works Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c). Under the provisions of the allotment rules, after the death of an allottee his family is permitted to retain the accommodation for four months on payment of the rent which the officer was paying immediately before his death. However, on special grounds such as a final examination of a child or serious illness in the family, the family may be permitted to retain the accommodation for a few months beyond that period. The exact period of extension depends on the merits of each case, but the maximum period is six months. The rent for the period of extension is charged at the rate of twice the standard rent under F.R. 45-A or twice the pooled standard rent under F.R. 45-A, whichever is higher.

Quarters for Washermen

281. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Shiv Charan Gupta :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1732 on the 2nd December, 1965 and state :

(a) whether Government have implemented the recommendations made by the Committee appointed to provide residential accommodation and other facilities to washermen in Delhi;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the rent which will be realised for the accommodation and Dhobi Ghats; and

(d) the number of Washermen in Delhi and New Delhi at present?

The Minister of Works Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). The recommendations of the Committee have been accepted. The concerned authorities, namely, the Muncipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Committee and the Land and Development Office have been asked to take suitable measures to implement the recommendations.

(c) As recommended by the Committee, the rent of the residential units would be fixed on subsidised basis according to the principles of the Slum Clearance Scheme and of the non-residential units on the basis of their full cost.

(c) Approximately 5,000 in the area of the Municipal Corporation of Delhi and about 740 in the New Delhi Municipal Committee area.

ठंड से मृत्यु

282. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री परमशिवन :
डा० श्रीनिवासन :
श्री बागड़ी :

श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री रा० गि० दुबे :
श्रीमती विमला देवी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम हरख यादव :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) दिसम्बर, 1965 और जनवरी 1966 में दिल्ली में पटरियों पर सोने वाले कितने बेघर लोगों की ठण्ड से मृत्यु हुई ;

(ख) बेघर लोगों की समस्या को सुलझाने और उनको रैन बसेरों में सोने के लिये प्रेरित करने के लिये उपाय निकालने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) जैसा गृह-कार्य मंत्री ने बताया है, दिल्ली प्रशासन ने शीत ऋतु में रात्रि के समय पटरियों का इस्तेमाल करना एक अपराध घोषित करने के बारे में यदि कोई आदेश जारी किया गया है तो वह क्या है ; और

(घ) पुलिस और नागरिक अधिकारियों द्वारा पटरियों पर रहने वालों को शीत ऋतु में खुले स्थान पर न सोने के लिये प्रेरित करने के लिये संयुक्त रूप से चलाये गए आन्दोलन का क्या फल निकला ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : दिल्ली में 22 रैन बसेरे हैं जिनमें 5265 व्यक्तियों के लिये व्यवस्था है। ठन्डी रातों में निगम तथा पुलिस के कर्मचारी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में गये और उन्होंने पटरी पर सोने वालों को रैन बसेरों में जाने को कहा।

(ग) कोई आदेश जारी नहीं किया गया क्योंकि उसमें कई कानूनी कठिनाइयां थी। रैन बसेरों की औसत उपस्थिति नवम्बर, 1965 में 1004 थी जो दिसम्बर में 2336 और जनवरी में 3030 हो गई।

दिल्ली को भाखड़ा से बिजली की सप्लाई

283. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री उर्टिया :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री धर्म लिंगम :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने दिसम्बर, 1965 में दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम को सूचित कर दिया है कि भाखड़ा में बिजली के संकट के कारण पंजाब से बिजली की सप्लाई में एक दिन में 5000 किलोवाट तक की कमी की जा सकती है ;

(ख) क्या दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने इस आधार पर इस मामले में केन्द्रीय मंत्रालय से हस्तक्षप करने को कहा है कि बिजली के सीमित सप्लाई से काम करना संभव नहीं होगा और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) दिल्ली में उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने विवाहों के अवसर पर सड़कों पर रोशनी करने और सजावट करने में मितव्ययता करने के बारे में क्या क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इस मामले से संबद्ध सभी के साथ बातचीत की गई थी और 3000 किलोवाट तक की कटौती को मान लिया गया था। परन्तु, पंजाब सरकार ने 12000 किलोवाट की और कटौती का सुझाव दिया है, और भारत सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

(ग) जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, बिजली की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की गई है।

(घ) विवाहों के लिये अस्थायी कनेक्शनों को 2 किलोवाट तक सीमित कर दिया गया है और नय कनेक्शनों की स्वीकृति बहुत कम दी गई है। अभी तक गलियों की रोशनी को पहले की तरह कायम रखा गया है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

284. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिकरे :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लाटन चौधरी :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री बासप्पा :
श्री सैंझियाम :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री धर्मलिंगम :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाह-व्यय सूचनांक के अंक 165 से अधिक हो जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हाल में ही बढ़ाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है और अपने अपने राज्यों में कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस विषय पर केन्द्रीय सरकार से बात-चीत की है और सुझाव दिया है कि यदि उन के राज्यों के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाना है, तो केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया जाय।

(ग) राज्य सरकारें, पिछले दो या तीन वर्षों में वेतन-मानों में की गयी वृद्धियों, अपने साधनों की समूची स्थिति और आयोजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखकर, अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों की जांच करने की अपनी स्वतंत्र कार्यप्रणाली का अनुसरण, पहले की तरह करती रहेंगी। केन्द्रीय सरकार इस बारे में किसी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन नहीं दे सकती।

मैसूर राज्य से केन्द्रीय ऋणों की वसूली

285. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के महालेखापाल ने 25 करोड़ रुपये के बजाय 52 करोड़ रुपये केन्द्रीय ऋणों तथा ब्याज की वापसी के रूप में वसूल किये थे जिसके परिणामस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति अव्यवस्थित हो गई;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिक वसूली के लिये केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग जिम्मेवार है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को यह परामर्श दिया है कि उसने रिजर्व बैंक से जो तीस करोड़ रुपये अधिक निकाले है वह वापस किये जायें; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 30 करोड़ रुपये का तदर्थ ऋण मांगा है जो वार्षिक दस किस्तों में वापस किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) मैसूर सरकार से अधिक वसूली नहीं की गयी है। केन्द्रीय सरकार को ऋणों की वापसी के रूप में, 1961–62 से 1965–66 तक की अवधि में, मैसूर सरकार से लगभग 51 करोड़ रुपया लेना था और इतनी ही रकम वसूल की गयी है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) राज्य सरकार को खर्च में कुछ प्रकार की कमी करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में परामर्श दिया गया है ताकि राज्य सरकार द्वारा अधिक निकाली गयी रकम में कमी की जा सके।

(घ) जी, हां।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें

286. **श्री वारियर :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री नारायण रेड्डी :
श्रीमती विमला देवी :
डा० रानेन सेन :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हेमराज :
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कौल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री उटिया :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री बड़े :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री अ० का० गोपालन :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :
श्री दे० द० पूरी :
श्री बसुमतारी :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की संयुक्त कार्यवाही परिषद् ने उस समय तक हड़ताल स्थगित रखने का निर्णय किया है, जब तक भारतीय चिकित्सा संस्था को सम्बद्ध मामलों पर बातचीत करने का अवसर उपलब्ध है।

(ख) क्या मंत्रिमंडल सचिव डाक्टरों द्वारा उठाये मामलों पर विचार करने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसके द्वारा दिल्ली राज्य क्षेत्र में स्थित अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा डिस्पेंसरियों में काम को एक अनिवार्य सेवा घोषित किया गया है ; और

(घ) इस विवाद के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है और इसे सुलझाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) सरकार ने तथाकथित केन्द्रीय सेवा अधिकारियों की संयुक्त कार्यवाही परिषद् द्वारा 23 दिसम्बर, 1965 को पारित किया गया वह प्रस्ताव देख लिया गया है जिसमें उन्होंने अनिश्चित काल तक हड़ताल करने के बारे में कार्यवाही स्थगित करने का निश्चय किया गया है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कुछ सदस्य मंत्रिमंडल सचिव से मिले। सचिव ने उन्हे बतलाया कि सरकार उनकी कथित शिकायतों पर ध्यान देगी और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियमों के संशोधन को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दे देगी।

(ग) 1964 में दिल्ली के मुख्यायुक्त ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार दिल्ली संघ के स्थित अस्पतालों और नर्सिंग होमों में काम को एक अनिवार्य सेवा घोषित किया गया था । 22 दिसम्बर, 1965 को उन्होंने एक और अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार डिस्पेंसरियों के काम को भी अनिवार्य सेवा में सम्मिलित कर लिया गया क्योंकि यह बात पहली अधिसूचना में नहीं आई थी ।

(घ) उनके प्रत्यावेदनों पर उचित विचार किया गया है और सरकार इस सेवा के सदस्यों को दी गई शर्तों और आगे उदार करने का विचार रखती है ।

ग्रामीण जनशक्ति

287. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 402 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जनशक्ति का उपयोग करने के प्रस्ताव अन्तिम रूप में तैयार किये जा चुके हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : जैसा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के ज्ञापनपत्र में दिया गया है—संसाधन, परिव्यय और कार्यक्रम—ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन कार्यों और सामुदायिक अस्तियों के निर्माण के लिये ग्रामीण जनशक्ति के प्रभावशाली उपयोग के लिये चतुर्थ योजना में एक बड़े ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम का उपबन्ध किया गया है। कार्यक्रम के वित्तीय आवंटन और ब्यौरे के संबंध में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है । ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रमों और पहाड़ी क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों के लिये इस समय 148 करोड़ रु० के उपबन्ध का प्रस्ताव किया गया है ।

Small Irrigation Schemes

288. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have evaluated Minor Irrigation Schemes of the last three Five Year Plans ;

(b) whether it is a fact that only 30 per cent of the full capacity of these schemes could be utilised for agricultural purposes ; and

(c) whether any instructions have been given in the evaluation report to effect improvements in the future

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) No, Sir.

However, at the instance of the Planning Commission, the Programme Evaluation Organisation conducted in 1960-61 a study of the Problems of Minor Irrigation. The objectives of the study were, among others to analyse the problems of utilisation of existing minor irrigation works and to assess their impact on the cropping pattern since 1955-66.

(b) No, Sir.

The study showed, however, a considerable degree of under-utilization of the irrigation potential of the minor works. In the sample villages (126 in all), 46% of the potential of the existing minor irrigation works was utilised in kharif season and 70% in rabi season of 1959-60.

(c) The Report on the Study of the Problems of Minor Irrigation raised a number of issues for consideration. In case of the larger works owned by the States like State tubewells, Bhandaras, the under-utilisation results from factors like divergence between the official and the farmers lines of thinking in the matter of cropping patterns. In the case of wells and pumpsets, under-utilisation generally results when wells have not been *sited* or spaced by the individual owners keeping in view the larger needs of the neighbour-cultivators or of the community. The Report stressed the desirability of efforts to correlate the capacity of pumpsets and tubewells to the irrigational needs of the farmers. With a view to attaining the higher level of utilisation, there is need for more critical examination of the demand for water in relation to type of crops to be grown before siting a tubewell. The non-prevalence of the practice of sale of water by owners of pumpsets has also stood in the way of full utilisation of the available capacity.

सिन्धु जल आयोग की बैठक

289. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री लाटन चौधरी :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत सरकार को सिन्धु जल आयोग की अगली बैठक कोलम्बो में रखने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) संधि की धारा 8(5) में विशेष रूप से यह दिया गया है कि स्थाई सिंधु आयोग की बैठकें भारत और पाकिस्तान में बारी बारी से हों। चूंकि आयोग की गत बैठक पाकिस्तान में हुई थी, भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि अगली बैठक दिल्ली में की जाये । पाकिस्तान ने दिल्ली में बैठक के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिये योजना सम्बन्धी सहायता

290. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने संयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार से आगामी वर्ष की अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये दोनों राज्यों को केन्द्रीय सहायता का अंश 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 80 प्रतिशत कर देने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इन राज्यों ने संयुक्त रूप से कुछ योजनायें बनाई हैं, जिनको दोनों राज्य संयुक्त रूप से क्रियान्वित करेंगे ;

(घ) यदि हां, तो वे योजनायें कौन सी हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन योजनाओं की जांच कर ली है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

1966–67 की योजना के लिये साधन

291. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री लाटन चौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों से वर्ष 1966-67 की वार्षिक योजना के लिए पर्याप्त साधन जुटाने हेतु आपातिक करारोपण कर लगाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हा, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) योजना आयोग ने 1966-67 में राज्य योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों द्वारा 120 करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाने का सुझाव दिया है ।

(ख) योजना आयोग से विचार विनिमय के दौरान, राज्य सरकारें 1966-67 की राज्य योजनाओं के लिये लगभग 102 करोड़ रुपये चालू वर्ष और या 1966-67 में करों में और सिंचाई की दरों में संशोधन कर तथा बिजली प्रतिशुल्क इत्यादि में परिवर्तन कर अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए रजामंद हो गये थे। इस धनराशि के काफी भाग को जुटाने के लिए पहलेही कदम उठाये जा चुके हैं या राज्य सरकारों द्वारा घोषित किये जा चुके हैं। अतिरिक्त राशि का बकाया जिसे अभी जुटाया जाना है उसकी स्थिति को जानकारी तभी मिलेगी जब राज्य सरकारें अपना 1966-67 का बजट प्रस्तुत कर देंगे ।

ताजेवाला हेड-वर्क्स

292. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ताजेवाला हैड-वर्क्स के स्थान पर एक नया बांध बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुझाव कहां तक मान लिया गया है और इससे संभवत: क्या लाभ होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) सिंचाई व बिजली राज्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि दक्षिण तलकपाट भाग को प्रयोग में लाकर वर्तमान स्थल पर एक बराज का निर्माण करके वर्तमान कार्यों का पुनरुपण किया जाए।

(ख) उत्तर प्रदेश वर्तमान संरचना से पूर्वी यमुना नहर में पानी के अपने भाग को लेने में कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश और पंजाब की राज्य सरकारों ने इस सुझाव को मान लिया है। लाभ यह होगा कि पूर्वी जमना नहर को अपने हिस्से की सप्लाई किसी कठिनाई के बिना ही मिलेगी।

व्यय में मितव्ययता

293. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बाल्मीकी :
श्री नारायण दास:
श्री नारायण रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना, गैर-योजना तथा गैर-विकास व्यय में कितनी और किस रूप में मितव्ययता की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में, तीन सचिवों की एक तदर्थ (एड हाक) समिति ने मंत्रालयों के गैर-आयोजना सम्बन्धी खर्च की जांच की थी। समिति के सामने लक्ष्य यह था कि वर्तमान परिस्थितियों में जिन कामों के बिना गुजारा हो सकता है उन कामों में कमी करके या उन्हें स्थगित करके और सामान्य प्रशासनिक व्यय में अन्य सम्भाव्य उपायों द्वारा खर्च में कमी कर के 1965-66 की तुलना में 1966-67 के खर्च में, जहां भी सम्भव हो वहां 10 से 15 प्रतिशत तक की कमी की जाय। अगले वर्ष के लिए, मंत्रालयों के गैर-आयोजना सम्बन्धी बजट इसी समिति के सुझावों के आधार पर तैयार किये गये हैं।

1966-67 के लिए आयोजना सम्बन्धी व्यय के अनुमान, खर्च में कमी करने की आवश्यकता, साधनों की उपलब्धि और रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं सहित अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग के परामर्श से तयार किये गये है।

(ख) और (ग) : सितम्बर 1965 में जो स्थिति पैदा हो गयी थी उसे देखते हुए, प्रशासनिक और निर्माण सम्बन्धी व्यय में कमी करने के उपायों के बारे में प्रशासनिक प्राधिकारियों को हिदायतें दे दी गयी हैं। कार्यालयों में कितने और कैसे कर्मचारी रखे जाये और वहां काम करने के तरीकों में कसे सुधार किया जाय इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिये जाने वाले अध्ययन के अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक (स्टाफ इन्स्पेक्शन यूनिट) ने, जहां भी आवश्यक हो वहां जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों का पता लगाने और काम के प्रतिमानों में संशोधन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों के कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन करने का अपना कार्यक्रम तेज कर दिया है। कार्यकुशलता बनाये रखे हुए, सरकार के खर्च में मितव्ययता के स्थलों का पता लगाना जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है और इस ओर सरकार का बराबर ध्यान रहता है।

सिंचाई परियोजनाओं का मूल्यांकन

294. **श्री लिंग रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, देश में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सिंचाई क्षमता के सम्बन्ध में कायक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रतिवेदन की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार निर्मित सिंचाई क्षमता को कृषि के लिये उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के हेतु बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्मित समस्त सिंचाई क्षमता को कृषि के लिये प्रयोग में लाने के लिये सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : योजना आयोग की कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था द्वारा किये गये अध्ययन सिंचाई संभाव्यता के मंद उपयोग के पूर्व ज्ञात कारणों की पुष्टि करते हैं। इस मन्दता के मुख्य कारण ये हैं— जल मार्गों के निर्माण में देरी, नहरी पानी की उपलब्धता के साथ साथ क्षेत्रीय नालियों का समकाल होना, भूमि अर्जन समस्याएं, किसानों द्वारा अनुभत वित्तीय कठिनाईयां, आदि।

इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये बहुत सी राज्य सरकारों ने पहले से ही कानन बना दिये हुए हैं जिन के अन्तर्गत निर्माण तो वे करेंगे और उनकी लागत लाभानुभोगियों से वसूल की जाएगी। बहुत सी राज्य सरकारों ने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये नई परियोजनाओं की कमान में क्रमोन्नत जल-करों का प्रबन्ध भी किया है।

केन्द्रीय नदी बोर्ड

295. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नदी बोर्ड गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जिन आवश्यक कार्यों को नदी बोर्डों को दिये जाने का विचार किया गया था उन को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग करे इसके लिए आयोग को पुष्ट करने का फसला किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बाँड और प्रतिरक्षा ऋण योजनायें

296. **डा० श्रीनिवासन :**
श्री परमशिवन :
श्री काशीनाथ पांडे :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री हेमराज :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री काजरोलकर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रा० बरुआ :
श्री धर्मलिंगम :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजदेव सिंह :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण योजना के लिए अब तक कुल कितना स्वर्ण प्राप्त हुआ है ;

(ख) राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ऋण योजनाओं में अब तक कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) क्या जनता ने सरकार की प्रत्याशानुरूप इन योजनाओं का सक्रिय स्वागत किया है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : 14 फरवरी, 1966 तक प्राप्त हुए अभिदान इस प्रकार हैं :—

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्वर्ण बाँड, 1980 . . .	9,917 किलोग्राम
$4\frac{1}{4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ऋण, 1968 . .	10.27 करोड़ रु०
$4\frac{3}{4}$ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा ऋण, 1972 . . .	15.81 करोड़ रु०

(ग) समूची तौर पर प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है।

रैन बसेरे

297. **श्री रा० गि० दुबे :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में पटरियों पर रहने वाले लोग जो रैन बसेरो में सोते हैं रोगी पाये गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे कभी-कभी छूत की बीमारी से पीड़ित होते हैं ; और

(ग) बीमारी को फैलने से रोकने के लिये ऐसे रोगियों को पृथक् रखने के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी हां, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम बताई गयी है ।

(ग) छूत की बीमारियों वाले व्यक्तियों को रैन बसेरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, अपितु उन्हें अस्पताल में भेज दिया जाता है । अन्य बीमार व्यक्तियों को या तो हिन्दूराव अस्पताल में भेज दिया जाता है अथवा कश्मीरी गेट के रैन बसेरे में सिक वार्ड जहां इस प्रयोजन के लिए 8 बिस्तरों की व्यवस्था की गयी है । हिन्दुराव अस्पताल को निदेश दिये जा चुके हैं कि यदि बीमारों को स्थान देने की आवश्यकता पड़े तो टैन्ट लगा लें ।

Electric Consumption by Ministers

298. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the monthly consumption of electricity at the residences of the Ministers of the Central Cabinet during the period from October, 1965 to January, 1966 ;

(b) whether a statement showing the details of consumption of electricity by the Ministers residing within the precincts of the President's Estate will be laid on the Table of the House ;

(c) whether there has been some reduction in the consumption of electricity at the residences of the Ministers in view of the emergency ; and.

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

(c) and (d). Consumption of electricity depends on climatic conditions and individual requirements depending on various factors from time to time. However, the expenditure on the consumption of electricity and water is subject to the voluntary ceiling of Rs. 2,400/- per annum and any excess is to be borne by the Ministers concerned.

Reservation of Plots for Military Personnel

299. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shrimati Savitri Nigam :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri P. R. Chakraverti :**
Shri Subodh Hansda : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Bade :**
Shri P. C. Borooah : **Shri Kajrolkar :**

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have suggested to the State Governments to reserve developed plots and houses, which are to be constructed under the various Housing Schemes, for military personnel also ;

(b) if so, the broad details of the proposal ; and

(c) the reaction of State Governments thereon ?

Minister of Works Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) The State Governments have been advised to reserve for Defence personnel and their dependants 15% of (i) plots developed in rural and urban areas under our schemes; and (ii) houses or flats built for sale outright or on hire purchase basis under our Low Income and Middle Income Groups Housing Schemes. The allotment of this reserved quota is to be made in the following order of priority :

(1) disabled service personnel who have no proper accommodation of their own ;

(2) widows or other dependants of defence personnel who have been killed in action ;

(3) families of service personnel posted in field areas who have no accommodation of their own ; and

(4) other serving personnel.

(c) The reaction of the State Governments is generally favourable.

पूर्व-निर्मित भवन-निर्माण कारखाना

300. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया से अनंगपुर में चलाये जा रहे पूर्व-निर्मित भवन-नि ण कारखाने में छः महीने में मकान बनाये जा रहे हैं जो सस्ते हैं और टिकाऊ हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भवन-निर्माण के इस तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठाय गए हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) अनंगपुर रोड (पंजाब) पर इन्डो आस्ट्रो कारपोरेशन द्वारा संचालित फैक्ट्री हाउसिंग फैक्ट्री नहीं है। यह केवल कुछ प्रैसट्रैस्ड रूफिंग कम्पोनेन्ट तथा वुड-वुल बोर्डस आदि बनाती है। कारपोरेशन द्वारा उद्विकसित एक विशेष प्रकार का मकान निर्माणाधीन है तथा प्रयोगात्मक स्तर पर है। उस की निर्माण की लागत को अन्य परम्परागत टाईप के निर्माण से तुलना करने के लिए लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नई निर्माण पद्धति की संरचनात्मक दृढ़ता तथा स्थाइत्व की भी परीक्षा होनी है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि निर्माण की नई पद्धति से दीवारों में सीमेंट अधिक मात्रा में लगता है। इस प्रकार, सीमेंट की कमी को तथा ईंट और स्थानीय उत्पादित अन्य सामग्री के द्वारा निर्माण की तुलना में अधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए इसका क्षेत्र सीमित होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटी बचतों में अंशदान

301. **श्री दाजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1956–57 से लेकर 1964–65 तक छोटी बचतों के रूप में वर्षवार विभिन्न भविष्य निधियों में जमा होने वाली राशि कितनी कितनी थी; और

(ख) इस अवधि में छोटी बचतों से कुल कितना धन जमा हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	छोटी बचतों द्वारा जमा की गई कुल शुद्ध राशि	कर्मचारी भविष्य निधि	कोयला खान भविष्य निधि
1956–57	61,52	76.24	29.10
1957–58	69,56	1,10.48	35.00
1958–59	78,45	1,26.27	46.50
1959–60	84,31	1,97.17	84.45
1960–61	1,05,16	3,24.20	80.25
1961–62	87,80	4,80.82	1,07.50
1962–63 . . .	72,93	5,14.20	1,07.50
1963–64	1,27,54	6,11.29	2,88.00
1964–65	1,29,77	7,72.70	1,45.00

(केन्द्रीय तथा राज्य भविष्य निधियों में शेष राशियों का विनियोजन नहीं किया गया है।)

नई दिल्ली में स्टैट बैंक की शाखा से धन का गुम हो जाना

302. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में भारत के राज्य बैंक की पटेल नगर, नयी दिल्ली शाखा में 65,000 रुपये कम पाये गये ;

(ख) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ;

(ग) क्या अब तक किसी अपराधी का पता चला है और क्या यह धन वसूलकर लिया गया है और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) से. (घ) : इस मामले की जांच बैंक द्वारा की गयी और बाद में इसकी रिपोर्ट पुलिस को दी गयी। सम्बद्ध व्यक्ति का अभी तक पता नहीं लगा, पर पुलिस की जांच-पड़ताल अब भी जारी है।

खेतिहर मजदूर

303. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा०राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए खेतिहर मजदूरों संबंधी अध्ययन दल ने सघन रोज़गार कार्यक्रम की सिफ़ारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम से कुल कितने श्रमिकों को लाभ पहुंचेगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) खेतीहर मज़दूरों के लिए किन दिशाओं में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की जाय, इस पर खेतीहर मज़दूर, ठेके के मज़दूर और अन्य कामगरों के दलों श्रम सम्बन्धी पैनल द्वारा गठित श्रम सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति और अध्ययन दल द्वारा विचार किया गया। जो मुख्य सुझाव दिये गये हैं उनका सम्बन्ध :

(1) कृषि के सघन विकास द्वारा कृषि रोजगार का विस्तार करना ;

(2) कृषि योग्य बंजर भूमि और फालतू भूमि पर खेतीहर मज़दूरों को बसाकर ;

(3) सहायक कायक्रमों जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन और पशुपालन का सघन विकास करना;

(4) ग्रामीण जन शक्ति का विशेषकर मंदी के मौसम मे भूमि संरक्षण, छोटी सिंचाई, वन्यरोपण, ग्रामीण संचार इत्यादी के उपयोग के लिये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम तयार करना और

(5) ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना, से है ।

(ख) और (ग) : उपयुक्त आधार पर विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जाने है और उनका समावेश चौथी पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा । वर्तमान स्थिति में यह बताना कठिन है कि कितने मजदूरों की इससे लाभान्वित होने की सम्भावना है ।

तूत्तुकुडि तापीय संयंत्र

304. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूत्तुकुडि तापीय संयंत्र की स्थापना के बारे में केन्द्र और मद्रास राज्य सरकार के बीच काफी मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो इस मतभेद को दूर करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) : चौथी योजना में तूतिकोरिन ताप बिजली परियोजा को प्रतिष्ठापित करने की उपयुक्तता पर भारत सरकार कुछ समय से विचार कर रही है। परियोजना रिपोर्ट, जिसका तकनीकी परीक्षण किया जा चुका है, को सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा बिजली परियोजना सलाहकार समिति को उनकी आगामी बैठक में विचार करने के लिये प्रस्तुत कर दिया गया है ।

Power Generation in Delhi

305. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 753 on the 9th December, 1965 and state :

(a) the time by which generation of Power in Delhi will be augmented upto 140 megawatts ; and

(b) the estimated increase in production likely to be achieved by making power available to small industries ?

The Minister for Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The augmentation of power generation in Delhi by 140 MW comprises the following schemes :

(i) 15 MW unit.

(ii) Two of the three 62.5 MW units under installation at the Indraprastha Station Extention (one belongs to the Punjab State Electricity Board).

The commissioning dates as anticipated now are as follows :

(i) 15 MW unit March/April, 1966.

(ii) 1st 62.5 unit September/October, 1966.

(iii) 2nd 62.5 unit February, 1967.

(iv) 3rd 62.5 unit April 1967.

(b) The Delhi Administration have not so far made any such assessment. However, the Delhi Electric Supply Undertaking expects to meet in full the demand for power for small industries.

Raids by Income-Tax Authorities in Kanpur and Jalaun

306. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2211 on the 9th December, 1965 and state :

(a) whether the enquiry into the cases in respect of which raids were carried out by the Income-Tax Officials at Jalaun and Kanpur on the 23rd and 24th November, 1965 has since been completed ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) Enquiries are still in progress.

(b) Does not arise.

Delhi Hospitals

307. Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhvaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that patients have to spend several hours to take medicines, etc. from the hospitals in Delhi ; and

(b) if so, the steps taken to improve the system ?

The Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) No.

(b) The question does not arise.

Slums in Delhi

308. Shri Bade : **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Gulshan :**

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) the time by which Government propose to clear the slums in Delhi and its surrounding areas ; and

(b) the number of these colonies and the places where these are situated ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) It is difficult to give an estimate. This will depend upon (*a*) the cooperation of owners of slum areas in the improvement and clearance of those areas; (*b*) . Willingness of the slum dwellers to go to places other than those where they are at present residing ;(*c*) availability of land outside the City ; and (*d*) allocation of funds.

(b) The slums in Delhi are spread over the following areas :

(1) Ward Nos. I to XX of the Delhi Municipal Corporation.

(2) Malkaganj Road, Bouleward Road, Ridge, area outside Mori Gate within the limits of the old Notified Area Committee, Civil Station.

(3) Kotla Mubarakpur.

(4) Harijan Basti on Ridge Road, behind Balmiki Temple and Reading Road Police Station.

(5) Pillanji Village along Kushak Nala, opposite 'Z' Block of Main Vinay Nagar.

(6) Gur-ki-Mandi and Rajpura village near Sabzimandi.

(7) Basti Jamil-Shahdara-Delhi.

(8) West Rohtas Nagar area and land behind Rehman Building, Shahdara-Delhi.

(9) Sudama Puri, Najafgarh Road.

(10) South Gandhi Nagar, Shahdara-Delhi.

वित्त आयोग द्वारा किया गया नियतन

309. श्री विभूति मिश्र :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "वित्त आयोग द्वारा किया गया नियतन अनुचित है, राज्यों के प्रयासों स्पष्टीकरण" "फाइनेंस कमीशनज़ ऐलोकेशन अनफेयर, स्टेट ऐफर्ट्स ऐक्स्प्लेंड" शीर्षक से 23 दिसम्बर, 1965 के "स्टेसमैन" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या बिहार के वित्त मंत्री ने 20 दिसम्बर, 1965 को बिहार विधान सभा में कहा था कि अगले पांच वर्षों में केन्द्रीय पुंज से राज्य के लिये चतुर्थ वित्त आयोग द्वारा किया गया 197.5 करोड़ रुपय का नियतन 'अनुचित' था ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को संतुष्ट करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं। 23 दिसम्बर, 1965 के स्टेट्समेन के कलकत्ता नगर के संस्करण में एसा कोई समाचार नहीं था।

(ख) राज्य सरकार से बिहार के वित्त मंत्री के भाषण की एक प्रामाणिक प्रति मांगी गई है। तथापि वहां की सरकारने भारत सरकार को सूचना दी है कि यद्यपि मंत्री द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान वित्त आयोग के पंचाट और बिहार पर इसके सामान्य प्रभाव का ज़िक्र किया गया था।

(ग) बिहार सरकार से इस मामले में भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । वित्त आयोग की सिफारिशों को एक पंचाट के रूप में माना जाता है । इस लिये किसी राज्य सरकार को संतुष्ट करने के लिये कोई कदम उठाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर

310. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों द्वारा "नियमानुसार काम करने" से रोगियों के उपचार पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) वे हड़ताल से पूर्व कितने रोगियों को देखते थे तथा हड़ताल के बाद उन्होंने कितने रोगी देखे ; और

(ग) डाक्टरों के नियमानुसार काम करने के फैसले के कारण रोगियों को कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग): तथाकथित "नियमानुसार काम करने" से किसी अस्पताल में रोगियों के उपचार पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है । केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के मामले में औषधालयों के प्रभावी चिकित्सीय अधिकारियों को पूर्वोपाय के रूप में हिदायतें जारी की गई थी कि यदि काम बन्द किया गया अथवा रोगियों को असुविधा पहुंची तो उनको व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया जायेगा । इसके बाद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अस्पतालों और औषधालयों के नियमित रूप से दौरे लगाये गये ।

आन्दोलन के पूर्व तथा बाद के सप्ताहों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आने वाले रोगियों की संख्या इस प्रकार थी :—

19–11–1965 से 5–12–1965 . . .	21,863 (6 दिन)
6–12–1965 से 12–12–1965 .	19,095 ($5\frac{1}{2}$ दिन)
13–12–1965 से 19–12–1965	23,952 (6 दिन)

पोंग तथा पाण्डोह से हटाये गये लोगों का पुनर्वास

311. **श्री हेम राज :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार का पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के साथ पोंग तथा पाण्डोह बान्धों से हटाये गये लोगों को भूमि देने के बारे में समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अनुसार कुल कितनी भूमि दी जायेगी और प्रति परिवार इसका वितरण किस प्रकार किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान सरकार पंजाब और हिमाचल के विस्थापितों को अलाट करने के लिये 3.25 लाख एकड़ भूमि पृथक रख छोड़ेगी । प्रत्येक विस्थापित को जो क्षेत्र अलाट किया जाएगा उन की

सूचियां पंजाब सरकार द्वारा बनाई जाएंगी और राजस्थान सरकार को भेजी जाएंगी तथा राजस्थान सरकार औपचारिक रूप से अलाटमेंट आदेश जारी करेगी।

युद्ध जोखिम बीमा

312. **श्री हेम राज :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दलजीत सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री 9 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न 748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध जोखिम बीमा लागू करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी): (क) से (ग) : सरकार ने इमारतों, माल ढोने वाली मोटर-गाड़ियों और सवारी मोटर गाड़ियों के संबंध में आपात जोखिम के लिये स्वेच्छा से बीमा कराने की एक योजना तैयार की थी। ताशकंद घोषणा तथा इसके परिणाम स्वरुप शांति के वातावरण में जो सुधार हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की क्रियान्विति को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

313. **श्री हेम राज :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों के भिन्न भिन्न कार्यकारी दलों ने देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के संबंध में अपने अपने प्रस्ताव पेश कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर कितना धन खर्च होगा और चौथी पंचवर्षीय योजना में उनका स्थान क्या होगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है तथा खादी उद्योग, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग और परिवहन सम्बन्धी कार्यकारी दलों के प्रतिवेदनों की अभी इन्तजारी की जा रही है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी के दौरान कार्यकारी दलों द्वारा जिन कार्यक्रमों की सिफारिश की गई है उनको ध्यान में रखा जायेगा।

रामगढ़ (राजस्थान) में आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे

314. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग का एक अधिकारी जयपुर के निकट रामगढ़ में एक व्यापारी के इस्पात से बने हुए एक बड़े कमरे को जबरन खोलने के लिये विमान द्वारा जयपुर गया था;

(ख) क्या कमरे को खोलने के लिये "आक्सी-ऐसीटाइलोन" फ्लेम का प्रयोग किया गया था;

(ग) क्या कमरा खोल दिया गया था और उस में कौन-कौन सी चीजें मिलीं थीं; और

(घ) यह कमरा किसका था ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) पांच आयकर अधिकारियों को एक व्यापारी के मकान की तलाशी लेने के लिए रामगढ़ भेजा गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कमरा खोला गया था और सोने के पास 85.61 किलोग्राम, सोने तथा मोतियों के गहने 12 किलोग्राम, नकद 15,784 रुपये और लगभग 7,000 रुपय के मूल्य के चांदी के पुराने सिक्के पाये गये।

(घ) कमरा उस व्यापारी का था जिसके मकान की तलाशी ली गयी थी।

महंगाई भत्ते का सूत्र

315. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने से सम्बन्धित सूत्र में परिवर्तन करने के बारे में दास आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नया सूत्र अपनाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : दूसरे वेतन आयोग के मौजूदा सूत्र (फार्मूला) के अनुसार, श्रमिक वर्ग के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में जब कभी पिछले 12 महिने में औस्तन 10 अंकों की वृद्धि हो जाती है, तो महंगाई भत्ते की दरों पर फिर से विचार किया जाता है। दास निकाय ने इस सूत्र की उसके दोनों पहलुओं, अर्थात् समय और अंकों की संख्या या उनमें से किसी एक पहलू की दृष्टि से, ऐसे लचीले ढंग से फिर से जांच करने का सुझाव दिया था जिससे असामान्य स्थिति में विशेष कार्रवाई की जा सके, लेकिन निकाय ने सूत्र में संशोधन करने की कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी।

जांच करने से पता चला कि समय की अवधि को घटाने का अर्थ यह होगा कि मूल्यों के सूचक अंक में होने वाली मौसमी घटबढ़ के कारण भी महंगाई भत्ते की दरों में परिवर्तन किये जायें और अंकों की संख्या को घटाने से महंगाई भत्ते की दरों में बार-बार परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसे बजट सम्बन्धी और प्रशासनिक कारणों से अस्वीकार करना पड़ा। राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया, क्योंकि सूत्र में किये जाने वाली किसी भी परिवर्तन का प्रभाव उन सरकारों की अपने कर्मचारियों सम्बन्धी नीतियों पर पड़ता। अधिकांश राज्यों की सरकारों ने, मौजूदा सूत्र में परिवर्तन किये जाने का विरोध किया। इन परिस्थितियों में, सरकार ने यही ठीक समझा कि दूसरे वेतन आयोग के मौजूदा सूत्र में कोई परिवर्तन करना व्यावहारिक नहीं है।

हुगली नदी पर पुल

316. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता को हावड़ा के साथ मिलाने के लिये हुगली नदी पर सड़क का एक नया पुल बनाने के प्रस्ताव पर कहां तक विचार किया जा चुका है ;

(ख) क्या कोई योजना तथा प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं; और

(ग) यह काम किसको सौंपा जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) परियोजना के इंजीनियरिंग नमूने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अध्ययन प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी क्षेत्र में परिवहन

317. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पूर्वी क्षेत्र में परिवहन आयोजन संबंधी संयुक्त तकनीकी दल के कार्य में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है;

(ख) क्या दल द्वारा आरम्भ किये गये सर्वेक्षण कार्य के लिये संबद्ध राज्य सरकारों से कोई विशेषज्ञता सहायता मांगी गई थी; और

(ग) क्या हल्दिया पत्तन प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर ध्यान दिया जायेगा।

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) पूर्वी क्षेत्र का परिवहन-सर्वेक्षण दो चरणों में किया जा रहा है। 'क' चरण के अधीन अध्ययन में विभिन्न परिवहन साधनों की उपलब्ध क्षमता का मूल्यांकन होगा और यह भी कि 1965-66 तक की अवधि के लिए इन क्षमताओं का किस हद तक उपयोग किया जा सकेगा। 'ख' चरण के अधीन अध्ययन में उस क्षेत्र में परिवहन की भावी

आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाएगा, ऐसा करते समय 10-15 वर्ष की अवधि में उसकी क्षमता के आर्थिक विकास को ध्यान में रखा जाएगा और यह भी कि ऐसे विकास को कायम रखने के लिये कितनी परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होगी। 'क' चरण के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़ एकत्र किए गए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है। 'ख' चरण की कार्य-पद्धति से संबंधित विषयों पर भी विस्तारपूर्वक विचार किया गया है और 'ख' चरण के अन्तर्गत आंकड़े एकत्र करने का काम शुरू हो गया है।

(ख) परिवहन आयोजन के निमित्त संयुक्त तकनीकी दल के तत्वावधान में कलकत्ते में स्थापित विशेष सर्वेक्षण यूनिट द्वारा सर्वक्षण का काम किया जा रहा है। उक्त दल का गठनयोजना आयोग, रेल मंत्रालय और परिवहन, उड्डयन, जहाज़रानी व पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से किया है। पुनर्निर्माण व विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने सर्वेक्षण यूनिट के अंग के रूप में काम करने के लिए पांच विशषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है। पश्चिमी बंगाल, बिहार व उड़ीसा की राज्य सरकारें सर्वेक्षण में सहयोग दे रही हैं और उन्होंने इस यूनिट के साथ काम करने के लिए तकनीकी एककों का निर्माण किया है।

(ग) हल्दिया अध्ययन दल द्वारा एकत्रित आंकड़ों पर सर्वेक्षण यूनिट विचार करेगी।

कुष्ठ के रोगियों को प्रशिक्षण

318. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द कुष्ठ निवारण संघ की पश्चिम बंगाल शाखा को, कुष्ठ के रोगियों अथवा उन लोगों को, जो इस रोग से मुक्त हो जाते हैं, दस्तकारी, कुटीर उद्योगों, कृषि सम्बन्धी तथा प्रारम्भिक इंजीनियरी का प्रशिक्षण देने हेतु एक केन्द्र स्थापित करने के लिये, केन्द्रीय सरकार की ओर से किस प्रकार की सहायता प्राप्त होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): एक समिति जो जनवरी 1964 में बनाई गई थी वह अब भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों में पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये एक योजना बनाने में लगी हुई है। समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने के पश्चात परियोजना के लिये कुछ संस्थानों को केन्द्रीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

हैजा और चेचक महामारियां

319. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि निकट भविष्य में मिदनापुर तथा नाडिया जिलों को हैजा तथा चेचक महामारियों का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) क्या इन रोगों की रोकथाम करने तथा इन पर नियंत्रण रखने के लिये उन क्षेत्रों में महामारी रोग अधिनियम के अन्तर्गत अस्थायी विनियम प्रख्यापित किये गये हैं; और

(ग) इस मामले में केन्द्र पश्चिमी बंगाल सरकार की किस प्रकार सहायता करने जा रहा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी हां, गंगासागर मेला के अवसर पर एक पूर्वोपाय के रूप में।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रानीगंज कोयला खान क्षेत्रों के लिये जलकल (वाटर वर्क्स) योजना

320. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या स्वास्थ्य तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजीगंज कोयला खान क्षेत्र के लिए 50 करोड़ रुपये की एक जलकल योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना में कौन-कौन भागीदार है; और

(ग) पानी कहां से लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) रानीगंज कोयला क्षेत्रों को जल संभरण की योजना के तीन भाग हैं जो कि संभरण के तीन स्रोतों पर आधारित है और जिसकी अनुमानित लागत 7.70 करोड़ रु० है। भारत सरकार 3.54 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर योजना के प्रथम भाग को (स्रोत मैथोन जलाशय) मंजूरी देने के लिये राज़ी हो गई है। शष दो भागों को मंजूरी देने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा।

(ख) योजना के भागी इस प्रकार हैं :—

(एक) केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय।

(दो) कोयला खान कल्याण निधि (श्रम रोज़गार तथा पुनर्वास मंत्रालय के द्वारा)।

(तीन) पश्चिम बंगाल सरकार।

(चार) हिताधिकारी जैसे कि कोयला खान मालिक, पंचायतें आदि।

(ग) मैथोन जलाशय दामोदर घाटी अजोय नदी।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण

321. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वाल्मीकी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनके बारे में क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहंमद) : (क) जी, हां।

(ख) इस समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) कोल्लेरु बेसिन

1. बाढ़ों के दौरान बड़े बड़े क्षेत्रों की जलमग्नता को कम करने के लिये नालों के सेक्शनों को अभिकल्पानुसार चौड़ा और गहरा करके उनका सुधार करना।
2. बुदामेरू, थम्मीले , और येराकलवा नदियों के उपर 'डिटेन्शन' जलाशयों का निर्माण।
3. ब्रह्मय्या लिंगम और सागुरु अपनी तालाबों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि लाना।
4. विजयवाड़ा के निकट बुदामेरु तक एक सीधी काट का प्रबन्ध।
5. इल्लोर नहर क्रासिंग से कोल्लेरू झील तक की पहुंच में बुदामेरु नदी के वर्तमान तटबन्धो को ऊंचा और पक्का करना।
6. तटबन्धों का निर्माण कर के इल्लोर शहर का संरक्षण।
7. थम्मीलेरु और पूर्वी थम्मीलेरु नामक निकास नालों के ऊपर रेल पुल के जल-मार्ग का आवर्द्धन।
8. उप्पुतेरु नदी की निस्सार क्षमता का आवर्द्धन और येनामदुर्रु नाले के संगम के बिल्कुल निकट प्रतिस्रोत उप्पुतेरु के 29 वें मील से समुद्र तक एक सीधी काट का प्रबन्ध।
9. किनारे की भूमियों में बाढ़ पानी को आने से रोकने के लिये उप्पुतेरु के साथ साथ बाढ़ तटबन्धों का निर्माण।
10. उप्पुतेरु की उच्च बाढ़ स्थितियों के दौरान, अवरोध को कम करने के लिये बड़े नालों पर पम्पों का प्रबन्ध।
11. उप्पुतेरु के खोदने और रखरखाव के लिये कर्तक चूषण ड्रेजरों (Cutter,. Suction dredgers) का प्रबन्ध।
12. कोल्लेरु झील की क्षमता और उसमें गाद भर जाने की गति का पता करने के लिये इस झील का सर्वेक्षण, बुदामेरु, थम्मीलेरु और गुडेरु, आदि बड़ी सरिताओं का गाद निरीक्षण करना।

(2) डेल्टा क्षेत्रों में नाले

1. नालों को उनके डिजाइन के अनुसार चौड़ा और गहरा करना।
2. समुद्र अथवा कुछ अन्य नालों में, जहां आवश्यक हों, पडने वाली सीधी काटों का प्रबन्ध।
3. सभी डेल्टों में खास खास तरह के नालों का जल निस्सार पर्यवेक्षण।
4. नालों के अनुसन्धान, सुधार तथा रखरखाव की ओर विशेष ध्यान देना।

5. नालों के रखरखाव के लिये पृथक स्टाफ का प्रबन्ध ।

6. नालों के रखरखाव के लिये कर्तक चूषण ड्रेजरों का प्रबन्ध ।

7. उपयुक्त जल निकास कर का लगाना ।

(ग) समिति की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

नर्सों की सेवा की शर्तें

322. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री बाल्मीकी : **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री बागड़ी : **श्री अ० क० गोपालन :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नर्सों की सेवा की शर्तें भिन्न-भिन्न है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन को एक समान बनाने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) समय समय पर सरकार, इस संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद तथा प्रशिक्षित नर्स संस्था द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करती है और उनकी क्रियान्विति के लिये राज्य सरकारों को सिफारिश करती है । परंतु यह एक राज्य विषय है और इसलिये समानता संभव नहीं हो सकी है ।

परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति

323. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बाल्मीकी : **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री बागड़ी : **श्री धुलेश्वर मीना :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **योजना** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन अन्तिम रूप में तयार हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें तथा निष्कर्ष क्या है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति के अन्तिम प्रतिवेदन पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर किये गये थे । प्रतिवेदन सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) : समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाना है ।

सेक्यूलर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली

324. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैक्यूलर कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली के मंत्री (सेक्रेटरी) के विरुद्ध सी० आई० डी० की अपराधी शाखा ने जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) आगे की कार्यवाही दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

शक्ति सर्वेक्षण समिति

325. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शक्ति सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) शक्ति सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रुपये का अवमूल्यन

326. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हेडा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री व० बा० गांधी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस अवमूल्यन से भारतीय मुद्रा कहां तक सुदृढ़ हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री सचिन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

Medicine for Leprosy

327. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that recently a new medicine has been discovered in Israel which is proving very effective in the treatment of leprosy :

(b) whether the same has been tried in our country ; and

(c) if so, the results thereof ?

Minister for Health & Family Planning (Dr. Sushila Nayyar) : (a), (b) & (c). The Government of India has no information in the matter. However, efforts are being made to obtain the information.

International Board for Reconstruction and Development

328. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the International Bank for Reconstruction and Development has prepared a draft of a new scheme for the exporting countries exporters with a view to enable them to get reasonable prices and also to avoid the danger of declining trend in the prices ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) and (b). Presumably the question refers to a study prepared by the staff of the International Bank for Reconstruction and Development on Supplementary financial measures to prevent the disruption of development programmes in less developed countries resulting from unpredictable shortfalls in their export earnings. Brief particulars of the study, as given in a press release issued by the International Bank for Reconstruction and Development on December 9, 1965, are given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. L. T. 5482/66]**

Smuggling of Watches in Delhi

329 Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than three hundred smuggled watches were seized at Fatehpuri, Delhi in December, 1965 ;

(b) if so, the names of the countries from where they were smuggled ;

(c) the estimated cost thereof ; and

(d) the action taken against the smugglers ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) On 14th December, 1965, certain premises connected with a watch dealer of Fatehpuri, Delhi were searched and 326 wrist watches believed to have been smuggled from abroad were recovered.

(b) The wathces are Swiss made.

(c) Rs. 30,000/- approximately.

(d) The case is at present under investigation.

पश्चिम कोसी नहर

330. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने पश्चिमी कोसी नहर के संरेखण (अलाइन्मेन्ट) करने के प्रस्ताव को, जो कि उसे भेजा गया था, स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो संरेखण (अलाइन्मेन्ट) अंतत: किस रुप में स्वीकृत हुआ है;

(ग) इस सम्बन्ध में अब किये गये समझौते की मुख्य मुख्य बातें क्या ह; और

(घ) क्या निर्माण का कोई कार्यक्रम तयार किया गया है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) अभी नहीं। नेपाल सरकार अब भी इस मामले पर विचार कर रही है।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली की नर्सों की शिकायतें

331. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रशिक्षित नर्स संगठन की दिल्ली शाखा ने नर्सों की ये शिकायतें रखी हैं कि उन्हें वर्दी, भोजन तथा धुलाई के लिए इस समय पर्याप्त भत्ता नहीं मिलता; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतें दूर की गई हैं और यदि हां, तो कहां तक ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) महंगाई भत्ते में हाल ही में वृद्धि की गई है। अन्य मामले विचाराधीन हैं।

स्टेशनरी आफिस, कलकत्ता

332. श्री श्रीनारायण दास :

श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित भारत सरकार के स्टेशनरी कार्यालय के संगठन, प्रशासन और संभरण पद्धति मे आमूल परिवर्तन किये जा रहे हैं अथवा निकट भविष्य में किये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इन परिवर्तनों की प्रमुख बातें क्या हैं ?

(ग) यह परिवर्तन किस आधार पर किया जाएगा; और

(घ) क्या ये परिवर्तन करने के लिये बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार कर दिये जायेंगें ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) स्टेशनरी तथा कागज की सप्लाई से संबंधित प्रक्रिया में सुधार करने का विचार है।

(ख) प्रमुख बातें हैं :

(i) भारत सरकार के स्टेशनरी कार्यालय के संचित बजट का विकेन्द्रीकरण तथा मांग पत्र भेजने वालों को अपनी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए निधि की व्यवस्था।

(ii) मांग पत्र भेजने वालों को अपनी कम मूल्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सीधे स्थानीय खरीद अथवा स्टेशनरी कार्यालय या उसके क्षेत्रीय डिपो से नगद भुगतान के द्वारा खरीद की अनुमति दी जाय, तथा

(iii) भारत सरकार के स्टेशनरी कार्यालय का निरीक्षण कार्य उसके कर्मचारियों के साथ पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को हस्तान्तरित कर दिया जाय।

(ग) वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट पर सीधा नियंत्रण रखने की दृष्टि से तथा सप्लाई में विलम्ब कम करने के लिए भी।

(घ) कर्मचारियों के सेवा अधिकारों को संरक्षित करने का विचार है।

रिजर्व बैंक की ऋण सम्बधी नीति

333. श्री श्रीनारायण दास :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1965 में रिजर्व बैंक द्वारा जिस ऋण सम्बन्धि नीति का सूत्रपात किया गया था, क्या उससे सफलता अथवा असफलता का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को ऋण देने के बारे में, क्या कुछ बैंकों ने अपने ऋणियों को ऋण देने में स्वेच्छापूर्वक सख्ती कर रखी है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या रिजर्व बैंक ने स्थिति का सामना करने के लिए कोई उपयुक्त कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग) : बड़े उद्योगों को तथा विशिष्ट प्रतिभुतियों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिय जाने वाले ऋणों और पेशगियों में प्रवृत्तियों की भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा बराबर जांच की जा रही है और स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जा रहा है। यद्यपि प्रतिरक्षा और निर्यात उद्योगों की आवश्यकताओं तथा खाद्यान्न के समाहार के लिये वित्त की व्यवस्था करने के अतिरिक्त प्राथमिकताओं का कोई विशिष्ट क्रम विहित नहीं है अथवा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पालन किया जा रहा है, एसी कोई बात नहीं है कि उद्योग की किसी आवश्यक ज़रुरत की उपेक्षा की जा रही है।

डा० वी० के० आर० वी० राव की जापान यात्रा

334. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव ने अपनी हाल की जापान यात्रा पर कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : भारत और जापान में आर्थिक विकास से सम्बन्धित अध्ययनों के लिये जापानी समिति के अध्यक्ष डा० इचिरे नकायामा के निमंत्रण पर योजना आयोग के सदस्य डा० वी० के० आर० वी० राव, 18 से 24 नवम्बर तक जापान के दौरे पर गये। कार्य की प्रगति की समीक्षा करने तथा अध्ययनों के भावी कार्यक्रम को तैयार करने के लिए भारतीय तथा जापानी समितियों की संयुक्त बैठक हुई। भारत वापिस आने पर डा० राव ने 27, नवम्बर 1965 को पत्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में अपने जापान के दौरे का ब्यौरा प्रस्तुत किया। डा० राव अपने दौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जब वह प्राप्त होगी तो उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

चैकोस्लोवाकिया से ऋण

335. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री लाटन चौधरी :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री उमानाथ :
श्री राम हरख यादव :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री बागड़ी .
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चैकोस्लोवाकिया से भारत को 40 करोड़ रुपया ऋण देने के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस ऋण का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) 11 मई, 1964 को तारीख के करार के अतिरिक्त जिसमें कि भारत को 40 करोड़ रु० का ऋण देने का उपबन्ध है, भारत और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों के बीच कोई करार नहीं किया गया है।

(ख) मई, 1964 में लिया गया ऋण परियोजनाओं के मामले में 2½ प्रतिशत प्रति-वर्ष ब्याज के साथ 12 समान वार्षिक किस्तों तथा पुर्जों के मामले में 8 समान वार्षिक किस्तों में देय है।

(ग) ऋण को परियोजनाओं के निर्माण के लिये मशीनों, औद्योगिक उपकरणों तथा अन्य सामान की खरीद तथा विभिन्न परियोजनाओं के उन उत्पादन कार्यक्रमों के संबंध में काम में लाई जायेगी जिन पर कि दोनों सरकारें सहमत हो जाय।

कम्पनियों पर कर-भार

336. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री काजरोलकर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विनियोजन केन्द्र (इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर) ने भारत में कम्पनियोंपर कर-भार के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदी हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) भारतीय विनियोजन केन्द्र ने अपने 15 दिसम्बर, 1965 के मासिक न्यूजलेटर में भारत में कम्पनियों पर करारोपण में दी गई छूट के प्रभाव का विश्लेषण किया है।

(ख) इस विश्लेषण से यह परिणाम निकलता है कि नई कम्पनियों को विभिन्न कर छूटों से करों के भार में काफी राहत मिलती है।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा धनप्रेषण योजना

337. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिरक्षा धनप्रेषण योजना में हाल ही में संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना क्या है; और

(ग) इस के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) संशोधित योजना में गैर-निर्णयों के लिये उनके अपने खातों में धनप्रेषण करने का उप-बन्ध किया गया है। 11 दिसम्बर, 1965 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में ब्यौरे की रुपरेखा दी गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–5483/66]**

(ग) संशोधन इसलिये किया गया है कि गैर-निशानी न केवल "भेंट" और "परिवार संघटण" के द्वारा ही निवासी भारतीयों को धनप्रेषण कर सकें अपितु विदेशी मुद्रा में काम करने वाली अधिकृत बैंको को भी अपने खातों में धनप्रेषणा कर सकते हैं।

विदेशों से सहायता

338. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों ने तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष में भारत के विकास कार्यों के लिए पृथक्-पृथक् रूप से कितनी सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) इसमें से कितनी सहायता प्राप्त हो चुकी है अथवा मंजूर की जा चूकी है; और

(ग) पूरी सहायता न देने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : भारत की तृतीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिये विभिन्न देशों द्वारा जितनी सहायता देने का वचन दिया गया, जिन राशियों के लिये करार किये गये हैं, क्या देशों का मूल्य तथा जितनी राशि दी गई, ये जानकारी बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5484/66]**

(ग) वचन देने तथा करार के हस्ताक्षर करने में कुछ समय सामान्य रुप से व्यतित हो जाता है और वह समय ऋण देने वाले अभिकरण द्वारा परियोजना अथवा कार्यक्रम के लिये विस्तृत परियोजना सामग्री तथा आवेदनपत्र प्रस्तुत करने में तथा निबन्धनों और शर्तों में लग जाता है। यह पहलु वैदेशिक सहायता के उपयोग संबंधी श्री वी० के० आर० वी० राव समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है जो कि 16 अप्रैल, 1964 को सभापटल पर रखी गई थी। तथापि इस वर्ष अमरिका के वचनों की क्रियान्विति में अतिरिक्त देर लगी है (जैसा कि 18 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 303 के उत्तर में दिया गया है।

सिक्कों का निर्यात

339. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री महेश्वर नायर :
श्री राम हरख यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्कों का निर्बाध निर्यात होने देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया है;

(ग) क्या इससे मुद्रा का अवमूल्यन होने की संभावना नहीं है; और

(घ) किस दर पर सिक्कों का निर्यात किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : नेहरू स्मारक सिक्कों के जारी होने पर यह पता लगा था कि विदेशों के मुद्राशास्त्रियों (न्यूमिसमेटिस्ट) में इन सिक्कों की काफी मांग है। विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से, सरकार ने और भी सिक्कों के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया। लेकिन सिक्कों का निर्यात करने के इच्छुक व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये सिक्के इन भावों पर बेचे जायेंगे :—

(i) चालू सिक्कों को उनके अंकित मूल्य पर बेचा जायगा ।

(ii) जो सिक्के चालू नहीं हैं, उन्हें उनके लागत के ड्योढ़े भाव या उनके अंकित मूल्य के ड्योढ़े भाव में से जो भी अधिक हों, उस पर बेचा जायगा।

(iii) मिण्टप्रूफ सिक्के (नमूने के सिक्के) उनके लागत मूल्य के ड्योढ़े भाव पर बेचे जायेंगे। नमूने के इन सिक्कों की लागत आम तौर पर इनके अंकित मूल्य से अधिक है।

(iv) नेहरू स्मारक सिक्के 15 रुपये प्रति सिक्के के हिसाब से बेचे जायंगे। इन सिक्कों का निर्यात किन भावों पर किया जायगा, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राजस्व की वसूली

340. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री धर्म लिंगम :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965-66 में अब तक केन्द्रीय करों और उगाहियों से राजस्व प्राप्ति मूल प्राक्कलनों से कम रही है;

(ख) यदि हां, तो अलग-अलग करों। उगाहियों से प्राप्तियों में वास्तव में कितनी कमी रही है; और

(ग) इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : 1965-66 के वर्ष के लिये मूल बजट अनुमानों के मुकाबिले में दिसम्बर 1965 के अन्त तक विभिन्न केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों और करों से राजस्व प्राप्तियां निम्न प्रकार हैं :—

	31-12-65 तक उगाहिया (रुपये करोड़ों में)	1965-66 वर्ष के लिये बजट अनुमान (रुपये करोड़ों में)
सीमा-शुल्क	403.16	499.83
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	630.96	827.92
आयकर	336.00	663.10
धन-कर	5.44	13.50
व्यय-कर	.23	1.55
दान-कर	1.06	3.10
सम्पदा शुल्क	3.92	7.00
जोड़ . .	1380.77	2016.00

जहां तक वस्तुओं पर कर (सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क) का सम्बन्ध है, अब तक वास्तविक वसूलियां मोटे तौर पर अनुमानों के अनुरूप हैं। चूंकि राजस्व की उगाहियां, विशेषकर प्रत्यक्ष करों के संबंध में, साल-भर एक जैसी नहीं रहती और बाकी तीन महीनों के रिटर्नों का अभी हिसाब में शामिल करना है, इस समय यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि अब तक की राजस्व प्राप्तियों ने मूल अनुमानों को झूठा सिद्ध किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अप्रयुक्त सिंचाई-क्षमता

341. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात, महाराष्ट्र राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता की भारी समस्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस अप्रयुक्त क्षमता का प्रयोग करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) गुजरात और महाराष्ट्र में 1964-65 के दौरान सिंचाई संभाव्यता का उपयोग क्रमश: 32 प्रतिशत और 65 प्रतिशत था, जब कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सिंचाई संभाव्यता का उपयोग क्रमश: 100 प्रतिशत और 83 प्रतिशत था।

(ख) साधारणतया सिंचाई संभाव्यता का उपयोग करने के लिये समय लगता है। उत्पन्न क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिये राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे किसानों के लिये ऋण सुविधाओं, अच्छे बीजों, खादों, कीटाणु नाशक औषधियों, मंडियों तक उत्कृष्ट संचार सेवाओं

खेती (शस्या-योजना) और जल प्रयोग के वैज्ञानिक उपायों के प्रति मार्ग दर्शन के प्रबन्ध हेतु क्षत्रीय विकास कार्यक्रम हाथ में लें। सिंचाई विभागों से भी प्रार्थना की गई है कि वे उन स्थानों पर 2 क्यूसेक तक की क्षमता के जल मार्गों की खुदाई करे और क्षेत्रीय नालियां बनाएं जहां पर किसान उन के बनाने में देरी करें। कुछ राज्यों में अनिवार्य सिंचाई कर लगाया जा रहा है। कई राज्यों ने क्रमोन्नत जल दरें निर्धारित की हैं। ज्यहीं पानी उपलब्ध हो उसको प्रयोग में लाने के लिये किसानों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जनसंख्या नियंत्रण उपाय

342. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषत: घनी आबादी वाले जिलों में कोई जनसंख्या नियंत्रण उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पुनर्गठित परिवार नियोजन कार्यक्रम का सारे देश भर में विस्तार किया जा रहा है। घनी आबादी वाले जिलों में जनसंख्या नियन्त्रण के लिये कोई विशष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुनर्गठित परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या तथा कर्मचारियों को रखने के मामले में प्रत्येक क्षत्र की जनसंख्या पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में काले धन का पकड़ा जाना

343. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेवर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री लाटन चौधरी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 के पहले सप्ताह में, बम्बई के आयकर विभाग ने काले धन और परिसम्पत्ति को बरामत करने के अपने अभियान में राजस्थान में छापा मार कर बड़ी भारी मात्रा में सोना (गोल्ड बुलियन) बरामदे किया ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) 85.61 किलोग्राम सोना, लगभग 12 किलोग्राम वज़न के सोने और हीरे के ज़ेवर, लगभग 7,000 रु० के मूल्य के पुराने चांदी के सिक्के तथा 15,784 रु० की नकदी पाई गई थी तथा बरामद की गई थी ।

(ग) और (घ) : जांच अभी चल रही है।

दुर्गापुर तापीय विद्युत केन्द्र

344. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर तापीय विद्युत् केन्द्र के दो एकक टरबाईन स्नेहक तेल में आकस्मि आग लग जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त की की गई है;

(ग) क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(घ) समिति की उपत्तियां क्या हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम की किश्तों का डाकखानों के माध्यम से दिया जाना

345. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की किश्तें डाकखानों के माध्यम से दिये जाने का प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है;

(ख) यह प्रयोग किन-किन राज्यों में किया गया है;

(ग) क्या डाक विभाग ने सब उपडाकघरों के द्वारा जीवन बीमा निगम की किश्तें स्वीकार किया जाना मान लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में सभी डाक परिमण्डलों (सर्कलों) में ऐसी व्यवस्था आरम्भ हो जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर और राजस्थान।

(ग) और (घ) : डाक विभाग ने प्रीमियम स्वीकार करने की सुविधा देना मान लिया है। यह सुविधा सभी देहाती क्षेत्रों के डाक सकलों में दी जायेगी जहां कि निगम बीमा कराने वालों के लिए चाहेगा। जिस जिस क्षेत्र में इस सुविधा की आवश्यकता होगी वहां वहां इसे प्रयोग में लाया जायेगा।

Family Planning Week in Delhi

346. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda : Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri S. C. Samanta : Shri P. C. Borooha :
Shri Bhagwat Jha Azada : Shri Kindar Lal :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Family Planning Week was observed in Delhi in December, 1965 ;

(b) if so, the extent of success achieved including the number of operations done this year as compared to last year; and

(c) the expenditure incurred thereon ?

Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). Yes. The following activities were carried out during the Family Planning Week observed in Delhi from the 18th to 24th December, 1965 and the activities arranged and the number of people who attended those during the week is indicated below :

Nature of Activity	Number attended
Film Shows —53	25195
Exhibitions—37	23533
Mass Meetings—57	15120
Group Meetings—466	11490
Variety Shows—7	4075
Orientation Training Camps-3	192
Puppet Shows—11	2900
Seminars—38	1903

Boards on Family Planning were displayed on 100 buses. Special posters on Family Planning were displayed, publicity material and contraceptives were distributed.

620 sterilisation operations (vasectomy and tubectomy) were performed and 1440 I.U.C.D. insertions done as against 582 sterilisation operations and 438 I.U.C.D. insertions in 1964.

(c) An expenditure of Rs. 8,130.10 P was incurred in 1965 as against Rs. 9,474.02 P in 1964.

दिल्ली में 'फ्लू' तथा चेचक की महामारियां

347. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री गुलशन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भावगत झा आज़ाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिसम्बर, 1965 से "फ्लू" तथा चेचक से काफी अधिक व्यक्ति बीमार पड़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक इनसे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है; और

(ग) इन रोगों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वाथ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) दिसम्बर 1965 और जनवरी 1966 में "फ्लू" और चेचक के रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

फ्लू

दिसम्बर, 1965	9634	
जनवरी, 1966	5126	(इसमें अर्ध्व श्वसन नली संक्रमण के रोगी भी सम्मिलित हैं

चेचक

दिसम्बर, 1965	36
जनवरी, 1966	54

(ख) इन उपर्युक्त दो महीनों में चेचक से 29 मौतें हुई। फ्लू से किसी के मरने की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ? दिसम्बर, 1965 से फ्लू और चेचक की घटनाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण इन रोगों का लाक्षणिक मौसम सम्बन्धी परिवर्तन है। चेचक फलने का कारण मुख्यतया एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने वाली जन संख्या द्वारा लाया गया संक्रमण है।

(ग) इन रोगों की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) सभी क्षेत्रों में टीका लगाने का अभियान तीव्र कर दिया गया है और सभी मर्म क्षेत्रों को अन्तर्हित करने के लिये फ्लाइंग स्क्वैड नियुक्त कर दिये गये हैं।

(2) पीड़ित क्षेत्रों का संनिरीक्षण किया जा रहा है।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार के उपायों को बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली में "चिट फंड" कम्पनियों पर छापे

348. **श्रीभानुप्रकाश सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **वित्त** मंत्री दिल्ली में चिट फंड कम्पनियों पर छापों के बारे में 9 दिसम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2218 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) पहले दिये गये उत्तर में जिन छः मामलों का जिक्र किया गया था उनमें से पांच के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। छठे मामले में जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(ख) जांच-पड़ताल से पता चला कि चलायी जा रही योजनाएं "लकी ड्रा" योजनाएं थीं, जो भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 294-क अनुसार लाटरियां हैं और इसलिए गैर-कानूनी हैं। यदि आवश्यक जान पड़ा, तो इन योजनाओं को चलाने वालों के विरुद्ध कानून का उल्लंघन करने का मुकदमा चलाया जायगा।

इलाहाबाद में यात्रियों से पकड़ा गया सोना

349. **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री इलाहाबादमें यात्रियों से पकड़े गये सोने के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2203 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने इस मामले की जांच कर ली है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां। मामले का अभी विभागीय न्याय-निर्णय किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में सोने का तस्कर व्यापार

350. **श्री बागड़ी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री उत्तर प्रदेश में सोने के तस्कर व्यापार के बारे में 9 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के विरुद्ध जांच अब पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : मामला विभागीय न्याय निर्णय के लिए पड़ा है। न्याय निर्णय के बाद ही सम्बन्ध व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा चलाने के बारे में निर्णय करेंगे ।

निर्माण विभाग (वर्कस डिवीजन) का पुनर्गठन

351. **श्री कोल्ला वेंकेया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण विभाग (वर्क्स डिवीजन) की नयी प्रशासनिक व्यवस्था से पुरानी व्यवस्था की तुलना में कैसा काम हुआ है;

(ख) क्या नई व्यवस्था लागू करने में कुछ कठिनाइयां पेश आई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ; और

(घ) नई व्यवस्था के क्या लाभ हैं?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) पुरानी व्यवस्था में उप सचिव के पास कागज प्रस्तुत होने से पूर्व उसे तीन विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता था। अब इस पुनर्गठित व्यवस्था में उसे एक स्तर में बदल दिया गया है।

(ख) और (ग) : पुराने संदर्भों को खोलने तथा स्टेनोग्राफ़रों की सहायता-की-समुचित व्यवस्था आदि से संबंधित मामूली कठिनाईयों का सामना करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे उन्हें दूर किया जा रहा है ।

(घ) लाभ है अच्छे प्रकार का कार्य तथा निपटन की प्रगति तीव्रतर होना ।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण

352. **श्री कोल्ला वेंकैया :** **श्री लक्ष्मीदास :**
श्री म० ना० स्वामी **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

सिंचाई और विद्युत् मंत्री ४ नवम्बर, १९६५ के अतारांकीत प्रश्न संख्या 98 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की अन्तराज्यीय पहलुओं वाली सिफारिशों पर किसी अन्तराज्यीय सम्मेलन में विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में भिन्न-भिन्न सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लियें क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : पंजाब, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर हुई बातचीत के परिणामस्वरुप, समिति द्वारा सुझाए गए बहुत से बाढ़ नियन्त्रण कार्यों का कार्यान्वन आरम्भ किया जा चुका है। अन्य सुझावों, जिन का कार्यान्वन अभी होना है, की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5485/66 ।]**

एल्लाप्पि मैडिकल कालेज

353. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **स्वाथ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1965 से पहले एल्लाप्पि, मैडिकल कालेज, केरल के प्रबन्धकों ने विद्यार्थियों से प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में कुल कितनी रकम वसूल की थी; और

(ख) विद्यार्थियों की यह रकम लौटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : 11,40 900 रुपये की राशि कैपीटेशन फीस और दान के रूप में टी० डी० मडिकल कालिज एल्लाप्पि के विद्यार्थियों ने एकत्रित की थीं। इस राशि को इमारतों और सामान पर खर्च किया गया है। कालिज की ओर से यह विश्वास दिलाया गया है कि आने वाले तीन वर्षों में सभी सम्बद्ध लोगों को प्रवेश मिल जायेगा, अत: लोगो को फीस और दान के वापिस देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मामलें पर राज्य सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है।

पुराना किला, नई दिल्ली से हटाये गये व्यक्ति

354. **श्री गुलशन** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरिय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराना किला, नई दिल्ली, से हटाये गये व्यक्तियों को मदनगीर के आवाजाही शिबिर में ले जाते समय उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें छः महीने के अन्दर 80 वर्ग गज के वैकल्पिक प्लाट दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1965 तक 80 वर्ग गज के प्लाटों में कितने परिवार बसाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो झुग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत उन्हें बसाने में किये गये इस असारण विलम्ब के क्या कारण है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लगभग 50,000 पात्र स्क्वैटर्स को वास देने के लिए फिल हाल केवल 25 वर्ग गज के प्लाटों को विकसित किया जा रहा है। इसलिये उनकों, इनमें पुराने किले से हटाये गये लोग भी शामिल हैं, आवंटित करने के लिये 80 वर्ग गज के प्लाट उपलब्ध नहीं हैं। जब कभी टैनेमैन्टाप्लाट बन जायेगे। तैयार हो जायेंगे तब टैनेमेन्ट को तथा 80 वर्ग गज के प्लाटों को किराये के आधार पर आवंटन करने के लिए अन्य लोगों के साथ उन पर भी विचार किया जायगा।

मदनगीर बस्ती के लिये औषधालय

355. **श्री गुलशन :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी आवाजाही शिविर, मदनगीर के 20 हज़ार से भी अधिक लोगों के लिए दिल्ली प्रशासन का केवल एक औषधालय है, जिसमें केवल एक ही डाक्टर होता है; और

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों के लिये पर्याप्त चिकित्सा सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : मदनगीर में दिल्ली नगर निगम के प्रशासकीय नियंत्रण में एक डिस्पेंसरी और एक मातृ एवं शिशु कल्याण उप-केन्द्र चल रहे हैं। डिस्पैंसरी एक पूर्ण-कालिक मेडिकल अफसर के चार्ज में है। इस उप-केन्द्र में जो सारे सप्ताह खुला रहता है, एक महिला डाक्टर हफ्ते में दो बार जाती है। जिन रोगियों को अस्पताली सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें कालकाजी और मालवीय नगर कालोनी अस्पतालों अथवा सफदरजंग अस्पताल में भेज दिया जाता है जो चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं वे पर्याप्त हैं।

झुग्गी-झोंपड़ी योजना

256. **श्री गुलशन :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झग्गी-झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न झुग्गी-झोंपड़ी शिबिरों में 25 वर्ग गज़ के प्लाट दिये गये थे, उन्हें अब 80 वर्ग गज़ के प्लाटों के बदले में चार मंजिले मकान दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने चार मंजिले मकान बनाये जा रहे हैं और कहां कहाँ तथा इनका वास्तविक किराया कितना निर्धारित किया जायेंगे; और

(ग) 1967 के आम चुनावों के पहले कितने परिवारों को इनमें बसाया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी नहीं। मूल योजना में कोई परिवतन नहीं हुआ है। पात्र स्क्वटर्स (गैर कानूनी तौर पर बठने वालों) को यथा समय या तो 80 वर्ग गज़ के प्लाट या टनेमन्ट आवंटित किये जायेंगे। क्योंकि पात्र स्क्वैटर्स की संख्या 50,000 से अधिक है इसलिए इस समय केवल 25 वर्ग गज के प्लाट आवंटित किये जा रह हैं।

(ख) 5,000 टैनेमैन्टों को बनाना मंजर किया जा चुका है। इनमें से 3,872 टैनेमैन्टों का निर्माण निम्नांकित स्थानों पर हो रहा है :—

(1) कालकाजी	1,272
(2) गढ़ी झरिया मरिया	384
(3) रणजीत नगर खामपुर . . .	496
(4) जी० टी० रोड शाहदरा . . .	496
(5) सीलमपुर	224
(6) नजफगढ़ रोड	1,000
	3,872

एक टैनेमैन्ट का किराया अन्तिम तौर पर 32 रुपये प्रति माह नियत किया गया है। उन लोगों के मामले में जिनकी आय 250 रुपये प्रति माह से कम है, पहले साल 18 रुपये प्रति माह इमदादी किराया लिया जायेगा तथा वह धीरे धीरे छठवें साल तक 32 रुपये तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ग) इस स्थिति में कोई ठीक अनमान देना संभव नहीं। यह निर्भर करता है (1) भमि की उपलब्धि पर, (2) मूल नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था पर तथा (3) निधि यों के नियतन पर।

परिवार नियोजन केन्द्र

357. डा० श्रीनिवासन :

श्री परमशिवन् :

श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1965 के अन्त में चल रहे परिवार नियोजन केन्द्रों की, राज्य-वार, संख्या क्या है;

(ख) इन चिकित्सालयोंसे, राज्य-वार, कितने व्यक्तियों ने लाभ उठाया है;

(ग) राज्य-वार, कितने व्यक्तियों का बन्धीकरण किया गया; और

(घ) राज्य-वार, कितने छल्ले (लूप) वितरित किये गये ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क), (ख), (ग) और ( ): अपेक्षित जानकारी के विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय मे रख गये देखिए संख्या एल० टी० 5487/661]**

कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई बोर्ड

358. **डा० रानेन सेन :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई बोर्ड की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के क्या कार्य होंगे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) कलकत्ता महानगरी जल तथा सफाई विधेयक 1966 जिसके अन्तर्गत निदशकों का बोर्ड बनाने की व्यवस्था है, पिछले सत्र में बंगाल विधान सभा ने पारित कर दिया था और उसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति तो उसे दे ही दी जायेगी।

(ख) कलकत्ता महानगरी जल और सफाई प्राधिकार के कामों मे बोर्ड तथा महापरिषद् द्वारा जल सम्भरण, तालो व्यवस्था, गंदे तालों इत्यादि से सम्बन्धित योजनाओं को आगे बढाना है। जहां तालिका नहीं है, वहां मलनिष्कासन का कार्य भी इसे करना है।

प्राधिकार के कामों में निम्न लिखित कार्य भी आते हैं :

(i) भूमिगत जल का नियन्त्रण और नलकूपों का खोदना।

(ii) पानी के प्रवाह तथा जल उद्भवों को गन्दा होने से बचाना।

(iii) औद्योगिक उच्छिष्ट का निपटान से पूर्व नियमित करना।

केरल के लिये तापीय बिजलीघर

359. **श्री मुहम्मद कोया :**

श्री अ० क० गोपालन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1965 में केरल में तापीय बिजलीघर स्थापित करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग के साथ विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) केरल की 1966-67 की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करने के लिये 16 दिसम्बर, 1965 को योजना आयोग में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर अनौपचारिक रूप से विचार किया गया था।

(ख) इस बैठक में इस स्कीम के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव को सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण और बिजली परियोजना सलाहकार समिति के सम्मुख इस मास के अन्त में होने वाली उसकी आगामी बैठक में विचार के लिये प्रस्तुत कर दिया हुआ है।

चौथी योजना के लिये रूसी सहायता

360. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **योजना** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 36 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए रूसी सहायता के सम्बन्ध में भारत के कुछ स्थानों का दौरा करने के पश्चात् तकनीकी तथा अन्य विषयों पर चर्चा की है और भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत को चौथी योजना के लिये किस-किस प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख) और (ग) : जी, हां। आगे और रूसी सहायता के बारे में रूसी विशेषज्ञों ने तकनीकी विचार-विनिमय किया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान रूसी सहायता का प्रश्न अभी रूसी प्राधिकारियों के विचाराधीन है।

'विकास दल'

361. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक स्तर पर विकास कार्य को अधिक तेजी से करने के लिये गांवों में काम करने के हेतु एक 'विकास दल' बनाने की योजना पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है;

(ग) इसके कब तक बनाये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) एक अस्थायी स्कीम तैयार की जा रही थी, परन्तु आपात्कालीन स्थिति के कारण यह निश्चय किया गया कि फिलहाल इस पर कार्रवाई न की जाय।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कोठागुडम तापीय बिजली घर

362. **श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठागुडम तापीय बिजली घर में चौथी योजना के अन्त तक कितन मेगावाट बिजली पैदा होने की आशा है;

(ख) अपेक्षित बिजली पैदा करने के लिये कित न कोयले की आवश्यकता है; और

(ग) अपेक्षित मात्रा में कोयले की प्राप्ति के लिये क्या प्रबन्ध किये गये है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) कोठागुडम तापीय बिजली घर की बिजली पैदा करने की क्षमता चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 240 मेगावाट हो जाने की सम्भावना है।

(ख) कोयले की आवश्यकता प्रतिवर्ष 15 लाख टन है।

(ग) जी हां ।

निजामुद्दीन पुल, दिल्ली

†363. **श्री काजरोलकर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निजामुद्दीन पुल का निर्माण-कार्य पूरा होने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई जांच की गई है, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशिला नायर) : (क) जी हां, कार्य 10 अगस्त 1962 को आरम्भ हुआ और 23 मार्च 1965 को समाप्त हो गया।

(ख) काम करने में जो देरी हो गयी, उसके लिए निम्न लिखित कारण है:—

(i) यातायात को मोड़ने का प्रबन्ध करना पड़ा, कोक्सियल केबलों और घने हुय, तथा अनघने पानी को तालियों से मिलाने की सेवाओं की अदला बदली करनी पड़ी ।

(ii) पुराने पुल को गिराने के दौरान, उसके नीचे 2 से 4 फीट मोटा कांक्रीट था। गहराई 7 से 10 फूट पानी को सतह से नीचे करनी पड़ी। इससे गिराने के कार्य में देरी हुई।

(iii) नीचे गहराई का डिजाइन ठीक नहीं। केन्द्रीय सड़क गवेषण संस्था के सुझाव पर कुछ पुल के बनाने में तबदीलियां भी करनी पड़ी। नीव की दीवारों को भी नीचे तक ले जाना पड़ा, जो कि पूल डिजाइन से भिन्न था।

(iv) जुलाई 1964 को भारी वर्षा होने के कारण कोंक्रीट डालने का काम भी मौनसून के बाद तक मुलतवी करना पड़ा।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने जो समिति नियुक्त की थी उन्होंने सारे हालात की जांच की कि इस काम के पुरे होने में असाधारण तौर पर क्यों देरी हुई; वह निम्न लिखित परिणामों पर पहुँची :—

(i) यातायात को मोड़ने का प्रश्न और सेवाओं को हटाने इत्यादि के मामले को बहुत पहिले ही सोचा जा सकता था। इंजीनियरों को यह बात बहुत देर में समझ में आई, इससे यह पता है कि आयोजन और समन्वय का अभाव था।

(ii) यदि ठेकेदार का चुनाव तनिक सोच विचार कर किया जाता तो बहुत सी कठिनाइयोंसे छुटकारा मिल सकता था। जिस ठेकेदार को काम दिया गया था, उसे पुल निर्माण का कोई अनुभव नहीं था । उसने न काफी मजदूर लगाये और न काम ही ढंग से किया ।

(iii) सामान की कमी भी देरी का कारण है।

(iv) ठेकेदार के काम पर निरीक्षण भी ठीक ढंग से नहीं हो पाया। निरीक्षण काफी प्रभाव-हीन और ढीला था।

(v) भूमि परीक्षण का काम अनुमान और डिजाइनों के बनाने से पूर्व किया जाना चाहिए।

हज तीर्थयात्रियों द्वारा तस्कर व्यापार

364. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हज तीर्थ यात्री चोरी छिपे 'स्पेन' केसर भारत में लाकर उसे चोर बाजार में बेच रहे हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री श्री (शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं । सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार हज यात्रियों द्वारा स्पेन की केसर भारत में चोरी छिपे लाने का कोई मामला नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी विनियोजन

†365. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम ने पंजाब में उद्योगों में अथवा अन्य क्षेत्रों में, वर्षवार कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने जीवन बीमा निगम को राज्य में अधिक पूंजी लगाने के लिए कोई योजनायें भेजी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) उनके बारे में निगम ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क)

(लाख रुपयों में)

विनियोजन की श्रेणी	1961-62 1-4-61 से 31-3-62 तक	1962-63 1-4-62 से 31-3-63 तक	1963-64 1-4-63 से 31-3-64 तक	1964-65 1-4-64 से 31-3-65 तक	1965-66 1-4-65 से 31-1-66 तक
1 राज्य सरकार प्रत्याभूतियां	99.99	1,20.69	55.60	0.03	1,69.70
2 स्वीकृत प्रत्याभुतियां					
(क) भूमि बन्धक बैंक ऋण पत्र	24.85	..		17.54	24.86
(ख) राज्य वित्त निगम (शेयर और बांड)	24.75	59.85	..		47.35
(ग) अन्य .	..	..	..	0.19	..
3 ऋण पत्र और संयुक्त समवाय के शेयर	4.67	14.22	25.94	25.22	19.64
4 आवास योजनाओं के लिए ऋण	80.00	78.00	2,18.51	2,00.00	2,00.00
5 नगरपालिकाओं को कर्जे	..	1,00.00		83.00	..
6 सुधारन्यासों को कर्जे	..		..	30.00	45.00
7 बिजली बोर्डों को कर्जे	.	..		..	2,00.00
कुल .	2,34.26	3,72.76	3,00.05	3,55.98	7,06.55

(ख) कोई इस तरह की योजना तो नहीं है परन्तु कुछ विनियोजन के प्रस्ताव जीवन बीमा निगम को पंजाब सरकार ।

(ग) एक प्रस्ताव राज्य की नगरपालिकाओं को 2 करोड़ रुपये का कर्जा देने का है। अन्य प्रस्ताव यह था कि कुछ सुधार न्यासों 50 लाख का कर्जा देने का था।

(घ) प्रथम प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार और बीमा निगम के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है। दूसरा प्रस्ताव जीवन बीमा निगम को स्वीकार नहीं है क्योंकि अमृतसर, जालन्धर और लधियाना सुधार न्यासों को 1963-64 में ऋण दिया गया था 1964-65 और 1965-66 में उनके नाम अभी रकम है।

Strikes

366. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that doctors, engineers, workers and non-gazetted Government employees in the country have often resorted to strike ;

(b) if so, whether Government are preparing any scheme so that strikes do not take place and everybody in the society is assured of means of livelihood ; and

(c) if so, the nature thereof ?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) There have been reports of some strikes and these have generally been on questions of scales of pay and dearness allowances.

(b) The development programmes incorporated in the Plan seek to provide means of livelihood to all. But the occasional strikes that have taken place have not been so much on the assurance of means of livelihood as on pay scales and insulation of the standard of life achieved against any rise in prices.

(c) No special measures beyond those that are already being taken to develop the economy and to assure its health are being thought of for the purpose of meeting the demands which have occasionally been made by doctors, engineers, non-Gazetted Government employees.

दामोदर घाटी निगम का पुनर्गठन

367. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के कर्त्तव्यों तथा कृत्यों के विभाजन के सम्बन्ध में योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) क्या भाग लेने वाली तीनों राज्य सरकारें इस से सहमत हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) : भाग लेने वाली पश्चिम बंगाल और बिहार सरकारों के साथ सलाह करके दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता

368. श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **वित्त** मंत्री 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 892 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये साढ़े सात करोड़ रुपये की प्रतिज्ञित सहायता की राशि देने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी जायेगी और कब ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : दिसम्बर 1965 में यह निर्णय किया गया था कि 2.37 करोड़ रुपया तुरन्त दे दिया जाय और 1.63 करोड़ रुपया बाद में, तब दिया जाय जब राज्य सरकार बजट में "छोटे सिंचाई कार्य, के अन्तर्गत की गयी पूरी व्यवस्था के बराबर को रकम खर्च कर डाले। 2.37 करोड़ रुपये की रकम पहले ही दे दी गयी है।

राजस्थान में बरामद सोना

369. **श्री शिवचरण माथुर :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री गुलशन :
श्री किन्दर लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काजरोलकर :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में छोटी सदरी नामक गांव के एक व्यापारी से हाल में ही काफी बड़ी मात्रा में अघोषित सोना बरामद हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितना सोना बरामद हुआ; और

(ग) उक्त जमाखोर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द चौधरी) : (क) जी, हां

(ख) 241.589 किलोग्राम।

(ग) मामले पर विभागीय न्याय-निर्णय किया जा रहा है।

विदेशों से सहायता

370. **श्री हेम बरुआ :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों की सरकारों ने विकासशील देशों को इस समय दी जाने वाली सहायता को बढ़ाने अथवा उसे बनाए रखने में कुछ अनिच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की और इस का विश्व बैंक तथा अन्ततः भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भारत सरकार को इस बात का कोई पता नहीं जिससे यह पता चलता हो कि पूंजी निर्यात करने वाले देशों ने विकासशील देशों को सहायता देने में अनिच्छा प्रकट की हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

सिंधु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को अदायगियां

371. **श्री हेम बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सिन्धु जल संधि के अन्तर्गत पाकिस्तान को आठ करोड़ रुपये की छटी किस्त की अदायगी विश्व बैंक के अनुमोदन से अपरिवर्तनीय रुपयों में की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अदायगी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) : सिन्धु जल सन्धि, 1960 की धारा 5 के अधीन विश्व बैंक को प्रति वर्ष 1 नवम्बर को पौंड स्टर्लिंग में अथवा अन्य मुद्रा। मुद्राओं में, भारत और विश्व बैंक के बीच समय समय पर जैसे भी समझौता हो, 6,206,000 पौंड की वार्षिक किश्त देनी होती है। तदनुसार विश्व बैंक के साथ समझौता करके उन को 1 नवम्बर, 1965 को भारतीय मुद्रा में छठी वार्षिक किश्त दे दी गई। रुपयों में की गई इस अदायगी को बाद में 14 जनवरी, 1966 को पौंड स्टर्लिंग में तब्दील कर दिया गया।

आनन्दपुर में बांध

372. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जिला क्योंझर में आनन्दपुर के स्थान पर बैतरनी नदी पर बांध बनाने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव सरकार के पास आया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है; और

(ग) इसे क्रियान्वित करने के लिये कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत स्कीम की अनुमानित लागत 1893 लाख रुपये है।

Gold Bonds Scheme

373. **Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All India Jewellers' Association has requested the Central Government to entrust the work of receiving gold under Gold Bonds Scheme to traders ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फरक्का बांध

374. **श्री हेम बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित अवधि में फरक्का बांध के कार्य को पूरा करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी वर्तमान कठिनाइयों अथवा पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के कारण इस कार्य की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा में ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) : किसी प्रकार के कुप्रभाव की सम्भावना नहीं है।

फरक्का बराज के सम्बन्ध में लोक सभा में 17-2-66 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 374 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) दोनों तटों पर नदी भाग में कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं ।

स्थिति संक्षेपतः निम्नलिखित है;

(1) वाम तट कार्य :

काम प्रगति पर है। कन्क्रीट के लिये तोड़े हुए पत्थरों के स्टाक इकट्ठा करने का काम प्रगति पर है। अनुवर्गीकरण संयंत्र का प्रतिष्ठापन अन्तिम चरण में है।

वाम उठान बंध की कुछ पहुंचे पूरी हो चुकी हैं और कुछ अन्य पहुंचों में कार्य प्रगति कर रहा है ।

(2) दक्षिण तट कार्य :

दक्षिण तट पर भी कार्य प्रगति पर है। शीर्ष नियामक के लिये खुदाई लगभग पूरी हो गई है। संरक्षण खण्डों को पक्का करने का कार्य, एपरन और फिल्टर लगाने का कार्य तथा शीट पाइलिंग के कार्य प्रगति कर रहे हैं ।

दक्षिण उठान बंध की कुछ पहुचे पुरी हो गई हैं और कुछ अन्य पढंचों में कार्य प्रगति कर रहा है ।

(3) कपाट

बराज और शीर्ष नियामक के कपाटों पर कार्य के लिये, फरक्का का कारखाना जिसमें मशीन लगी हुई हैं, रचना कार्यों के लिये तैयार है।

(4) फिडर नहर

खुदाई कार्य प्रगति पर है ।

कोलार स्वर्ण क्षेत्र में हड़ताल

375. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री 4 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार स्वर्ण क्षेत्र में मजदूरों की हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त हुई थी तथा क्या उन्हें लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) कोलार सोना खनन प्रतिष्ठान, ऊरगाम के प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच, मजदूरी और मंहगाई भत्ते के संशोधन सम्बन्धी झगड़े के बारे में 21 अक्टूबर 1965 को जो समझौता हुआ था उसकी शर्तें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5487/66।**] ये शर्तें कार्यान्वित कर दी गयी है। समझौते के परिणामस्वरूप बकाया निकलने वाली सभी रकमें समझौते में दी गयी नियत तारीख से पहले, 18 नवम्बर, 1965 को ही मजदूरों को दे दी गयी थीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कमला नदी

376. **श्री मधु लिमये :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उत्तर बिहार में कमला नदी ने अपना मार्ग बदल लिया है जिस के फलस्वरूप काफी नुकसान हुआ है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उत्तर बिहार की अन्य नदियां भी इसी प्रकार काफी तबाही करती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अकेले अथवा राज्य सरकार के सहयोग से इसे रोकने की कोई योजना बना रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार सरकार ने कमला बालान, बागमती और कोसी जैसी कुछ नदियों के साथ साथ तटबन्धों को निर्मित कर दिया हुआ है और आवश्यकतानुसार नदियों से उमड़ कर बाहर आने वाले पानी को रोकने तथा नदियों के जल मार्गों में स्थिरता लाने के लिये अन्य उपायों पर विचार हो रहा है। उत्तर बिहार में नदियों की अस्थिरता की समस्या ों की जांच करने और मख्य नदी प्रणालियों की प्रवत्तियों समेत उत्तर बिहार की जल निकास प्रणाली पर रेल पुलों, नहरों, सड़कों और तट बन्धों के प्रभाव का गढ़ अध्ययन करने के लिय भारत सरकार ने, राज्य सरकार के साथ सलाह करके, अगस्त, 1965 में एक विशषज्ञ समिति स्थापित की थी। पहले भी, अधवाडा ग्रुप की नदियों की बाढ़ समस्या का अध्ययन करने के लिये एक अन्य समिति नियक्ति की गई थी। इन समितियों की रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं।

Investment of Family Savings

377. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the study group on Investment of Family Savings during the Fourth Plan has submitted its report;

(b) if so, its broad features thereof and ;

(c) whether the Group has also estimated the prospective income of private sector from foreign sources ?

The Minister of Planning (Shri Asoka Mehta) : (a) and (b). The Planning Commission had set-up a group for estimation of domestic resources likely to be available to the private sector in the Fourth Plan period. In the interim report submitted by this group, certain estimates of household savings have, *inter alia*, been given. This report does not contain any details about the pattern of investment of family savings.

(c) No Sir.

नये उद्योगों के लिये प्रबन्धकों का प्रशिक्षण

378. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में नये उद्योगों तथा विकास सेवाओं के लिये पर्याप्त संख्या में प्रबन्धकों (मैनेजरों) को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के बारे में कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1965 तक उस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) प्रबन्धक जनशक्ति का विकास और उनकी भर्ती विभिन्न पद्धतियों से की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कोई ऐसी विशिष्ट योजना नहीं बनाई गई है जिसमें सरकारी क्षेत्र की सभी प्रबन्धकीय आवश्कताओं का समावेश हो जाय। इसके स्थान पर विविध संस्थाओं में प्रबन्ध कार्य की वर्तमान विधियों की शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध की गई हैं।

(ख) व्यापार प्रबन्ध और/या उद्योग प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की व्यवस्था सात विश्वविद्यालयों में और तीन तकनीकी संस्थाओं में उपलब्ध है। एक विश्वविद्यालय में व्यापार प्रशासन में मास्टर की उपाधि तक के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त कलकत्ता और अहमदाबाद में दो अखिल भारतीय प्रबन्ध शिक्षा संस्थाएं हैं जिनमें सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों के कार्यकारी अधिकारियों के लिए विशिष्ट अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। और इसके साथ ही वहां व्यापार प्रबन्ध का द्विवर्षीय पूर्णकालिक पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। हैदराबाद के प्रशासकीय कर्मचारी कालेज में मध्यम स्तर के प्रबन्धक कर्मचारियों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाता है। कई औद्योगिक और बैंक संस्थाओं में प्रबन्धकों के प्रशिक्षण की अपनी निजी व्यवस्था है। इनके सिवाय कुछ अन्य संस्थाय भी हैं।

(ग) प्रश्न के (क) भाग के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए यह सवाल उठता ही नहीं ।

Chineese Goods seized in Calcutta

379. Shri Onkar Lal Bewa : **Shri Narsimha Reddy :**
Shri Bagri : **Shri Kapur Singh :**
Shri P. K Deo : **Shri Rajdeo Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 5th January, 1966 Chinese goods worth one lakh of rupees were recovered by the Customs Officers from the engine room of a ship in Kidderpore Docks, Calcutta ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) & (b). 24,657 pieces of cigarette lighters, 1017 pairs of nylon socks, 19 wrist watches and 4 transistor radios, were siezed on 4-1-1966 from a ship berthed at Kidder pore Docks. On these, 20,592 cigarette lighters and 597 pairs of nylon socks, of a C.I.F value of Rs. 34,327 (approx) were seized from the Engine room of the ship. Only the cigarette lighters are of chinese origin.

(c) Two crew members of the vessel and two residents of Calcutta have been arrested in this connection.

Quarters for Employees of Political Parties in Delhi

380. Shri Bagri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have any proposal under consideration to allot Government quarters to such members of the recognised political parties who are working in the Delhi Offices of the parties; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). A proposal for provision of Government residential accommodation to the staff of the political parties in Parliament, which have been duly recognised by the Speaker, is under consideration. A final decision has not so far been taken in the matter.

Opium

381. Shri Ram Sewak Jadav : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the procurement price of opium being paid to the farmers is uniform ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that there is great difference between the procurement price of opium being paid to the farmers and its export price;

(d) if so, the extent thereof and the reasons therefor ;

(e) whether smuggling of opium is on the increase because of the great difference between the procurement price being paid to the farmers and the selling price fixed by Government; and

(f) if so, the steps being taken to reduce the difference ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) The rate fixed for the purchase of opium depends upon the average yield tendered by the cultivators but it is uniform in all the opium producing areas.

(b) Does not arise.

(c) & (d). The average purchase price of opium at 70° consistence works out to Rs. 34 per kilo as against the export price of opium of same consistence at Rs. 46 per kilo. The difference is on account of processing, handling and transport charges, interest on capital, administrative overheads and other incidental charges.

(e) As far as Government are aware there has been no appreciable increase in smuggling of opium, in recent years.

(f) Does not arise.

कमला नदी

382. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से उत्तरी बिहार में बहने वाली कमला नदी दोनों देशों के लिये समस्या बन गई है ;

(ख) क्या दोनों देशों में नदी पर नियन्त्रण करने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक आरम्भ की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : भारतीय सहायता कार्यक्रम के अधीन नेपाल की पूर्वी-पश्चिमी राष्ट्रीय सड़क (high way) के भाग के रूप में नेपाल में कमला नदी के ऊपर एक बराज का निर्माण करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को मान लिया है और बिहार सरकार द्वारा विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के लिये 'सिंगल पावर ग्रिड'

383. श्री हेडा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लिये 'सिंगल पावर ग्रिड' कब तक तैयार हो जायगा ;

(ख) इस में कितना धन खर्च होगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये बिजली के कौन से साधन जुटाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) लगभग मार्च, 1967 तक।

(ख) लगभग 19.5 करोड़ रुपये।

(ग) उत्तर प्रदेश में बड़े बिजली स्त्रोतों, नामश: रिहन्द, ओ ा, गोरखपुर, मऊ, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मातातीला, मैनपुरी, हर्दुआगंज, बरेली, खातिमा और यमुना (1), में लगभग मार्च, 1967 तक अन्त:सम्पर्क स्थापित कर देने की सम्भावना है, जब कि उत्तर प्रदेश की विविध बिजली प्रणालियों को अनुकुलित आधार पर चलाना संम्भव होगा।

बुलसर जिले में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा छापा

384. **श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 के प्रथम सप्ताह में सीमाशुल्क अधिकारियों तथा पुलिस ने बुलसर जिले के अम्बरगांव तालुका में मरोली गांव में एक मछुए के घर छापा मारा था ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की वस्तूएं पकड़ी गई; और

(ग) किस-किस प्रकार की तथा कितनी वस्तुएं पकड़ी गई थीं?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 5,07,700 रुपये।

(ग) 934 कलाई घडियां, 6 ट्रान्जिस्टर, 1 टेप रिकार्डर, 343 डिब्बे ताश, 1175 फाउण्टेन पेन, 52 डिब्बे सेवन ओ क्लाक ब्लेड, 464 दर्जन सिगरेट लाइटर, 49 डिब्बे लायटर के पत्थर तथा कुछ इत्र और कपड़े।

उड़ीसा की सिंचाई और विद्युत् योजनायें

385. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार की कितनी सिंचाई और विद्युत् योजनायें इस समय केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये उस के विचाराधीन है तथा इन पर व्यय होने वाली राशि तथा उनसे होने वाले ला ो का ब्यौरा क्या है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5488/66**।]

उड़ीसा में चेचक और हैजे के मामले

386. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों में उड़ीसा में चेचक और हैजे से कितने व्यक्ति पीड़ित हुए; २

(ख) उक्त अवधि में उड़ीसा में इन रोगों के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : चेचक और हैजा से पीड़ित होने वाले और इन रोगों से मर जाने वाले लोगों की संख्या उड़ीसा में (अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर 1965 और जनवरी 1966) चार मास में निम्न लिखित है :—

	मामलें	मौतें
चेचक	252	45
हैजा	35	7

उड़ीसा के महालेखापाल

387. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में, उड़ीसा के महालेखापाल के अधीन इस समय सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) जनवरी, 1966 के अन्त तक इस कार्यालय के कितने कर्मचारियों को फैमिली क्वार्टर दिये जा चुके हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 931 ।

(ख) 412 ।

उड़ीसा में आय कर का अपवंचन

388. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उड़ीसा में आय-कर के अपवंचन के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : 191 ।

सीमाशुल्क-अधिकारियों द्वारा चल-मुद्रा तथा आयातित माल का जब्त किया जाना

389. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री दलजीत सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1965 से जनवरी 1966 तक की अवधि में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किये गये आयातित माल तथा चल-मुद्रा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जब्त किये गये माल का मूल्य कितना है ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, भूमि शुल्क अधिकारियों ने 1-11-65 से 31-1-1966 से जो तस्करी में चीजें पकड़ी है उनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

	मात्रा (किलोग्राम)	कीमत (रुपयों में)
सोना	725	38,84,450
घड़ियां	26,252	20,41,363
भारतीय करंसी		12,85,605
विदेशी मुद्रा		1,05,618
अन्य चीजें	..	48,39,942

(ग) विभागीय न्याय निर्णय तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध की गई है।

नई दिल्ली में कर्जन रोड पर होस्टल

390. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरिय विकास मंत्री** 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्जन रोड पर कांस्टीट्यूशन हाउस के स्थल पर एक होस्टल बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जैसे कि 18 नवम्बर, 1965 के उत्तर में कहा गया था कि इस स्थान पर इक होस्टल बनाने का प्रस्ताव है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, जिसके पूरा होने में लगभग 1 वर्ष लगेगा। इसके बाद यदि निधि उपलब्ध हुई तो निर्माण शुरू किया जायेगा।

चोरी-छिपे लाया गया सोना

391. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 19 नवम्बर 1965 से आज तक की अवधि के दौरान देश में किन किन स्थानों पर तथा किन तस्कर व्यापारियों के पास से चोरी छिपे लाया गया कितना सोना पकड़ा ; और

(ख) उनके विरुद्ध अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) : 19 नवम्बर 1965 से 31 जनवरी 1966 तक की अवधि में सीमा-शुल्क, स्थल सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा चोरी छिपे लाये गये के रूप में पकड़े गये सोने की मात्रा व उसका मूल्य तथा पकड़े जाने के स्थानों को व्यक्त करने वाला एक विवरण-पत्र साथ में लगा है।

31-1-1966 को इन मामलों की स्थिति इस प्रकार थी :—

इसमें से लगभग 3,017 रुपये के मूल्य का 563 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया है। पकड़े गय सोने की बाकी मात्राओं के सम्बन्ध में न्याय-निर्णयन कायवाही अभी भी चल रही है और उसकी समाप्ति पर ही उसे छोड़ देने या जब्त करने का निर्णय लिया जायेगा। विभागीय न्याय निणयन में कल 100 रु० के व्यक्तिगत जुर्माने लगाये गये ह और 9 व्यक्तियों का चालान किया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं :—

1 मूलचन्द सेनाजी

2 गोवर्धन एन० रेड्डी

3 कौतिन्हों एलितेरियों

4 जान सान्टन डी कन्हा

5 सान्टन फ्रांसिस अन्ताओ

6 भावरलाल फूलचन्द मोदी

7 बिल्लाल सालेम

8 वर्गीज जार्ज

9 पटचार वेंकर कृष्णमूर्ति

विवरण

(i) 19-11-1965 से 31-1-1966 की अवधि में सम्पूर्ण भारत में सीमा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क तथा स्थल सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने की मात्रा।	6,83,110 ग्राम
(ii) उपर्यक्त पकड़े गये सोने का अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य (लगभग)	36,60,103 रुपये

(iii) प्रसिद्ध स्थानों के नाम जहां पर अभिग्रहण किये गये :

बम्बई, अलीबाग, कलकत्ता, रंगपो, कृष्णागर, तिरुचि, मदुरे, सत्तनकुलन्, पेट्टई, तिरुनिलवेलि, अमानिधानगर, सेखिइकुन्टम, कल्लूंरचन्दइ, टोंडी, मद्रास ,मूलकडइ, वेलूर, पेरूमपुलिपक्कम, मारवाड, औसवा, जयपुर, बेवाड, अजमेर, दिल्ली, गोवा, दमन, अहमदाबाद, विजयनगरम, गुन्टकल, हैदराबाद, बोरंगल, करनूल, विजयवाडा, हुन्नाबाद, पूना, कल्याण, सतारा, मनमद, नागपुर, रतलाम, खांडवा, झांसी, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी।

1966-67 के लिये पश्चिम बंगाल की योजना

392. **श्री त्रिविदब कुमार चौधरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में उसने इस संबंध में विस्तृत कारण बताए हैं कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली मूलतः निर्धारित सहायता की मात्रा में 10 प्रतिशत की कमी करने के प्रस्ताव के बावजूद भी, अपनी 67.50 करोड़ रुपये की योजना को 1966-67 में क्यों चालू रखना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) : पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, योजना आयोग ने राज्य सरकार के साथ उनकी 1966-67 की प्रस्तावित योजना के बारे में विस्तृत विचार-विनिमय किया। पश्चिमी बंगाल के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सहायता में कोई कटौती नहीं की गई है। अन्त में जो आंकड़े निश्चित किये गये थे वे वहीं हैं जो राज्य सरकार को पहले बताये गये थे।

यदि पश्चिमी बंगाल सरकार अपनी आगामी साल की योजना, योजना आयोग द्वारा दर्शायी गई योजना से बड़ी योजना चाहता है तो राज्य सरकार को स्वयं अतिरिक्त आवश्यक साधनों की व्यवस्था करनी होगी। पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने 31 दिसम्बर, 1965 को उपाध्यक्ष, योजना आयोग को पत्र लिखा, जिसमें निवेदन किया कि 1966-67 के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की जाय। 1966-67 के दौरान राज्यों को जो केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की जायेगी वह सारी राशि विभिन्न राज्यों को पहले ही दी जा चुकी है, अतः मुख्य मंत्री के निवेदन से सहमत होना सम्भव नहीं।

Reservation of Seats in Medical Colleges

393. Shri Latan Chaudhry :
Shri Kapur Singh :
Shri P. H. Bheel :
Shri Narasimha Reddy :
Shri M. Rampure :

Will the Minister of **Health** and **Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to do away with the system of reserving seats in the Medical Colleges on the basis of castes and communities.

(b) if so, the nature of decision taken in regard thereto; and

(c) the reaction of State Governments thereon ?

Minister for Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates is made all over India. There is no proposal for doing away with such reservations. In certain States reservations for backward Classes and certain communities and regions is also done. Government of India have been advising the State Governments to regulate admissions to medical colleges in terms of merit only.

(b) and (c). Do not arise.

Ghazipur Opium Factory

394. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 787 on the 26th August, 1965 regarding representation from laboratory attendants of the Ghazipur Opium Factory and state :

(a) whether Government have since taken a final decision in the matter; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) : (a) No, Sir. The matter is still under consideration.

(b) Does not arise.

मद्रास में चमड़े के उत्पादन सम्बन्धी ऋण नीति

395. श्री मलाइछामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई ऋण कम करने की नीति से उत्पादन की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से मद्रास में चमड़े के उत्पादन पर, जो बहुत मात्रा में निर्यात होता है; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात क्षमता वाले ऐसे उद्योगों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) ऋण पर रोक के कारण चमड़ा अथवा किसी अन्य उद्योग के उत्पादन पर प्रभाव हुआ है इस बात पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

सालन्दी नदी पर बांध

396. श्री बसुमतारी : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के निकट सालन्दी नदी पर एक बांध और एक विद्युत् संयंत्र बनाने के लिये सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के साथ किय गय करार के अन्तर्गत उड़ीसा में सालन्दी नदी के उपर केवल एक बांध और जलाशय के निर्माण तथा नहर प्रणाली और अन्य संरचनाओं के लिय विकास ऋण का दिया जाता है। इस में बिजली संयंत्र के लिय कोई प्रबन्ध नहीं है।

(ख) 80 लाख डालर।

मैसूर राज्य में परियोजनाओं की प्रगति

397. श्री लिंग रेड्डी :

श्री सें० वें० राम स्वामी :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की निम्नलिखित परियोजनाओं के काम में कितनी प्रगति हुई है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है :—

(1) अपर कृष्णा परियोजना
(2) घटा प्रभा परियोजना
(3) मालाप्रभा परियोजना
(4) काली नदी परियोजना
(5) होगेनेकल परियोजना
(6) शरावती परियोजना ;

(ख) क्या इन योजनाओं के अवशेष कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायेगा; और

(ग) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5489/66।**]

सरकारी क्वार्टर परिवर्तन के लिये आवेदन-पत्र

398. **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य पुंज से जिन लोगों को आवास दिया गया है उनसे राजसम्पत्ति निदेशालय को दिसम्बर, 1965 के अन्त तक प्रत्येक टाइप के क्वार्टर बदलने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने मामलों में क्वार्टर बदलने की मंजूरी दी गई;

(ख) क्या कुछ मामलों में अभ्यर्थियों को क्वार्टर बदलने की मन्जूरी दी गई थी लेकिन क्वार्टर परिवर्तन स्वीकार करने के लिये नियत अवधि समाप्त हो जाने के कारण मंजूरी रद्द कर दी गई;

(ग) क्या क्वार्टर बदलने के सम्बन्ध में ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों पर, जो अपने वश से बाहर की परिस्थितियों के कारण नियत अवधि में राजसम्पत्ति निदेशालय को सूचित नहीं कर पाते हैं, क्वार्टर बदलने के लिए, मंजूरी देने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 31 दिसम्बर, 1965 तक सामान्य पुंज में क्वार्टर बदलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा उस तारीख तक बदलने के लिए दी गयी मंजूरी निम्नांकित है :—

टाईप	क्वार्टर बदलने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या	बदलने के लिए दी गयी मंजूरी की संख्या
I . . .	3386	390
II . . .	2122	382
III . . .	607	88
IV .	780	110
V .	415	116
VI	116	39
VII	7	5
VIII	1	..
जोड़ .	7434	1130

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : प्रत्यक अधिकारी को अपनी पसंद की बस्ती में उसी टाईप के क्वार्टर को बदलने के लिए निर्धारित फार्म पर आवेदन का एक विकल्प दिया जाता है। फार्म की प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5490/66।**] यदि कोई अधिकारी अपनी पसंद की बस्ती में उसी टाईप का मकान मांगता है किन्तु जब वह उसे अपनी बारी आने पर आवंटित किया जाता है और वह उसे स्वीकार नहीं करता तो फिर दुबारा उसी टाईप के क्वार्टर बदलने के लिए विचार नहीं किया जाता। फिर भी उन मामलों में, जिनमें अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों के कारण क्वार्टर की बदली को स्वीकार नहीं कर पाता, औचित्य के आधार पर विचार किया जाता है।

दिल्ली गृह-निर्माण सम्बन्धी ऋण

399. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निम्न आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण दिये जाने के लिय जिन व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं, उन्हें अब तक ऋण नहीं मिले हैं जबकि उनके नाम अप्रैल, 1965 में रजिस्टर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को ऋण देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या सरकार ने हाल में "मध्यम आय वर्ग" के लिये तीस लाख रुपये दिये थे परन्तु "निम्न आय वग" के लिये कोई राशि नहीं दी गई?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क), (ख) और (ग) : ऋण के लिए 1-4-1965 से 10-2-1966 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर, जिनकी संख्या 258 है, विचार किया जा चुका है तथा जहां आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी है, वहां ऋण मंजूर किया जा चुका है। जिनका पहले आवेदन प्राप्त हुआ हो उन्हें पहले भुगतान किया जाय, इस आधार पर भुगतान किया जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि मंजूर हुआ कुल ऋण लगभग 95.00 लाख रुपये हैं जबकि चालू वर्ष के लिए 64.20 लाख रुपये का नियतन है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत नियतन की प्रगति में काफी वृद्धि हुई है। 1963-64 में 46.00 लाख रुपये, 1964-65 में 56.50 लाख रुपये, 1965-66 में 64.20 लाख रुपये।

तस्कर व्यापार

400. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क अधिकारियों ने जितनी चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं का पता लगा है, उनका वर्ष वार कितना मूल्य है;

(ख) चीन तथा पाकिस्तान से चोरी छिपे लायी गई वस्तूओं का कितना मूल्य है; और

(ग) इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस बारे में सूचना इकट्टी की जा रहा है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न अभी नहीं उठते।

महंगाई भत्ता

†401. श्री भागवत झा आजाद : श्री चन्द्रिकी :
श्री राम सेवक : श्री सिद्धनंजप्पा :
श्री चुनीलाल : श्री छ० म० केदरिया :
श्री फ० गो० सेन : श्री सुब्बरामन :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री द्वारका दास मन्त्री : श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह 11 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि अखिल भारतीय श्रमजीवी वर्ग के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 12 महीने की औसत 165 हो गई है, सरकार ने 1000 रुपए मासिक तथा 1800 रुपये से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने का निर्णय कर लिया है, जिससे उनकी कठिनाई कम की जा सके ;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से और कितना महंगाई भत्ता देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(ग) मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

उपसचिवों तथा अवर सचिवों का वेतन

402. श्री भावगत झा आजाद : श्री द्वारका दास मन्त्री :
श्री राम सेवक : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री फ० गो० सेन :

क्या **वित्त** मंत्री 25 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 457 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार के अवर सचिवों तथा उपसचिवों का वेतन 1947 से वस्तुतः स्थिर ही रहा है, सरकार ने संयुक्त सचिव के पद से ऊपर के अधिकारियों की तरह उनके वेतन-क्रमों में भी वृद्धि करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा वे किस तिथि से लागू किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उक्त भाग (क) में उल्लिखित श्रेणियों के अधिकारियों में बढ़ते हुए असन्तोष को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन-क्रमों को पुनरीक्षित करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(ग) जैसा कि 25 नवम्बर 1965 को पूछे गये प्रश्न संख्या 457 के उत्तर में संकेत किया गया था कि मध्यकालीन स्तर पर वेतनमानों के ढांचे पर विचार नहीं किया जाता फिर भी 1000 रुपये से अधिक वेतन लेने वाले लोगों को कुछ राहत देने के मामले का परीक्षण किया जा रहा है। परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

झुग्गी तथा झोंपड़ी योजना

403. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 के दौरान दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या जुलाई, 1961 से नई झुग्गी तथा झोपड़ियों के अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी भूमि अर्जित की गई है ; और

(घ) कितनी भूमि का विकास किया जा चुका है और 31 दिसम्बर, 1965 तक कितनी भूमि का विकास किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) संख्या केवल तभी मालूम हो सकेगी जब वित्तीय वर्ष पूरा हो जाय तथा लेखा तैयार हो जाय।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में आवास योजना

404. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आवास योजनाओं के लिये प्रत्येक राज्य के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि निर्धारित की गई थी;

(ख) प्रत्येक राज्य ने 31 दिसम्बर, 1965 तक कितनी धन-राशि खर्च की है और 31 मार्च, 1966 तक कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना है;

(ग) प्रत्येक राज्य के लिये कितने मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इन लक्ष्यों को कितना पूरा कर सकेंगे ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : (क) और (ख) : मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण में है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5491/66।]**

(ग) और (घ) : मांगी गयी सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है, और जैसे ही वह प्राप्त हो जायेगी, लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधी

405. **श्री काजरोलकर :** क्या **निर्माण, आवास** तथा **नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने गृह-निर्माण योजनाओं के लिये 1966-67 में 12 करोड़ रुपये देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और किस आधार पर;

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की कितनी आवश्यकता है; और

(घ) शेष धनराशि कैसे पूरी की जायगी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक शर्तें नहीं बताई गयी हैं लेकिन चालू वर्ष के लिए वे निम्नांकित है :–

(i) ब्याज की दर —$6\frac{1}{4}$ प्रतिशत सालाना

(ii) अदायगी की अवधि—25 वर्ष

संपूर्ण ऋण अनुबंधित अवधि के समाप्त होने पर एक मुश्त में वापस अदा करना होगा, केवल ब्याज वार्षिक रूप में अदा किया जायेगा। राज्य सरकारें ऋण की अदायगी के लिये डूबान्त निधि स्थापित करेंगी।

(ग) आशा है कि राज्य सरकारें मई 1966 के मध्य तक 1966-67 के लिए अपनी आवश्यकतायें बतायेंगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजेन्द्र मेडिकल कालिज और अस्पताल

406. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रांची में बरियाता स्थित राजेन्द्र मैडिकल कालेज और अस्पताल को अब तक सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस मैडिकल कालेज और अस्पताल में सीधा अपना प्रबन्ध करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डॉ० सुशीला नायर) : 1957-58 तक भारत सरकार ने बरियाटा और रांची में राजेन्द्र मेडिकल कालिज बिहार की स्थापना के लिए 23,82,432 रुपये की राशि दी। 1958-59 से मैडिकल कालिजों के विस्तार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को ग्रुपवार दी गयी है। कोई व्यक्तिगत रूप से सहायता नहीं दी गयी। अपने ग्रुप के अन्तर्गत राज्य सरकारें जैसे चाहे इस सहायता का प्रयोग कर सकती है।

मैडिकल कालिजों के साथ जो अस्पताल सम्बद्ध है, उन्हें केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है।

(ख) नही जी।

अगरतला जल सम्भरण योजना

407. **श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्र त्रिपुरा को अगरतला जल संभरण योजना के लिये अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 48.44 लाख रुपये।

(ख) और (ग) : अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा सरकार से प्राप्त की जा रही है और उसके उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

महिला चिकित्सकों के लिये छात्रवृत्तियां

408. **श्री धर्म लिंगम्** : **क्या स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी महिला चिकित्सकों को मासिक छात्रवृत्ति देने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब लागू की जायेगी?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : एम० बी० बी०एस० कोर्स में पढने वाली छात्राओं का प्रतिवर्ष सौ-सौ रुपये प्रतिमास की पांच सौ छात्रवृत्तियां देने की एक योजना तैयार की गई थी। छात्राओं को जितनी अवधि के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जायेगी उतनी अवधि तक केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन परिवार नियोजन तथा मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में काम करने का एक बाण्ड भरना पड़ेगा।

(ग) यह योजना पहले ही लागू की जा चुकी है

पेंशन नियम

409. **श्री काजरोलकर** : **क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत युद्ध में पर्याप्त संख्या में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने 18 वर्ष से कम की आयु में सरकारी नौकरियों में प्रवेश किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान पेंशन नियमों के अन्तर्गत, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की अवधि की सेवा को पेंशन देने के मामले में नहीं गिना जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पेंशन नियमों में परिवर्तन करने का है जिस से ऐसी सरकारी सेवा भी पेंशन देने के लिये अर्हतावाली सेवा मान ली जाय?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

कंजीरापुजहा सिंचाई योजना

410. **श्री प० कुन्हन** : **क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पालघाट जिले में कंजीरापुजहा सिंचाई योजना के कार्य को पूरा करने के लिये चौथी योजना के प्रथम वर्ष में कोई राशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) केरल सरकार ने कन्जिरा-पुज़ाह् सिंचाई परियोजना के लिये 1966-67 के वर्ष के लिये 2 लाख रुपये के व्यय का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग) : संसद द्वारा 1966-67 के बजट के स्वीकार होने की ही स्वीकृत राशियों का पता लगेगा।

18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 837 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION TO UNSTARRED QUESTION NO. 837 DATED 18TH NOV. 1965

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : 18 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 837 के उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये :

(क) 39.8 करोड़ रु०।

(ख) जी हां।

(ग) इसका अभी निर्णय नहीं किया गया है।

एक सदस्य की टिप्पणियों के बारे में

RE: REMARKS OF A MEMBER

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): I have a point of order to raise yesterday one non-official Member made a wrong Statement here. There is some misunderstanding about that.

Mr. Speaker : I cannot allow it now.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति को पत्र तथा उसके उत्तर के संबंध में समाचार

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : खेद की बात है कि यहां मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई महत्वपूर्ण बात ली जाये तो मंत्रियों का होना जरूरी है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री की ओर से प्रश्न के उत्तर में उनका बयान पढ़ दूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : This continued absence of Ministers in the House is absolutely intolerable.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : जब यह मामला विषय सूची में है तो इसे लिया ही जाना चाहिए। इसे स्थगित करने के कारण सरकार द्वारा बताये जाने के बिना इसे स्थगित करना उचित नहीं। हमें इसका उत्तर मिलना चाहिए। मेरे विचार में किसी विदेशी अतिथि के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा। मेरे विचार में यह मामला काफी महत्वपूर्ण है।

8—20 Lok Sabha/66

श्री रंगा (चित्तुर) : मेरे विचार में इस दिशा में नये सदन के नेता अपने कर्तव्य कों पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। यदि नये प्रधान मंत्री जी ने इस तरह अपने मंत्रियो को छूट दी तो यह सदन का घोर अपमान होगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का हर्ष है कि सभी सदन को प्रतिष्ठा को बनाये रखना चाहत हैं। मैं यह बात पुनः कहता हूं कि जब कोई मामला विषय सूची में होता है तो सम्बद्ध मंत्री महोदय को उपस्थित रहना चाहिए। यदि कोई ऐसी बात हो जाय कि उनका उपस्थित होना सम्भव न हो तो उसकी सूचना सदन को मिलनी चाहिए।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं आपके सुझावों से पूर्णतः सहमत हूँ। भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इसके बारे में वक्तव्य दे।

"उत्तर वियतनाम के राष्ट्रपति का भारत के राष्ट्रपति को पत्र तथा उसके उत्तर के संबंध में समाचार।"

वैदेशिक कार्य मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : देरी से आने के लिये मैं क्षमा याचना करता हूँ। और ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में मेरा निवेदन है कि 24 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति हो चि मिन्ह ने वियतनाम का एक पत्र राष्ट्रपति जी को मिला है जिस में यह आशा व्यक्त की गयी है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सभापति के रूप में जैनेवा समझौते के अन्तर्गत करने वाले अपने दायित्वों को पूरा करेगा। यह भी हमें मालूम हुआ है कि राष्ट्रपति हो चि मिन्ह ने अन्य राज्याध्यक्षों को भी पत्र लिखे हैं।

अपने उत्तर में भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर वियतनाम के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और इस बात पर निराशा व्यक्त की कि बमबारी बन्द होने से तनाव कम नहीं हुआ। उन्होंने तनाव कम करने के लिए कदम उठाने जाने के लिए, जहां तक सम्भव हो, जैनेवा समझौते के उपबन्धों को लागू करने के बारे में भारत के संकल्प की पूष्टि की भारत सरकार का हमेशा यह मत रहा है कि इस दिशा में कोई शांतिपूर्ण हल 1954 को जेनेवा समझौते के अन्तर्गत तलाश किया जाना चाहिए। भारत उन देशों से सम्पर्क बनाये हुए है जो कि वियतनाम में शांति स्थापना के पक्ष में है।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्यों कि इस दिशा में भारत का उत्तर दायित्व विशेष प्रकार का है, अतः भारत जैनेवा सम्मेलन जैसा सम्मेलन बुलाये जाने की दिशा में क्या कदम उठा रहा है, ताकि यह समस्या हल हो सके ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह ठीक है कि भारत की विशिष्ट जिम्मेदारी है और हमने श्री हो ची मिन्ह को यह विश्वास दिलाया है कि हम अपने दायित्वों पूरा को करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने विशेष पग क्या उठाये है, इस बारे में मेरा निवेदन है कि सम्मेलन बुलाना हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह काम दो सह-सभापतियों का है। हमने उनसे भी कहा है, पर सम्मेलन बुलाना अभी तक सम्भव नहीं हो सका।

श्री हरीश्चन्द्र माथुर (जालोर) : इस बारे में खतरा अधिक न बढ़े और मामला समाप्त हो, इसके लिए हमारी प्रधान मंत्री ने क्या कोई उपक्रम करने का निश्चय किया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अभी तक मेरी अमरीका के उपराष्ट्रपति से भेट नहीं हुई।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह भेंट का प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने इस देश को खतरा न बढ़े इस दृष्टि से इस बात पर विचार किया है। इस दिशा में हमारी जिम्मेदारीयां भी है और हमारे हित भी। वास्तविक दृष्टिकोण से प्रधान मंत्री ने इस मामले पर विचार किया होगा और, मैं जानना चाहता हूं कि वह इस दिशा में कोई उपक्रम कर रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में सभी लोगों को खतरा बढ़ जाने का पता है, और प्रयास यही है कि इस क्षेत्र में शांति की स्थापना हो। परन्तु बातचीत के लिए सामान्य आधार निकाल पाना बड़ा कठिन हो रहा है, जहां कि दोनों ओर के लोग मिल सके। यदि कोई प्रस्ताव हमें मिलें तो निश्चय ही हम उस पर विचार करेंगे।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : क्या अमरीकी उपराष्ट्रपति ने वियतनाम समस्या को हल करने य बारे में कोई विशेष प्रस्ताव रखे हैं? क्या यह भी ठीक है कि मानवीय आधारों पर दक्षिणी वियतनाम को डाक्टरी शिक्षामंडल भेजा जा रहा है?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रधान मंत्री जी की अभी अमरीका के उपराष्ट्रपति से भेंट नहीं हुई, मैंने अवश्य भेंट की है, परन्तु अभी भेंट चलेगी, अतः अभी से कुछ कह सकना सम्भव नहीं। हमारे सामने डाक्टरी मिशन भेजने का भी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। वियतनाम की समस्या से सीधे तौर पर हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। अमरीका के राष्ट्रपति ने विभिन्न अवसरों पर वक्तव्य जरूर दिये हैं जिन में उन्होंने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कोई विशेष हल समस्या को सुलझाने के लिये हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : वियतनाम की लड़ाई के बढ़ने के खतरे को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग को अधिकाधिक सहयोग दें ताकि अंतिम निर्णय होने और लड़ाई बन्द कराने की दिशा में कुछ प्रगति हो सके?

श्री स्वर्ण सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के सभापति के रूप में भारत की सदैव कोशिश यह रहती है कि कार्य ठीक प्रकार से हो। हम सभी पक्षों से सहयोग देने के लिये कहते हैं और आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है। इस प्रकार कार्य करते समय आयोग की कभी एक पक्ष से और कभी दूसरे पक्ष से आलोचना भी हुई है।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE : MOTIONS FOR ADJOURNMENT

पश्चिमी बंगाल में खाद्य स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे पश्चिम बंगाल में गेहूं, चावल, मिट्टी के तेल की कठिन स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की तीन सूचनायें मिली हैं। इन में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार अपने जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है और बसीरहाट में गोली भी चली है जिस से 9 व्यक्तियों को चोट आयी है। क्या माननीय मंत्री कोई वक्तव्य देना चाहते हैं?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ज्योंही हमें कलकत्ता से जानकारी प्राप्त होगी, मैं मध्यान्ह पश्चात् वक्तव्य दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या कल?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसे सोमवार को लिया जाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत ही गम्भीर हो गई है। वहां पर 129 ग्राम भी चावल नहीं मिलता। मिट्टी का तेल तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार असफल क्यों हुई है ? वहां पर आंदोलन आरंभ हो गया है और गोली भी चली है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने का कारण यह है कि जैसा कि समाचारपत्रों में भी छपा है। वहां पर सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है। चावल, गेहूं तथा मिट्टी के तेल आदि की सप्लाई बिल्कुल बन्द हो गई है। यह कलकत्ता की स्थिति है। दूर के क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान आप लगा सकते हैं। आप माननीय मंत्री से आज ही वक्तव्य देने को कहें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केन्द्रीय सरकार कह सकती है गोली इसलिये चलानी पड़ी कि विधि तथा शांति का प्रश्न था और यह विषय राज्यों के कार्यक्षेत्र में आता है। इसलिये यह केन्द्र की जिम्मेदारी नहीं है। इस घटना की जिम्मेदारी वास्तव में केन्द्रीय सरकार की है। कलकत्ता में खाद्यान्नों तथा मिट्टी के तेल की बहुत खराब स्थिति हो गई है। इस विषय पर तुरन्त विचार होना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आधुनिक संचार व्यवस्था में जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तथ्यों के आधार पर कोई बात सिद्ध हो जाये तो मैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में निर्णय कर सकता हूं। मंत्री महोदय ने समय मांगा है ताकि वह जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि यह स्थगन प्रस्ताव है इसलिये मैंने उन्हें आज ही वक्तव्य देने को कहा है। आप कितने बजे तक वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं तीन बजे सूचना दे दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल वित्त निगम आदि का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री सचीन्द्र चौधरी) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यो निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल वित्त निगम के 31 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, निगम की आस्तियों तथा दायित्वों को बताने वाले विवरण सहित, सभापटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5463/66]**

योजना मंत्री (श्री अशोक मेहता) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत की ऊर्जा सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5464/66]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित जेनमीकरम भुगतान (समाप्ति) अधिनियम, 1960 की धारा 24 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा जमीनकरम पंचायत भुगतान (समाप्ति) नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 105/65 जो दिनांक 16 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 131/65 जो दिनांक 30 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 159/65 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 166/65 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5465/66]

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक, 24 मार्च, 1965, को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित पट्टाजी देवस्वम् भूमि (निहित किया जाना तथा बन्धनमोक्ष) अधिनियम, 1961, की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति, जिनके द्वारा पट्टाजी देवस्वम् भूमि (निहित किया जाना तथा बन्धनमोक्ष) नियम, 1962, में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 161/65 जो दिनांक 27 अप्रैल, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 219/65 जो दिनांक 25 मई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 353/65 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5466/66]

(4) परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति के अंतिम प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5467/66]

नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखें

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं श्री संजीवय्या की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष, 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 5468/66]

नारियल जटा उद्योग अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं श्री मनुभाई शाह की ओर से पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग (रजिस्ट्रीकरण तथा लाइसेंस देना) चौथा संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1795 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5478/66]**

[श्री शफी कुरेशी]

(2) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) ढले लोहे के मलवाही नलों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 2 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2426 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दांतेदार कसनी (जिप फासनर्स) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 24 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2692 में हुए थे ।

(तीन) तामचीनी के बर्तनों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 25 अगस्त, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 2690 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) हलके इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3031 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) इस्पात तथा इस्पात उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3096 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) निर्यात (किस्त नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 29 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3100 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खनिजों तथा अयस्कों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3151 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) मैंगनीज़ अयस्क तथा लोह अयस्क का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3153 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) ढले लोहे के मलवाही नलों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3406 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) तेल निकली चावल भूसी का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 16 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3607 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) फ्रॉग-लेग्स का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 25 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3707 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) निरापद कांच (सेफ्टी ग्लास) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 7 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3783 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) नारियल जटा उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3920 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) खनिजों तथा अयस्कों—वर्ग-1 का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3977 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) खनिजों तथा अयस्कों—वर्ग 2 का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1965 जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3980 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5469/66]

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस०ओ० 3809 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा सूती वस्त्र (हाथ करघा द्वारा उत्पादन) नियंत्रण आदेश, 1956 का निरसन किया गया।

(दो) जूट (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1965 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3915 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) एस०ओ० 23 जो दिनांक 1 जनवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5470/66]

भारत के जीवन बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं: (1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत निम्न-लिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत के जीवन बीमा निगम का 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे सहित। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5471/66]**

(दो) भारत के जीवन बीमा निगम का 31 मार्च, 1965 को पांचवां मूल्यांकन प्रतिवेदन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5472/66]

(2) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1962, की धारा 5 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (छठा संशोधन) योजना, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3984 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5473/66]**

(3) आपात जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, 1962, की धारा 3 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (कारखाने) बीमा (छटा संशोधन) योजना, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3985 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5474/66]**

विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रादेशिक समिति के अठारहवें अधिवेशन में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): मैं विश्व स्वास्थ संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया के लिए प्रादेशिक समिति के 30 अक्तूबर से 6 नवम्बर, 1965 तक काबुल में हुए 18वें अधिवेशन में भेजे गए भारतीय शिष्ट-मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5475/66]**

वस्त्र समिति अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): मैं वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत वस्त्र समिति (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1778 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 5476/66]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJAYA SABHA

सचिव : श्रीमान, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे सभा के सचिव से यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोकसभा को यह बताना है कि राज्य सभा ने 15 फरवरी, 1966 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा अपनी 20 सितम्बर, 1965 की बैठक में नाविक भविष्य निधि विधेयक, 1965 पारित किये गये विधेयक को इन संशोधन के साथ पारित किया है :

अधिनियमन सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द 'सोलहवां' (sixteenth) के स्थान पर 'सत्रहवां' (seventeenth) रख दिया जाये।

खण्ड 1

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 4 में '1965' के स्थान पर '1966' रख दिया जाये।

खण्ड 9

3. पृष्ठ 6, पंक्ति 26 में '288' के स्थान पर '228' रख दिया जाये।

अतः मैं राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियमों के नियम संख्या 128 के अनुसार उक्त विधेयक को लौटा रहा हूं और निवेदन है कि संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाये।"

नाविक भविष्य निधि विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

SEAMENS PROVIDENT FUND BILL—AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये नाविक भविष्य निधि विधेयक का एक प्रति सभा पटल पर लखता हूं।

सभापति-तालिका के बारे में घोषणा

ANNOUNCEMENT RE : PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत मैं इन सदस्यों को सभापति-तालिका के लिये नाम-निर्देशित करता हूं :—

1. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
2. श्री सोनावने
3. श्री प्र० के० देव
4. श्री पें० वेंकटासुबय्या
5. श्रीमती रेणुका राय
6. श्री श्याम लाल सर्राफ

---

३ अप असम मेल में विस्फोट के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : EXPLOSION IN 3 UP ASSAM MAIL

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमान्, 16 फरवरी, 1966 को उत्तर सीमान्त रेलवे के मरियनी-फारकाटिंग स्टेशनों के बीच 3 अप असम मेल में रात के लगभग 9 बजे एक विस्फोट हुआ। यह एक तीसरे दर्जे की बोगी में हुआ कोच की एक और बिल्कुल अलग हो गई। इस बारे में गार्ड ने प्रथम उपचार कार्य आरंभ किया ही था कि उसी कोच के आगे वाले डिब्बे में एक और विस्फोट हुआ। यह पहले विस्फोट के लगभग आध घंटे बाद हुआ। इससे और भी व्यक्तियों को चोटें आयी। सूचना मिलने पर तुरन्त ही समीप के स्टेशनों से सहायता भेजी गई। अब तक की सूचना के अनुसार 36 यात्रियों की मृत्यु हो गई है और 53 को चोटें आयी हैं। इनमें 9 की हालत खराब है। जख्मी होने वालों को गोलाघात असैनिक अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। इस गाड़ी के साथ रेलवे सुरक्षा दल तथा आसाम राइफल्स के सशस्त्र व्यक्ति भी चल रहे थे। उत्तर सीमान्त रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जांच करने के लिये घटनास्थल पर चले गये हैं।

श्री हेम बरुआ : यहां पर पहले यह कहा गया था उस क्षेत्र से जंगल हटा दिये जायेंगे यह कार्य विशेष रूप से रेल की पटरी के साथ साथ होता था। वहां पर रेलवे यात्रा बहुत असुरक्षित है। मैं जानना चाहता हूं सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : यह प्रश्न जंगलों की सफाई के बारे में नहीं है। यह तो, ऐसा मालूम होता है, विस्फोट के कारण हुआ है। जंगलों की सफाई के बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। इस गाड़ी के साथ सुरक्षा दल तनात था परन्तु उपद्रवी नागाओं के यह नये हथकंडे मालूम होते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This is a third or fourth explosion of this type. I want to know whether the bomb that has been found has been identified and what steps are being taken to avoid the reccurance of such incidents, what aid has been given to those who have been killed or injured?

Dr. Ram Subhag Singh : Aid would be given to the families of killed persons and medical aid would be given to those who have sustained injuries. We shall take all the necessary steps to avoid the recurrance of such accidents. The bomb is being examined.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या गाड़ियों के चलने से पहले सभी डिब्बों की तलाशी करने की व्यवस्था की जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह एक सुझाव है। हम पूरी सावधानी बरतेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : कुछ समय पूर्व वहां हर पटरी उडा दी गई थी। वह क्षेत्र उपद्रवी नागाओं का है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री स० का० पाटिल : इसी लिसे तों सुरक्षा दल साथ चलता है। यह एक नया तरीका हे जो नागाओं न अपनाया है।

Shri Bade : It seem anti national elements are at work. I want to know whether a search has been made in the neighbouring areas.

Shri S. K. Patil : It is the duty of military units. It is not the function of Railways.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अगलामद सभा के नेता का वक्तव्य ।

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से मैं 21 फरवरी, 1966 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह की सरकारी कार्यवाही के बारे में घोषणा करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार होगी :

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा,

(2) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1966 तथा दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1966 पर विचार तथा उनका पारण ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मुझे यह कहना है कि दो चर्चायें आंशिक रूप से हुई हैं—प्रथम, कपड़े के मिलों के बन्द होने के बारे में और दूसरा मिट्टी के तेल के बारे में । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद कुछ समय मिल सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद एक और शुक्रवार मिलेगा । उस समय हम यह प्रश्न उठा सकते हैं । परन्तु आनेवाले सप्ताह में कोई समय नहीं मिल सकेगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए 15 घंटे का समय है । यह भी आवश्यक मामला है क्योंकि मिलें बन्द हो गई हैं । दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कोई प्रस्ताव पेश कर रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मेरा विचार है कि श्री बनर्जी को कार्य यंत्रणा समिति में आमंत्रित किया जाय ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम सदैव कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से ही सीमित नहीं रहते । हम सुझाव दे सकते हैं । मैं इस बारे में मिसालें दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति में सब दलों के सदस्य होते हैं । सदन के समक्ष पर्याप्त कार्य है । राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में एक सप्ताह लगेगा । उसके पश्चात् रेलवे बजट पर पूरा समय लग जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं यह जानना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में सभा नेता के साथ साथ संसदीय कार्य के मंत्री रहने के बारे में जो सन्देह प्रकाशित हुआ है, क्या वह निश्चित हो चुका है ? दूसरी बात जो मैं जानना चाहूंगा वह यह है कि क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिवेदन पर भी आंशिक चर्चा हुई थी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : साधारणत: सरकारी कार्यों के बारे में संसदीय कार्य मंत्री, न कि सभा नेता, वक्तव्य देते रहे हैं । इस सभा की यही प्रथा रही है । अब सभा-नेता यह कह रहे हैं । यह बात ठीक मालूम नहीं होती ।

अध्यक्ष महोदय : सभा-नेता का स्थान गरिमा का स्थान होना चाहिये और आगामी सप्ताह के बारे में कार्य किसी अन्य मंत्री को करना चाहिये । सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये । यह मेरा काम नहीं है ।

श्री सत्यनारायण सिंह : इस विषय पर सरकार के दो विख्यात अधिवक्ता जो मंत्री भी है विचार कर रहें है पहले जब मैं संसद कार्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहा था उस समय मै यह काम भी करता था । यहकार्य मझे सभा के नेता ने दिया था अब भी मैं यह कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सभा नेता यह कार्य स्वयं करना चाहते हैं तो हमे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं समझता हूं कि सभा के कार्य की घोषणा सभा नेता को ही करनी चाहिये ।

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक---पुर:स्थापित
DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) BILL—INTRODUCED

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री नन्दा : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1966 के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : DELHI LAND REFORMS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1966

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभारण मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमान्, मैं दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1966, द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

ताशकन्द घोषणा के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : TASHKENT DECLARATION

अध्यक्ष महोदय : सभा अब भी स्वर्ण सिंह द्वारा 16 फरवरी, 1966, को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :

"कि ताश्कन्द घोषणा पर विचार किया जाये"

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा निवेदन है कि इस चर्चा के दौरान माननीय प्रतिरक्षा मंत्री सभामें उपस्थित रहे क्योंकि वह ताश्कन्द घोषणा के बारे में उठायी गई बातों का उत्तर अच्छी तरह दे सकेंगे । वह स्वयं ताश्कन्द गये थे इस लिये वह सब प्रश्नों का उत्तर अच्छी प्रकार दे सकेंगे ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : भारत तथा पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों में एक नया अध्याय आरंभ हुआ है । यदि इस समझौते को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाये तो शीघ्र ही दोनों देश मिलकर एक हो जायगे । दोनों देशों में मित्रता बढ़ेगी और दोनों देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे ।

[श्री बाकर अली मिर्ज़ा]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

दोनो देशों में व्यापारिक समझौते हो सकते है। इसपर विचार किया जाना चाहिये। श्री लाल बहादुर शास्त्री के शव को जिस मान तथा श्रद्धा से प्राप्त किया गया था उससे शास्त्री जी द्वारा किये गये इस समझौते के समर्थन की एक झलक मिलती है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैं अपनी पार्टी की ओर से इस समझौते के प्रति समर्थन व्यक्त करता हूं। मेरी पार्टी सदैव इस प्रकार के समझौते के लिये कहती रही है। खेद की बात है कि गृह-कार्य मंत्री इस प्रकार की बात को देश द्रोह कहते हैं। जब दोनों देशों में लड़ाई चल रही थी तो देश के प्रतिक्रियावादी तत्वों ने देश में युद्ध की भावना उत्पन्न कर दी थी। रूस के प्रधान मंत्री तथा हमारे प्रधान मंत्री ने दूरदर्शिता का प्रमाण देकर यह महान समझौता किया है। मैं आशा करता हूं कि इस समझौते की भावना फैलेगी और दोनों देशों में जो अन्य झगड़े है उनका समाधान होगा। मैं इस समझौते के लिये प्रधान मंत्री की प्रशंसा करता हूं।

इस समझौते के प्रति विरोध भी प्रकट किया गया है। यह साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादियों का काम है। इन्हीं लोगों ने देश का विभाजन कराया था। सरकार को इन लोगों के बारे में सतर्क रहना है और देश के निर्धन वर्ग को हानि नहीं होनी देनी चाहिये। कुछ पश्चिमी देश इस समझौते के बारे में प्रसन्न नहीं है। सरकार को इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिये। हम सदैव लड़ाई और तनाव की स्थिति में नहीं रह सकते। इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर खराब प्रभाव पड़ता है। हमें चीन के साथ भी शान्तिमय समझौता कर लेना चाहिये। हमें तटस्थ देशों की सहायता लेनी चाहिये और चीन से बातचीत आरंभ करनी चाहिये। रुमानिया और संयुक्त अरब गणराज्य इस बारे में सहायक हो सकते हैं। जैसे ताश्कन्द सम्मेलन बिना किसी शर्त के बुलाया गया था उसी प्रकार चीन से भी बातचीत हो सकती है। श्री जय प्रकाश नारायण ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है।

मैं ताश्कन्द घोषणा के बारे में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सीमा सम्बन्धी अन्य झगड़े भी इस प्रकार हल होंगे।

श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित (फूलपुर) : ताश्कन्द समझौता दोनों देशोंके लिये बहुत महत्व रखता है। इस से संयुक्त राष्ट्र संघ मज़बूत होगा यह ठीक समय पर ठीक दिशा की ओर एक ठीक कदम है। इस से दोनों देशों के बीच मैत्री बढेगी।

विश्व में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस की आलोचना न हुई हो। कुछ लोग इसका महत्व नहीं समझते। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने शांति के मार्ग पर इस समझौते द्वारा एक कदम उठाया है। मुझे आशा है कि इस से हम पूरा पूरा लाभ उठायेंगे।

भारत सदैव शान्ति का समर्थक रहा है। इस समझौते से हम ने अपनी शान्तिप्रियता की पुष्टि कर दी है। इस घोषणाने चीन को छोड़ सभी देशों का स्वागत किया है। इस से भारत के सम्मान में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान भी अब चीन के बारे में ठीक रवैया अपनायेगा।

यह प्रथम अवसर है कि एक बड़े देश ने इस प्रकार का समझौता कराने में सहायता दी है। हम रूस द्वारा दिखाई गई सद्भावना का स्वागत करते हैं इससे एशिया की शांति में रूस की दिलचस्पी का आभास होता है। इस समझौते से सिद्ध होता है कि रूस एशिया में शान्ति-स्थापना में सक्रिय रूप से कार्य करता है।

इस समझौते की मुख्य बात मैत्री की भावना उत्पन्न होना है। भारत इस घोषणा को पूरी निष्ठा से निभायेगा और आशा है पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। हमें एक दूसरे पर सन्देह नहीं करना चाहिये।

श्री शास्त्रीजी ने पाकिस्तान से यह आश्वासन ले लिया था कि भविष्य में बल प्रयोग नहीं होगा। उसके पश्चात उन्होंने हाजीपीर दर्रे, कारगिल और टिथवाल से अपनी सेना वापिस बुलाने के बारे में सहमति दी। पाकिस्तान द्वारा छम्बजोड़ियां से हटाना हमारे लिये बहुत महत्व की बात है।

यहां पर कहा गया है कि इस समझौते से हमने अपने जीते हुए क्षेत्र को वापिस कर दिया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इस समझौते से हमने अपनी प्रभुसत्ता को नहीं खोया है। इससे तो केवल 1949 की युद्धविराम रेखा की पुष्टि की गई है। हमने शान्ति के हित में यह समझौता किया है।

इस समझौते के बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। दोनों देश अवांछनीय प्रचार बन्द कर देंगे और उनमें मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे। इस सदन की भी जिम्मेदारी है कि देश के सम्बन्ध सुधरें। हमें सरकार का पूरा पूरा समर्थन करना चाहिये।

हमारे पक्ष की रूस तथा अमरीका दोनों ने सराहना की है। ताशकन्द समझौता पहला अवसर है जिससे शान्ति की आशा बंधी है और हम अपने सिद्धान्तों से विचलित नहीं हुए हैं। हमने पहले भी घोषणा की थी और ताशकन्द में स्पष्ट रूप से कहा था कि काश्मीर के बारे में हमारा पक्ष स्पष्ट है। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

यह समझौता किसी प्रकार के दबाव में आकर नहीं किया गया है। यह कहना श्री शास्त्री को लांछन लगाना है। वह किसी के दबाव में आने वाले नहीं थे। हमने जो कुर्बानी की है उससे यह सिद्ध हो गया है कि यदि हमारे देश पर कोई आक्रमण करेगा तो उसे उचित उत्तर दिया जायेगा और हम अपने देश की रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। यह भी सिद्ध हो गया है कि केवल मशीन ही नहीं बल्कि उसे चलाने वाले व्यक्ति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हमें इस समझौते का स्वागत करना चाहिये।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय) : ताशकंद समझौते का चीन के अलावा सभी देशों ने स्वागत किया है। चीन तो शायद भारत के बारे में सदैव शत्रुता की नीति अपनाये रखना चाहता है। भारत में भी इस समझौते की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। हमारे देश में कुछ ऐसे दल हैं जो पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति बनाये रखना चाहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों ने इस समझौते के बारे में संदेह व्यक्त किया है।

प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चौकियों से हम केवल तभी हटेंगे जब हमें गारंटी मिलेगी कि पाकिस्तान भविष्य में घुसपैठिये नहीं भेजेगा। क्या ऐसा हुआ है?

[श्री श्यामलाल सर्राफ़ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

मैं कहूंगा कि इससे श्री शास्त्री जी के आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है।

इस समझौते में कहा गया है कि एक दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। मुझे भय है कि पाकिस्तान काश्मीर को हमारा आन्तरिक विषय नहीं मानेगा : अतः समझौते की इस बात का कोई अर्थ नहीं है। पहले भी तो युद्ध विराम के बारे में शर्तें थी। उनके होते हुए पाकिस्तान ने घुसपैठिये भेजे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान फिर घुसपैठिये भेजेगा। पहले भी सुरक्षा परिषद और उसके प्रेषक कुछ नहीं कर सकेंगे और फिर भी वे कुछ नहीं कर सकेंगे।

[श्री फ्रैंक एंथनी]

हमें इस समझौते को स्वीकार करना है। यह हमारे महान प्रधान मंत्री की देन है। हमें आशा करनी चाहिये कि पाकिस्तान इस समझौते अच्छी तरह निभायेगा। इससे दोनों देशों के सम्बन्ध अच्छे होंगे। हमे समझ लेना होगा कि यह समझौता शान्ति के लिये किया गया प्रयास है।

हमें अपने सुरक्षा के बारे में सतर्क रहना होगा। कच्छ के बारे में हमें अनुभव है। उस समझौते के तुरन्त बाद पाकिस्तानने आक्रमण कर दिया था। हमें पूर्णरूप से जागरूक रहना होगा।

हमारा धर्मनिरपेक्षता में पूरा विश्वास है और काश्मीर उसका एक प्रमाण है।

यदि किसी भी सरकार ने काश्मीर की समस्या के साथ विश्वासघात किया तो उसे देश में एक बहुत बड़े विद्रोह का सामना करना होगा। इस दिशा में मुझे कोई सन्देह नहीं है। यह बात भी बहुत खेदजनक है कि हर आदमी काश्मीर के बारे में अपना अपना हाल प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी बातें करने वालों से उत्तरदायित्व पूर्ण पद छीन लिये जाने चाहिए। ये लोग तीन तरह से देश को हानि पहुँचाते हैं। प्रथम यह कि बाहर की दुनिया को यह विचार दिया जाता है कि एक वर्ग ऐसा है जो कि काश्मीर का भाग पाकिस्तान को देना चाहता है। दूसरा इससे आन्तरिक स्थिति भी खराब होती है। पाकिस्तान के दोस्त और भारत के शत्रु इससे प्रोत्साहित होते हैं। इससे भारत के विरुद्ध घृणा के रूप में काश्मीर आन्दोलन को प्रोत्साहन मिल जाता। मझे यह बात काश्मीर के कुछ लोगों ने कही कि वे तो भारत के प्रति वफादार रहना चाहते हैं परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ने काश्मीर पाकिस्तानियों को दे दिया तो क्या होगा। हमारी स्थिति अपने ही घर में गद्दारों सी हो जायेगी। हमें भयभीत नहीं होना चाहिये और पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि यदि घस पैठियें दुबारा आये तो हम इसे युद्ध करने वाली बात समझेंगे और हमें भी कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री ज० भ० कृपालानी (अमरोहा) : जिस ऊंचे व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये हैं, वह तो रहे नहीं अतः इसका विश्लेषण करना कठिन है। ताशकन्द में उनका देहान्त बहुत ही भयावह स्थिति में हुआ, इस पर भी हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को पूरा करना है। इस दस्तावेज का स्तर क्या है यह हमने देखना है। लगभग वहीं है जो कुछ सुरक्षा परिषद् ने कहा था। रूस ने सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस बार रूस हमारे पक्ष में नहीं था उसकी स्थिति निष्पक्ष थी। अब वह यह नहीं कहता था कि काश्मीर भारत का अंग है। यह ठीक है कि दोनों पक्षों के सामने समझौते की भावना थी। परन्तु ताशकन्द से आने के बाद दोनों पक्षों की स्थिति अलग अलग है। एक कहता है कि काश्मीर हमारा है और दूसरे पक्ष की धारणा है कि वहां जनमत होगा।

यह भी कहा गया है कि हम एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे परन्तु अब तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि काश्मीर भारत का आन्तरिक मामला नहीं है। अच्छे अच्छे शुद्ध शब्दों का प्रयोग हुआ है। स्थायी शांति हो जायगी, पड़ौसी देशों के सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे इत्यादि। परन्तु जिन प्रश्नों को लेकर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उन प्रश्नों का कोई हल हुआ नहीं। यह ठीक है कि इस समय शांति स्थापित हो गयी है। ठीक है, यह अच्छी बात है, और हम इसका स्वागत करते हैं और संसार भी इसकी स्तुति कर रहा है। दूसरे लोग तो युद्ध बन्द करने के लिए लड़ने वालों पर अपना दबाव डालते ही है, परन्तु पक्षों को तो अपना हित देखना ही होता है। कोई भी युद्ध हो आखिर अपने हितों को तो देखना ही होता है। सारे देश वियतनाम की लड़ाई बन्द कराना चाहते है, परन्तु अमरीका अपने हितों की उपेक्षा करके तो कुछ भी नहीं करता।

यह भी प्रश्न है कि यदि प्रत्येक देश ने इस समझौते का स्वागत किया है तो भारत में कुछ वर्ग ऐसे क्यों है जो इससे सन्तुष्ट नहीं है? उसका कारण यह है कि कुछ ऐसे आश्वासन है जो कि इस सदन में भी दिये गये थे, परन्तु उनका पालन नहीं किया गया। लोगों को जो कुछ कहा गया उसे पूरा नहीं किया गया। कहा गया था कि काश्मीर के जो क्षेत्र हमने वापिस ले लिये हैं वे लौटाये नहीं जायेंगे। यह भी कि घुसपैठिये हटाने होंगे। ये सब वचन पूरे नहीं किये गये। केवल एक ही बात हुई है कि यथापूर्व स्थिति स्थापित हो गयी है। इसके अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ है।

लोगों को काफी निराशा हुई है, परन्तु मुझे कोई निराशा नहीं हुई। मुझे इससे अधिक की आशा नहीं थी। लोग राजनीति नहीं जानते, और यह नहीं समझते कि राजनीतिज्ञों का कोई 'आदर्शवाद' नहीं होता। बहुत सी हेरफर की बातें उन्हें करनी पड़ती है। एक अंग्रेज लेखक ने कहा है। यदि आपकी अनुमति से कोई इसे पढ़ दे तो।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आपकी अनुमति से?

सभापति महोदय : हां।

श्री हरि विष्णु कामत : ब्रिटिश लेखक का कहना है, "धूर्त, निर्दयी और धोकेबाज होना उन लोगों के लिए जानी है जो शक्ति हाथ में लेने का प्रयास करते है। अच्छ गुणों के कारण लोग उच्च पद प्राप्त करते है, परन्तु थोड़े ही लोगों में अच्छे गुण होते हैं। जो भी प्रधान मंत्री बने उनका कोई सिद्धांन्त नहीं रहा। कई बार अपनी टीम बनाने के लिए उन्होंने अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए उन लोगों को भी साथ ले लिया जिनसे उनके सिद्धांन्त मेल नहीं खाते।"

"कई बार उन लोगों को इन्होंने अपने साथी बनाया जिनकी उससे पूर्व वे निन्दा करते थे। श्री एटली कई योग्य व्यक्तियों को पीछे फैंक कर प्रधान मंत्री बने।"

श्री जी० भ० कृपलानी : परन्तु हम लोग गान्धी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़े। इस लिये हम यह गलत आशा अपने राजनीतियों से लगाते हैं कि वे नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करे और अपने वचनों का पालन करे। पदारूढ़ रहने के लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ता हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ताशकन्द में एक अन्य मनोवैज्ञानिक बात यह हो रही थी कि कई प्रकार के प्रभाव भी डाले जा रहे हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री पर कई स्वागत समारोहों के कारण मानसिक तनाव बना रहा। उन्हें कई बार प्रातःकाल तीन बजे तक बातचीत करनी पड़ी। इस प्रकार उन पर बड़ा विपरीत प्रभाव हुआ। इस प्रभाव के अधीन वह यहां दिये गये वचन भूल गये। मेरा विचार है कि जब वह सोने लगे तो उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने भारत में जैसा वचन दिया था, वैसा कार्य नहीं किया है। मेरा विचार है कि इस कारण से यह दुर्घटना हुई।

श्री शामलाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : ताश्कंद भावना के बारे में काफी भाषण कल और आज हुए। मैं उसमें नही जाऊंगा। कुछ विरोधी आवाजें भी सुनाई दी है, अतः मैंने भी अपने विचार व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझा है। इस बारे में सन्देह व्यक्त किया गया है कि हम संवैधानिक तौरपर हाजी पीर इत्यादि क्षेत्रों को खाली कर सकते है अथवा नहीं मेरा निवेदन है कि वर्तमान समझौते के अन्तर्गत हमने हाजी पीर तथा कारगिल आदि से पीछे हटने का बचन दिया है। यह कहना गलत है कि इन क्षेत्रों से निकल आना देश के हित में नहीं है। इन छोटे छोटे टकड़ों के मुकाबले में छम्ब जोरियों क्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर एक सड़क है जो सारे जम्मू तथा काश्मीर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र से हटने के मामले को इसी सन्दर्भ में देखना चाहिये। मेरे विचार में इससे हमें लाभ ही हुआ है।

[श्री शामलाल सर्राफ]

इसके अतिरिक्त अन्य बात यह है कि पिछले 17 अथवा 19 वर्षों के दौरान उस सारी सीमा पर सदा लूटमार और गड़बड़ रही रहती थीं, अतः हमें हमेशा उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नौशेरा, अखनूर, छम्ब और रणबीर सिंहपुरा तहसील में हमारे लोगों को सदा किसी न किसी संकट का सामना करना पड़ता रहा है। पाकिस्तान की ओर से बार बार गड़बड़ होते रहने से काश्मीर में यातायात, कारोबार तथा वाणिज्य को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं था। ताशकन्द भावना से हम इन सभी उपरोक्त कठिनाइयों से बच सकेंगे। यहां तक घुसपैठियों का सम्बन्ध है हम उनसे निपट लेंगे। कुछ ऐसी बातें जरूर हुई है जिसके कारण जम्म और काश्मीर में राजनीतिक क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक व्यक्ति घुस आये हैं। मेरा है यह आग्रह है कि सरकार को उन्हें रोकने के लिए कार्यवाही करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को जागरूक रहना चाहिए।

ताशकन्द करार की सफलता के लिए यह जरूरी है कि सरकार मजबूत हो। सरकार का लोगों पर यह प्रभाव पड़ना चाहिए कि जो कुछ वह कहती है उसका कुछ महत्व होता है। यह भी एक तथ्य की बात है कि केवल एक सुदृढ़ सरकार ही अपने उद्देश्यों को पुरा कर सकती है। मेरा यह भी आग्रह है कि जम्मू और काश्मीर में भी इस प्रकार की सरकार की स्थापना होनी चाहिये जो कि कार्य करें। सनिकों की संख्या घटाने की बात चल रहीं है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान केवल दो ही घंटों में हमारी सीमाओं पर पहुँच सकता है। हमारी स्थिति यह नहीं है। हमें वहां पहुचने में समय लग सकता है। मैं ताशकन्द समझौते का समर्थन करना हूँ, परन्तु इस बात पर जोर देता हूँ कि हमें सतर्क रहना चाहिए। यदि हम पहले ही जागरूक होते तो जो कुछ है, वह न होता। इन शब्दों में मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Tashkent Agreement should be revised with a back-ground of history that let to the establishment of India and Pakistan. If we ignore the factor, we shall be constituting a great blunder. For the last 18 years Indian Government have not been able to adopt a definite policy with regard to Pakistan. Even more it has no policy in this direction. There has been the State of decision all through. I want to urge upon the Government that they should adopt a definite policy in this regard and leave in decision.

The Sentiments that have been expressed in Tashkent Agreement were also expressed in so many other agreements also that were signed between India and Pakistan since Independence. There has not been any net result of those sentiments. On the one hand the sentiments of friendship were expressed while on the other there were germs of Seperation. It was stated that migration will not be encouraged, but at the same facilities were arranged for migration. Even this was said that those who have come from Pakistan should go back. It is not possible to understand this double policy.

In this Tashkent Agreement also, it is stated that internal interference will not be done in each other's affairs. India and Pakistan had been the parts of one country. It will not be possible to remain immane from taking interest in the affairs of each other. It is futile to say that no interference will be done while Mr. Bhutto has very cleverly declared that they will never forget Pakistan. The assurance was that Hajipir, Kargil and Thithwal will not be vacated, but now they are being vacated. We also betrayed the cause of khan Abdul Guffar khan and did not give any help regarding Pakhtoonistan. What is the position with regard to the assuranace given by the enternal affairs Minister on the 17 November 1965 on the floor of this House that the cause of Pakhtoonishtan will be fully supported and khan Abdul Guffar khan will be welcomed in India. The Honourable Minister should clarify this point whether this assurance will be implemented.

United Nations Charter has been referred in the Agreement, in which it is stated that the force will not be used. But Pakistan's interpretation is that she can use force in self defence. And invasion on Kashmir will be the invasion of Pakistan. Even the cease fire line is not being honoured though it was very categorically stated to do so. This is also a fact that Pakistan has refused to take any responsibility of the infiltrators whose number is more than five thousand. What is the situation regarding this and the position of Government thereof.

It has always been stated that Government will protect the Sovereignity of the country. I dont understand that how can we call Kashmir, the integral part of the country when 2/5 of it is under the Pakistan's domination. We have agreed to vacate our own posts and have allowed Pakistan an upper hand. Indian citizens have been compelled to go to Pakistan. This means their talk of sovereignity is baseless. This is only befooting the people. I want to urge upon the Government that we should try to understand the real cause of the conflict between India and Pakistan. I am of the opinion that the unnatural division of India and Pakistan is the real cause of tension. This should be undone and Government should take effective steps in this direction.

श्री जोकिम अल्वा (कनारा) : श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दोनों देशों को निकट लाने के लिए ताशकन्द में अपना बलिदान दे दिया। ताशकन्द समझौता भारत के लिए शास्त्री जी की अन्तिम वसियत के रूप में है। इस से स्वर्गीय शास्त्री जी मृत्यु के बाद भी बड़े शक्तिशाली, प्रभावशाली और अमर बन गये हैं। ताशकन्द भावना बड़ी असाधारण बात है। इससे दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनने की आशा हुई है। सम्भव है कि इसी ताशकन्द भावना द्वारा काश्मीर के विवाद का भी निपटारा हो जाय। श्री शास्त्री शांति और युद्ध दोनों काल के सफल नेता सिद्ध हुए है।

ब्रिटेन की नीति तो हमेशा विभाजित करों और राज्य करों की रही है। लगभग सभी देशों में उसकी यही नीति रही है। रूस को यह श्रेय है कि उसने भारत और पाकिस्तान को निकट लाने का प्रयास किया। श्री कोसीगिन ने इस दिश में जो प्रयास किये वे बहुत सराहनीय है। इस समझौते से एक नयी मैत्री भावना का निर्माण हुआ है। हम कटु बातों को भूल कर मैत्रीपूर्ण बातों को याद रखने का प्रयास कर रहे है। इससे यह आशा बढ़ी है कि हम नई दिशा में बढ़ेंगे।

चीन ने जो कुछ किया है वह हमारे सामने है। यही चीन है जिसने आज से कुछ वर्ष पूर्व यह कहा था कि काश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए, पर अब उसने पाकिस्तान को काश्मीर पर हमला करने की शह दी। चीन का खतरा अभी गया नहीं है। यह मानना पडेगा कि 20 वर्ष के खून खराब के बाद इस क्षेत्र में शांति स्थापना की आशा हुई है। शास्त्रीजी ने इसके लिए अपना जीवन बलिदान दिया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके अधूरे कार्य को पूरा करे। मेरा कहना है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में काफी संख्या में मुसलमान भी रहते है। अतः ताशकन्द भावना का हर कीमत पर पालन होना चाहिए। दोनों देशों को प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को भी सही राह पर आना चाहिए। यदि हम इस दिशा में सफल हुए तो इस उप महाद्वीप में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जायेगा।

श्री सेझियान (पेरम्बतूर) : मैं ताशकन्द घोषणा की भावना का स्वागत करता हूँ। 18 साल के बाद दोनो देशों के सम्बन्धों को ठीक करने की दिशा में यह पहला कदम है। इससे आशा की एक किरण दिखाई देती है कि दोनों देशों के लाखो लोग शांति और मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के साथ रह सकेंगे।

हम इस भौगोलिक तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं। हमारा पुराना इतिहास कुछ भी रहा हो परंतु अब हमारे लिए दो ही रास्ते हैं या तो हम युद्ध करके अपनी

[श्री सेज़ियान]

समस्यायें हल करें या शांति से। ताशकन्द समझौते से तनाव कम हुआ है और दोनों देशों में मित्रता के लिए रास्ता बन गया है। इस समझौते को कार्यन्वित करने का प्रश्न मैं स्वयं सरकार पर छोड़ता हूं। हमारे विधि मंत्री योग्य हैं और मुझे विश्वास है कि वह इस विषय में संविधान के अनुकूल ही कार्यवाही करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं ताशकन्द समझौते के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। अब हमें यह प्रतिज्ञा करनी है कि हम दोनों देश भ्रातृभाव से और अच्छे पड़ोसियों के समान रहेंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): ताशकन्द समझौते के प्रति उचित दृष्टिकोन अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस के सभी पहलुओं को दृष्टि में रखें। हमें देखना है कि इस समझौते के उपबन्ध क्या क्या हैं, किन कारणों से यह समझौता सम्पन्न हुआ और यह कि यह समझौता अपने आप में पूर्ण न होते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक कदम ही है। मैं महसूस करती हूं कि आज हमें अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मामले में पूर्ववत् स्थिति लाने के लिए और तेज़ी से कार्यवाही करनी है। ताशकन्द समझौते से यही कार्यसम्पन्न हुआ है।

ताशकन्द समझौते की सर्वोच्च महत्ता यही है कि इस के कारण हम आक्रमण और संघर्ष से पहले की स्थिति में आ गये हैं। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के समय 25 करोड़ रुपया प्रति दिन खर्च हुआ। हमें अपना सम्मान बनाये रखने के लिए हर सम्भव कुरबानी करनी है परन्तु युद्ध के आर्थिक परिणामों और अन्य बातों को नजर से ओझल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से हुए संघर्ष से उसे यह सबक मिला है कि युद्ध से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। यही हमारी सबसे बड़ी एक सफलता है। पाकिस्तान को जो सबक मिला है वही हमारी सब से बड़ी सफलता है। सोवियत प्रधान मंत्री ने बीचबचाव कर के दोनों पक्षों में परस्पर बातचीत के लिए स्थिति पैदा की और यह स्थिति पाकिस्तान के लिए हमारे मुकाबले में अधिक कठिन थी। युद्ध न करने की बात को स्वीकार करना भी पाकिस्तान के लिए अत्यन्त कठिन बात थी।

अधिकांश सदस्यों ने सन्देह व्यक्त करते हुए कहा है कि इस युद्ध न करने के समझौता की महत्ता क्या है। इस सन्देह का कारण पाकिस्तान का इतिहास है। श्री भुट्टो और श्री अयूब आदि ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के आधारभूत सिद्धान्त को, जो ताशकन्द समझौते में है, जिस तरह ठुकराया है उस कारण भी यह सन्देह पैदा होता है। यदि युद्ध न करने का समझौता पाकिस्तान से हो जाता तो माननीय सदस्यों को बहुत सन्तोष होता। परन्तु मैं यह पूछती हूं कि इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि पाकिस्तान ऐसे समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन तो किसी भी समझौते का हो सकता है।

इस समझौते के फलस्वरूप शांति स्थापित हुई है और परस्पर बातचीत का वातावरण पैदा हुआ है। यही हमारी सफलता है।

रावलपिंडी से प्राप्त खबर के बारे में आकाशवाणी से यह प्रसारण हुआ है कि हम 1949 की स्थिति ला रहे हैं। परन्तु हमें अपनी स्थिति इस प्रकार बनानी है कि हम किसी भी खतरे का सामना करने की स्थिति में हों। आज़ाद कश्मीर की सीमा सिकियांग से लगती है। इसलिए यदि हम वहां अपनी सैनिक शक्ति में कमी करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां चीन की सीमा भी है। मैं इस बात को अनुचित समझती हूं कि हम 1949 की स्थिति को फिर लायें और वहां अपनी सैनिक शक्ति कम करें। मैं रक्षा मंत्री से अपील करती हूं कि वह इतनी जल्दी वहां से अपनी सेनायें न हटायें क्योंकि ऐसा करने से खतरा पैदा हो सकता है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—जारी

RE : MOTION FOR ADJOURNMENT—*contd.*

पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति

खाद्य मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : 1965 में हम ने पश्चिम बंगाल को 2.8 लाख मेट्रिक टन चावल और 7.8 लाख मेट्रिक टन गेहूं दिया था। इस वर्ष जितना चावल उन्हें कम दिया गया है उतनी मात्रा में गेहूं दे दिया गया है। जनवरी में इस राज्य को 80,000 मेट्रिक टन गेहूं दिया गया और फरवरी के लिए एक लाख मेट्रिक टन गेहूं नियत किया गया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को अनाज देने के मामले में असफल रही है। वास्तव में, अपेक्षाकृत दृष्टि से सब से अधिक अनाज पश्चिम बंगाल को दिया जा रहा है।

इस घटना विशेष के बारे में मेरे पास यह जानकारी है। 16 फरवरी को स्थानीय कालेज और स्कूल के विद्यार्थियों ने राशन की मात्रा बढ़ाने, बराबर राशन देने और मिट्टी का तेल सप्लाई किये जाने के लिए बसिरहाट न्यायालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुंचाई। विद्यार्थियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जेल पर हमला किया जिस के कारण पुलिस ने गोली चलाई और 6 व्यक्ति घायल हुए। 100 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और विद्यार्थियों को बाद में रिहा कर दिया गया। शाम से सुबह तक वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है। तेल की सप्लाई के बारे में सोमवार को सम्बद्ध मंत्री एक विस्तृत वक्तव्य देंगे।

श्री प्रिय गुप्त : मिट्टी के तेल की कमी के कारण विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे लम्बित रखूंगा।

ताशकन्द घोषणा के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : TASHKENT DECLARATION—*contd.*

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : As the Tashkent Agreement was signed by the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri, himself, debate on this should have been initiated by our Prime Minister. I feel that our Prime Minister has, in this matter, evaded her responsibility.

I am one of those who feel that the conclusion of Tashkent Agreement had weighed heavily on our late Prime Minister. It becomes apparent from the fact that Shri Shastri immediately wanted to know the reaction here to the Agreement and to know that reaction he wanted to see Indian newspapers in Kabul. I know what Shri Shastri felt about the matter. At the time when cease-fire proposal was under consideration, on being asked by the opposition Members, he had categorically stated that India would never go back to the position of 5th August, in Kashmir. In order to remove the misgivings of the people, Government should make public the words noted down by Shri Shastri, immediately after signing the Agreement. Our great tribute to the late Prime Minister would be to lighten the burden which carried him to the grave and not to enhance that further.

I want the Defence Minister and the Government to tell the advantages gained by us as a result of the Agreement. What is the guarantee that the infiltrators, who have gone to Pakistan from Haji Pir Pass, Chhamb, Akhnoor and from other places, would not come back and create trouble afresh? How would the Government of India check them from doing so. This misgiving should be removed from the minds of the people. It has not been given in the Agreement that armed infiltrators in uniform or otherwise will go back, how then is this Agreement in

[Shri Prakash Vir Shastri]

our interest? After the signing of the Agreement, the President of Pakistan stated that the people of Kashmir should continue their freedom struggle and that Pakisthan would continue supporting them as before. Anti-Indian propaganda from "Azad Kashmir" Radio still continues. But we, on the other hand, awarded Param Vir Chakras posthumously, and even the word "Pakistan" was safely omitted while awarding the same.

It has been reported in the Press that Army Chiefs of both India and Pakistan have decided to reduce the size of their armies in Kashmir to the limit which was there in 1949. The statement given by Shri Jagjivan Ram that cease-fire limit should itself be accepted as international boundary coincides with that. The Government should make the situation clear now and remove misgivings of the people.

Our Defence Minister comes from a State which is known for valour and fearlessness. Moreover he is well aware of the sentiments of our jawans. Therefore, he should make it clear whether he had also given his consent at the time of the signing of the Agreement. I personally do not feel that he did. But he should himself make it clear and remove the widespread doubts about him. With these words I oppose the Tashkent Agreement and want that the amendment moved by me be accepted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जब शास्त्रीजी ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किये थे तो मैं उन के साथ पूर्णतः सहमत था।

Shri B. P. Maurya (Aligarh) : Any peace loving and sensible man would think that problems should be settled peacefully. Tashkent Agreement is a very good step in that direction. There are two aspects of the Agreement: one is emotional aspect and the other is that of its purpose. We always had a spirit of friendship and brotherhood so far as Pakistan is concerned. But she has always been behaving treacherously and giving a venomous response to our spirit of goodwill. But sentiments can be transformed by taking a pledge. So far, Pakistan had not taken such a pledge as she has taken today. This is the emotional aspect of the Agreement. The aspect of purpose is related to the fact that good relations should be there between India and Pakistan, and such relations cannot be there unless the problem of Kashmir is settled. I want to know whether we have come round to the views expressed by late Shri Ambedkar? Or whether we want to take certain steps silently? Is the statement given by a Cabinet Minister at Agra not a pointer to that step? I feel that now you should stop saying that Kashmir is an integral part of India. No difference should remain between profession and practice now.

Now I would say about the infiltrators. I am of the opinion that all the infiltrators, whether in uniform or without uniform, should go back to the position of 5th August. Even the words 'armed personnel' includes infiltrators, otherwise the word troops should have been used. The use of the words 'armed personnel' in both Washington and Tashkent have direct relation with infiltrators. Even the interpretation of the three Resolutions of the Security council, by our late Prime Minister was the same. When you talk of coming back to the positions of 1949 and of reducing the number of our forces in Kashmir I want to know whether you would be able to meet the challenge of new infiltrators if they come again through Haji Pir Pass and other places while implementing the Tashkent Agreement faithfully you should see whether Pakistan does the same or not we should reduce the number of our forces in Kashmir only if Pakistan is found sincere in her thoughts and deeds. Otherwise restorations of the positions held by our forces in 1949 would be wrongful unto the nation on your part.

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : ताशकन्द समझौता एक विशेष महत्व रखता है। यद्यपि भारत ने विजयी हो कर और पाकिस्तान ने पराजित हो कर मित्रता से रहने और परस्पर समस्याओं को शांति से हल करने की बात तय की है, परन्तु जिस भावना से यह समझौता हुआ है उस में विजय या पराजय का कोई अंश नहीं है। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि उसने रणभमि में शौर्य दिखा कर और अपना खोया हुआ सम्मान पा कर अपने पड़ोसी देश से समझौता किया है।

यद्यपि इस समझौते के फलस्वरूप हमें कछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों से हटना पड़ा जहां से घुस-पैठिये आये थे परन्तु श्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह समझौता संसार को यह दिखाने के लिए किया कि हम शांति चाहते हैं, अपने पड़ोसी देश से मित्रता चाहते हैं और आपनी समस्याय शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं। इस दृष्टि से ताशकन्द समझौता हमारी सफलता का द्योतक है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष शरू होने से पहले हमारे कुछ मित्र देश हमारी सहायता करने को तैयार नहीं थे और अब अगर पाकिस्तान इस समझौते को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं करता तो उन्हें भी पाकिस्तान का सही रूप नज़र आ जायगा। इस दृष्टि से भी यह समझौता ठीक है। इस समझौते के कारण बेशक हमें कुछ नुकसान उठाना पड़े परन्तु इसे पूरी निष्ठा से अमली रूप दिया जाना चाहिए। इन शद्वों के साथ ही मैं अपने प्रतिरक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्हें सुरक्षा सम्बन्धी किसी काम में ढील नहीं करनी चाहिए और सदैव जागरूक रहना चाहिए।

भारत के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान सेना के मुख्य सेनापति के बीच चर्चा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DISCUSSION BETWEEN CHIEF OF ARMY, INDIA AND C-IN-C PAKISTAN ARMY

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं सभा को यह सूचना देना चाहता हूं कि ताशकन्द समझौते के अनुसार, सेना कर्मचारियों को हटाने के लिए व्यवस्था करने हेतु, 9 और 10 फरवरी, 1966 को भारत और पाकिस्तान के सेना-अध्यक्षों के बीच रावलपिंडी में बातचीत हुई। ताशकन्द घोषणा की धारा 2 के अनुसार दोनों देशों को 25 फरवरी, 1966 तक अपनी अपनी सेनायें 5 अगस्त, 1965 से पूर्व की स्थिति तक हटानी चाहिए और युद्ध-विराम रेखा पर युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। 21 तारीख को जो व्यवस्था करना तय हुआ था उस के अनुसार दोनों देशों की सेनायें एक दूसरे के सामने से हट गयी हैं और रक्षा सम्बन्धी निर्माण दोनों ओर से गिराये गय हैं। दोनों सेना अध्यक्ष अब समहत हो गये हैं कि जम्मू और कश्मीर में सेनायें 1949 के कराची करार के अनुसार होंगी। सेना कर्मचारियों की संख्या कम करने का काम 1 एप्रैल, 1966 तक पूरा हो जायेगा। इस के फलस्वरूप युद्ध-विराम रेखा पर तनाव कम होगा और जो घटनायें होती रही हैं वे नहीं होंगी। कराची करार के अनुसार सेनायें कम करने से पिछले वर्ष जसी घटनायें फिर नहीं हो सकेंगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order. I have given a calling Attention notice on this question and I have been informed that it is under consideration. When that notice is under consideration, why he is making a statement now. This statement may be made at that time, when a discussion is raised on that Calling Attention notice. Moreover there is very this attendance in the House and as a other Members may also be interested in asking questions, the matter may be taken up on Monday.

उपाध्यक्ष महोदय : एक दिन में केवल एक ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जाता है। आज एक प्रस्ताव लिया जा चुका है। यह प्रस्ताव मंत्री महोदय को भेजा था और उन्होंने वक्तव्य दे दिया है। मैं एक या दो प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : भारत के सेनाध्यक्ष तथा पाकिस्तान के सेनापति के बीच हुए करार को संसद् तथा लोगों से गोपनीय क्यों रखा गया और यह खबर हमें रेडियो पाकिस्तान से ही क्यों मिली ? जब ताशकन्द घोषणा पत्र में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि सैनिकों की संख्या में 1949 तक की कमी की जाये, तो हम इस पर सहतम होकर पुन: देश पर खतरे को क्यों आमन्त्रित कर रहे है ? ताशकन्द घोषणा में तो केवल 5 अगस्त की स्थिति तक वापसी का प्रश्न निहित है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहले भाग के उत्तर में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सेनापति और भारत के सेनाध्यक्ष इस बारे में सहमत हुये थे कि लोगों को हम तथ्य की जानकारी 17 फरवरी को अर्थात आज दी जाये ।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने समझौता भंग कर दिया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन की भांति हम भी इस की जानकारी कल समाचारपत्रों को दे सकते थे, परन्तु हम ने सोचा कि संसद का अधिवेशन चल रहा है, इसलिए जानकारी पहले संसद को दी जाये । मैं स्वयं इस बारे में एक वक्तव्य देने का विचार कर रहा था ।

श्री हरि विष्णु कामत : पाकिस्तान ने इस का उल्लंघन क्यों किया ? कल रात पाकिस्तान रेडियों मे इसे प्रसारित किया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बात पर सहमति हुई थी कि इस का प्रसारण इस प्रकार किया जाय जिस से जनसाधारण को 17 तारीख को इस की सूचना प्राप्त हो सके ।

श्री हरि विष्णु कामत : रेडियो सार्वजनिक सेवा है और इस का प्रसारण कल रात किया गया था ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने इसकी घोषणा प्रात: की है ।

दूसरे प्रश्न के बारे में, हम समझौते में इस बात पर सहमत हुये है कि तनाव कम किया जाये, तनाव के कारणों को कम किया जाये तथा युद्ध-विराम के नियमों का युद्ध-विराम रेखा पर ही पालन किया जाये । अत: यह सब सेना की संख्या में कमी करके ही किया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक साथ पांच सदस्य खड़े है । आप बैठ जायें और जब तक मैं न बुलाऊं प्रश्न न पुछें । श्री मधु लिमये ।

Shri Madhu Limaye : Firstly I want to know whether Taskent Agreement contains some secret understandings that will be made public one by one. That is a vital question. Secondly our forces in Jammu and Kashmir are facing two dangers one from Pakistan and the other from China and in case our forces are reduced there, what would be its effect on our defence in Ladakh and whether our forces in Ladakh will also be reduced?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ताशकन्द समझौते का कोई भाग गुप्त नहीं है । वास्तव में इसे कार्यान्वित करने के लिये अनेक समझौते करने होंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : सेना की संख्या में कमी क्यों की जाये ? ताशकन्द समझौते में यह नहीं कहा गया है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करने को सहमत हुये है तथा इन शर्तों का पालन करने के लिये हमें अनेक कदम उठाने पड़ेंगे । (**अन्तर्बाधायें**)

दूसरे प्रश्न के उत्तर में लद्दाख में चीन से रक्षा के लिये रखी गई हमारी सेना पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

Shri Madhu Limaye : He has stated that forces has been withdrawn from Jammu and Kashmir. Then how is that it will not affect Ladakh? Ladakh is also a part of Jammu and Kashmir.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बरकपुर) : ताशकन्द घोषणा में दोनों सरकारों को सार्वजनिक माध्यम से ऐसी कोई बात विशेषत: झूठी बात जिससे तनाव बढ़े, कहने की मनाई की गई है । क्या सरकार कल पाकिस्तान रेडियो द्वारा प्रसारित दुर्भाग्य पूर्णतया झूठे वक्तव्य के बारे में जिस से तनाव में वृद्धि होगी, पाकिस्तान सरकार के साथ कोई कार्यवाही करेगी अथवा कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : वह वक्तव्य कौन सा है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह कि हम 1949 की रेखा पर वापस आ रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : 1949 की रेखा का प्रश्न नहीं उठता । दूसरे वक्तव्य के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जबतक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती, मैं वक्तव्य कैसे दे सकता हूं (**अन्तर्बाधायें**) मैं इस मामलों पर अवश्य ध्यान दूंगा ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Jammu and Kashmir is an integral part of India and it is entirely her responsibi ity and internal matter to defend its border. When it is not provided in Tashkent declaration that forces would be reduced to the position of 1949, why this reduction is being made ? then Do Government propose to handover any other part of Jammu and Kashmir to Pakistan, which has been agreed upon in Tashkent or thereafter in negotiations held her, though not in writing? Is it the first step of implementing those secret oral understandings ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कश्मीर के किसी भाग को पाकिस्तान को सोंपने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : उन मंत्री महोदय के विरूद्ध जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि काश्मीर का विभाजन किया जायेगा, कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कब तक चलेगा, शांति शांति ।

श्री मौर्य : वह ऐसे क्यों नहीं कहते कि यह सरकार की नीति है । मैं जानना चाहता हूं सरकार की नीति क्या है ? उन मंत्री महोदय के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति । मंत्री महोदय को अपना उत्तर समाप्त करने दी जिए ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह कोई एक पक्षीय निर्णय नहीं है । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये है कि 1949 में युद्ध-विराम के समय सेना की जितनी संख्या थी वही रखी जाये..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री हरि विष्णु कामत : उस समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तान को पहले आक्रमण से हथियाये गये क्षेत्र को खाली करना चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ताशकन्द घोषणा को क्रियान्वित करना हमारे हित में है । यदि माननीय सदस्य यह मान लें कि ताशकंद घोषणा सही रास्ते में सही कदम है तो बहुत सी शंकाये समाप्त हों जायगी । इसे क्रियान्वित करने के लिये अनेक निर्णय लेने होंगे ।

Shri Prakash Vir Shashtri : You have not understood my point. My point is that anyother power has got no right to take any decision about the military or police strength which we maintain in any part of our country which is under our possession by law. The question is that if we take any decision to withdraw our armed forces or reduce them at the instance of any other country or Pakistan, will it not amount that we are ourselves declaring Kashmir a disputed territory? (**Interruptions**)

Mr. Deputy Speakar : Order, Order.

Shri Kachhavaiya.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether Government of Jammu and Kashmir has been consulted in the matter before taking the decision? Suppose, Pakistan again launches an aggression it will take here only two hours to regain her present position and overpower us, while we require more time to reach there to face her challenge. Pakistan is definitely in a better position. Has this aspect been considered?

Shri Y. B. Chavan : Yes, Sir.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान सरकारके प्रवक्ता के उस अधिकृत वक्तव्य की ओर गया है जिस में कहा गया है।ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत घुसपैठियों का प्रश्न निहित नहीं है ? पाकिस्तान ने अभी तक घुसपैठियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सेना में 1949 की स्थिति तक कमी किये जाने के कारण घुसपैठियों का मुकाबला करने के लिये हमारी शक्ति में कमी नहीं आयगी, क्योंकि घुसपैठियों का खतरा अभी बना हुआ है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ताशकंद घोषणा पर सहमत होते समय हर पहलू पर विचार किया गया था । निसंदेह हम हर स्थिति का मुकाबला करने की स्थि ति में हैं..... (**अन्तर्बाधायें**)

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : I would like to know whether the question of reduction in the armed forces of India and Pakistan upto to the level of 1949 was raised at Tashkent. If so what is the number of army personnel belonging to India and Pakistan to be retained there?

श्री यशवंतराव चव्हाण : इस प्रश्न पर ताशकंद में विस्तार से विचार नहीं किया गया था। यह सब बातें समझौते को अमल में लाने पर पैदा हुई । वस्तुत: यह प्रश्न उस समय उठा जब दोनों सेनाध्यक्षों की बैठक हुई। क्योंकि उन्हें सेना के आकार तथा उन की स्थिति के बारे में निपटारा करना था। अत: उक्त प्रश्न 1949 के युद्ध विराम समझौते की दृष्टि से अधिक संगत है। इसी संदर्भ में हमें इस प्रश्न पर विशेष विचार..... (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : और प्रश्न पूछने को अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया।

श्री अ० प्र० शर्मा : आपने विरोधी पक्षों के सदस्यों को बहुत प्रश्न पूछने का अवसर दिया है, जब कि कांग्रेस दल के सदस्यों को केवल एक ही प्रश्न पूछने का अवसर दिया गया । कांग्रेस दल के 350 सदस्य हैं..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं जानना चाहता हूं कि इस समझौते के अन्तर्गत क्या तथाकथित आजाद काश्मीर के पारा सैनिक भी आते है जिन की संख्या बहुत है, तथा क्या उन्हें भी वापस हटाया जायेगा या वे वहीं रहेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस में पारा सैनिक भी शामिल हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं.....

श्री स० मो० बनर्जी : क्योंकि वह चिल्ला रहे है इसलिये आप उन्हें अवसर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस दल के 350 सदस्य हैं। मैं उन्हें केवल दो प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : इस का कोई प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : और प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी जायेगी। श्री शर्मा

श्री स० मो० बनर्जी : आप का बर्ताव भेदभाव पूर्ण है। आप किसी सदस्य की स्वतन्त्रता का हनन कैसे कर सकते हैं। मैं आप के निर्णय के विरूद्ध सभा-भवन से उठ कर जाता हूं।

इसके पश्चात् श्री स० मो० बनर्जी सभा से उठ कर चले गये।

Shri S. M. Banerjee then left the House.

Shri A. P. Sharma : Past experience shows that Pakistan's attitude is not trus tworthy and the fact has been confirmed by President Ayub Khan's statement regarding Kashmir even after Tashkent declaration. May I know how Government will ensure that Pakistan has reduced her armed forces to the level of 1949?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षक प्रमाणित करेंगे। मेरे वक्तव्य में भी यह कहा गया है।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या किसी नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री प्रिय गुप्त : नियम 47 का उल्लंघन किया गया है। 1949 की स्थिति पर लौटने का अर्थ क्या यह होगा कि सेना की संख्या को तथा उन्नत सैनिक शस्त्रों को कम किया जाये अथवा समाप्त कर दिया जाये ? क्या इस का अर्थ यह होगा कि 1949 के बाद प्राप्त सब उन्नत तथा मशीनीकृत हथियारों का त्याग किया जाये ?

मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नियम यहां लागू नहीं होता। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सतहत्तरवां प्रतिवेदन

Seventy-Seventh Report

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 77 वें प्रतिवेदन से, जो 15 फरवरी, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

हिंदु विवाद (संशोधन) विधेयक, 1966 (धारा 13 का संशोधन)
HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF SECTION 13)

श्री दी० चं० शर्मा : (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में आगे संशोधन करनेवाले विधेयक को पूरःस्थापित करने कि अनुमति दीं जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 152,370 आदि का हटाया जाना)
CONSTITUTIONAL (AMENDMENT) BILL, 1966(COMMISSION OF ARTICLES 152, 370 ETC

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Prakash Vir Shastri : I introduce the Bill.

अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1966
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 1966

Shri Krishan Deo Tripathi (Unnao) : I beg to move.

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Aligarh Muslims University Act, 1920".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Kirshna Deo Tripathi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 1 तथा 393 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF ARTICLES 1 AND 393

Shri Krishna Deo Tripathi (Unnao) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Krishna Deo Tripathi : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (सप्तम अनुसुची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF THE SEVENTH SCHEDULE)

Shri Krishna Deo Tripathi (Unnao) : I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Krishna Deo Tripathi : I introduce the Bill.

गोवध रोक विधेयक, 1966

THE PREVENTION OF COW SLAUGTHER BILL, 1966

Shri Hukam Chand Kachhvaiya (Dewas): I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill to prevent the slaughtering of cows in India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I introduce the Bill.

सांप्रदायिक शिक्षा संस्थायें (सहायता बन्द करना) विधेयक, 1966

THE DENOMINATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (DISCONTINUANCE OF AID) BILL, 1966

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि धार्मिक, साम्प्रदायिक अथवा मतो पर आधारित नामों वाली शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता बन्द करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

डा० महादेव प्रसाद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1966 (धारा 5 का संशोधन)

THE HINDU MARRIAGE (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF SECTION 5)

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

डा० महादेव प्रसाद : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक 1966, (अनुच्छेद 31 का संशोधन)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF ARTICLE 31)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF ARTICLE 16)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/*The motion was put and adopted.*

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 22 तथा 32 संशोधन और अनुच्छेद 359, का हटाया जाना)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF ARTICLES 22, 32 AND OMISSION OF ARTICLE 359)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ/

The motion was put and adopted.

Shri Madhu Limaye : I beg to introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 83 और 172 का संशोधन)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF ARTICLES 83 AND 172)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ / *The motion was put and adopted.*

Shri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1966 (अनुच्छेद 352 का संशोधन)

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1966 (AMENDMENT OF ARTICLE 352)

श्री हरि विष्णु कामत : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करनेवाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ / *The motion was put and adopted.*

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजद्रोह विधेयक, 1966

THE TREASON BILL, 1966

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur) : I beg to move:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for punishment to persons found guilty of treason and matters connected therewith".

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।/ *The motion was put and adopted.*

Shri M. L. Dwivedi : I introduce the Bill.

अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक—जारी

(नई धारा 3क का रखा जाना)

ALL INDIA SERVICES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(INSERTION OF A NEW SECTION 3 A)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चपलकान्त भट्टाचार्य द्वारा 3 दिसम्बर 1965, को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर सभा आगे विचार करेगी :

[उपाध्यक्ष महोदय]

"कि अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री च० का० भट्टाचार्य अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : महोदय, पिछली बार जब विधेयक पेश किया गया था तब मुझे केवल प्रस्ताव पेश करने का समय प्राप्त हुआ था। अब मैं सभा के सामने इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों का संक्षिप्त विवरण रखता हूं।

वरिष्ठ पदाधिकारियों में सेवा से निवृत होने के पश्चात गैर सरकारी फर्मों अथवा समवायों में उच्चवेतन क्रमों पर नौकरी करने की प्रवृति बढ़ती जा रही है। वे अधिकारी, जो पहले महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके होते हैं, प्रशासन पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, और उन समवायों के लिये, जिन में वे पद धारण करते हैं, उन फर्मों के लिए महत्वपूर्ण रियायतें प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद गैर सरकारी नौकरियां प्राप्त करने से न केवल लोक सेवाओं की नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह सामाजिक नैतिकता तथा आचरण के मूल सिद्धान्तों के भी विरुद्ध है। अतः इस प्रथा को रोकने तथा इसके लिये दण्ड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाये तथा धारा 3 के बाद धारा 3 क जो निम्न प्रकार हो जोड़ दी जाये :

"कि केन्द्रीय सरकार जम्मू तथा काश्मीर सहित अन्य सम्बन्धित राज्यों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी"।

इसके बाद मैं एक खण्ड जोड़ना चाहता हूं जिसके अनुसार किसी भी अखिल भारतीय सेवा से निवृत अधिकारी को जिस में इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, सेवा निवृति के बाद किसी गैर सरकारी समवाय में किसी भी रूप में अवैतनिक तथा अन्यरूप में, नौकरी करने की अनुमति नही दी जायेगी।

यह एक बहुत नाजुक मामला है क्योंकि इससे देश के नागरिकों के रोजी कमाने के उन अधिकारों पर रोक लगाई गई है, जो उन्हें सामान्यतया प्राप्त हैं। यदि स्थिति विवश नही करती तो मैं यह विधेयक सभा के सामने नही लाता। वास्तव में इसका अभिप्राय सन्थानम समिति द्वारा दिये गये सुझाव को क्रियान्वित करना है। समिति ने अपना यह दृढ़ मत व्यक्त किया है कि ऐसे प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से जनता को इस सम्बन्ध में चिन्ता होती जा रही है, क्योंकि जब से हम स्वाधीन हैं तब से हम देखते हैं कि सरकारी सेवा से निवृत होने के पश्चात् कई उच्च पदाधिकारियो ने गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करना प्रारम्भ कर दिया है। सेवा निवृति से पूर्व वे वरिष्ठ अधिकारी जो न केवल सरकारी सेवा में होते हैं, बल्कि जिन के हाथमें निर्णयात्मक शक्ति होती है, यदि सेवा निवृति के बाद फर्मों में नौकरी करे तो लोक-नैतिकता का प्रश्न उठता है।

जैसा कि मैंने बताया यह मामला कई सालों से जनता के लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। संसद में यह प्रश्न कई बार उठाया गया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरु भी इस मामले के बारे में जागरुक थे, और इसी कारण से 1962 में मंत्रिमण्डल सचिवालय ने एक परिपत्र जारी किया था जिस में यह सूचित किया गया था कि प्रधान मंत्री प्रशासन तथा गैर सरकारी फर्मों की सेवा में सरकारी सेवा-निवृत कर्मचारियों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध को ठीक नहीं समझते। इस परिपत्र में विशेषतः कुछ ऐसे मंत्रालयों का जैसे वाणिज्य, उद्योग, भारी उद्योग, खान, इंधन, वित्त और रेलवे आदि का उल्लेख किया गया था, जिन का जनता से घनिष्ट सम्पर्क होता है और जिन के माध्यम से वे व्यक्ति अनुचित लाभ उठा सकते हैं।

सन्थानम् समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों पर सेवा से निवृत होने के बाद 2 वर्ष पश्चात् तक गैर-सरकारी वाणिज्यिक तथा औद्योगिक फर्मों में नौकरी करने पर रोक लगाई जानी चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने सन्थानम समिति की सिफारिशों पर विचार किया है। परन्तु सरकार कहां तक इसे क्रियान्वित करने का निर्णय ले चुकी है, अथवा इसे किस रुप में क्रियान्वित किया जायेगा, इसकी क्रियान्विति में कोई संवैधनिक अड़चन है अथवा नहीं इस का मुझे ज्ञान नहीं है। वास्तव में यह विधेयक ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता की ओर सरकार तथा जनता का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह प्रतिबन्ध किस रुप में लगाया जाना चाहिये इसका निर्णय करना संसद् तथा सरकार का काम है।

यह अच्छा होता यदि सरकारी पदाधिकारी स्वयं एक ऐसी परम्परा और परिपाटी बना लेते जिसके अनुसार सेवा निवृत्त होने के पश्चात वे गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरियों को स्वीकार न करें। न्यायालयों के न्यायधीशों में यह परम्परा है कि वे सेवानिवृत होने के बाद कोई नौकरी स्वीकार नहीं करते, यही परम्परा उन वरिष्ट पदाधिकारियों को बनानी चाहिये।

वह तो एक संकेत है कि कोई प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है ताकि सेवानिवृति के बाद लोग गैर-सरकारी हितों के साथ संपर्क में न आयें और प्रशासनों से उनके लिये अनुचित फायदा न उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Mr. Deputy Speaker, Sir, our Country is a democratic country and if we want to strengthen our democracy our Government employees, judges and even Members of Parliament should be above suspicious. A bad tendency is developing in our country of offering high posts to the retired judges and other high officers. If that continues, even the judges of the Supreme Court will not be able to discharge their duties judiciously. They will always try to win favour of the President and the Prime Minister.

Human nature occupies an important place in a democratic set up. Not to speak of human beings, even the gods are not immune from the lurement of wealth. Therefore, the acceptance of employment after retirment should be barred by law. At this time the corruption is at its highest in this Country. The high officials get employment after their retirement in those firms to which they had shown favour while in service. There we must remove the suspicion from all classes of traders and businessmen that they are not getting justice from Government Departments. The Judiciary of England is topmost in the world and the reason for this is that. The judges there do not get employment after their retirement they keep themselves isolated from the public. In this matter we should emulate this example of England.

With these words I welcome this Bill.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I rise to support this Bill. It is true that the judges and other high officials of the Government should not be permitted to seek employment after retirement. Now, the question is that they should be given substantial pension so that they can have an honourable living. If they are ven meagre sums, they will naturally be forced to seek employment.

At present the evil of nepotism and favouritism is rampant in the machinery of the Government. The tendency of giving extensions after 58 should be discouraged. We should give more chance to our young talents.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है..... अब गणपूर्ति है । श्री दी० चं० शर्मा ।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए ।
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair.*]

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । सेवा मुक्ति की आयु पहले 55 वर्ष थी जिसे बढ़ा कर अब 58 वर्ष कर दिया गया है । मेरी अपनी राय यह है कि सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों के लोगों में 58 या 60 वर्ष की आयु के बाद मानसिक और शारिरिक शक्ति नहीं रहती और वे बहुत उपयोगी नहीं रहते । इसलिये हमें सेवानिवृत्त को व्यक्तियों अच्छी पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे आराम से जीवन निर्वाह कर सकें और उन्हें नौकरी के लिये इधर उधर न भागना पड़े ।

नौकरी पेशा लोगों में एक यह प्रवृत्ति है कि वे जीवन के अन्तिम खास तक वेतन लेना चाहते हैं । वे एक के बाद दूसरी नौकरी प्राप्त करते रहते हैं । स्वतन्त्र भारत के लिये यह कोई अच्छी निशानी नही है । शिक्षा सवा के उच्च अधिकारी सेवा मुक्ति के बाद प्रकाशन फर्मों के एजेंट बन जाते हैं । पुलिस अधिकारी सेवा मुक्ति के बाद बड़ी मिलों में श्रम कल्याण अधिकारी का पद प्राप्त कर लेते हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घन्टी बजाई जा रही है .....अब गणपूर्ति है । श्री शर्मा ।

श्री दी० चं० शर्मा : ये उच्च अधिकारी जिस समय सेवा में होते हैं तो उनकी आंख ऐसी नौकरी पर होती है जिसे वे सेवामुक्ति के बाद प्राप्त करना चाहते हैं । मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने राजदूत के पद से सेवामुक्ति के बाद एक वाणिज्यिक फर्म में नौकरी की और वहां नौकरी पूरी करने के बाद अब वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो गये हैं ।

मैं नहीं समझता कि इस विधेयक के मार्ग में कुछ सांवैधनिक अड़चने हैं । सरकार समय समय पर नियमों में परिवर्तन करती रही है । और इस विधयक में भी केवल नियमों में परिवर्तन करने की ही बात है ।

Shri Balmiki (Khurja) : Mr. Chairman, I welcome the measure presented by Shri C.K. Bhattacharya with a view to eradicate corruption several measures are being taken. The senior officers are occupying key posts in the Government. While in service they have contacts with the private firms for getting employment after retirement we have also to maintain secracy of the administration. These officer during their tenure of service try to oblige the private firms with a view to get benefit from them after retirement.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

Mr. Chairman : The bell is being rung..... Now there is a quorum. The hon. Member may continue.

Shri Balmiki : These officers take undue advantage of their positions. Even after their retirement, these officers continue to have relations with their departments. and exert their influence. This is a bad tendency and it should be discouraged. After the age of 60, a man becomes weak, both physically and psychologically. Some check should also be exercised upon them for preventing them from entering into politics. With these words I support this Bill.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Chairman, I congratulate Shri Bhattacharya for this excellent Bill. But the military pensioners, engineers and doctors should be exempted from the application of this Bill. There is great shortage of these people and we need them badly. The giving of extensions to the I.C.S., I.P.S. and I.A.S. officers should be discouraged because by doing so we deprive our young talents from availing of the apportunities. Now the retirement age is going to be increased by two more years. We have got good brains in our younger generations, but efforts are not made to utilise their genious.

I hope Shri Bhattacharya will not withdraw this Bill and the hon. Minister will not press him for doing so.

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है, परन्तु इसको सही रूप नहीं दिया गया है। सभी पहलुओं पर विचार करके एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये। अखिल भारतीय सेवाओं में इंजीनियरी सेवा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा हैं। कृषि और शिक्षा आदि सेवाओं में अखिल भारतीयसेवाओं में शामिल किया जा रहा है। यदि किसी फर्म के किसी संगठन में अनुसन्धान काय होता है, और यदि अखिल भारतीय सेवा का कोई सेवामुक्त सरकारी कर्मचारी उसमें काम करता है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कठिनाई होगी और विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमें यह देखना है कि वह व्यक्ति कम्पनी के कर्मचारी के रूप में सरकार पर कम्पनी के लिये अपना प्रभाव न डाले।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों महान्यायवादी के संबंध में हमारे संविधान में सरकारी सेवा करने पर रोक और प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, परन्तु गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करने के संबंध में उनपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन सब बातों को नये विधेयक में शामिल करना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है..... अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य जारी रखें।

श्री ब० कु० दास : यदि कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति से थोड़ा पूर्व अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो यह भी एक अवांछनीय बात है और हमें इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिये।

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Chairman, Shri Yashpal Singh spoke of giving exemption to certain category of officers. In a socialistic pattern of society we cannot do that the like should be treated alike. All the big industries of this country should be nationlised. That is the only solution of the problem. If that is done nobody will seek employment after retirment. We have forgotton our old traditions and we are too much after wealth. We have diverted our attention from spiritualism. When nationalisation is done all these suspicious about the integrity of the Government employees will be removed.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है.... अब गणपूर्ति है।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : श्रीमन् यह विधेयक किसी हद तक सन्थानम समिति की शिफारिशों पर आधारित है। हमने इन सिफारिशों को महान्यायवादी और विधि मंत्रालय को उनकी मन्त्रणा के लिये भेजा था और उन्होंने कुछ सांवैधानिक कठिनाइयां बताई हैं।

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

इस संबंध में वर्तमान स्थिति पर है वर्तमान कानून के अन्तर्गत आई० सी० एस०, भारत प्रशासनिक सेवा और भारत पुलिस सेवा का कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष बाद तक सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना किसी गैर-सरकारी फर्म में नौकरी नहीं कर सकता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है... अब गणपूर्ति है। माननीय उपमंत्री जारी रखें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उच्चतम न्यायालय ने कामेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामल में यह निर्णय दिया है कि सरकारी कर्मचारी भी आधारभूत अधिकारों के लिये उतने ही हक़दार हैं जितने कि अन्य नागरिक।

विधि मंत्रालय ने भी ऐसा ही मत प्रकट किया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई व्यवसाय करने पर उचित प्रतिबन्ध तो लगाय जा सकते हैं, परन्तु उसको हम इस अधिकार से पूर्णतया वंचित करना सर्वथा अनुचित होगा।

हमने इस मामले में निर्णय कर लिया है और वह यह है कि वर्तमान नियमों का ही सख्ती से पालन किया जाना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों से पुनः नौकरी करने के लिये जो आवेदनपत्र प्राप्त हों उन पर निरपेक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिये। आवेदन पत्रों पर विचार करने के संबंध में हमने कुछ नियम बनाये हैं। वे नियम बहुत उचित हैं। यदि इन नियमों के अनुसार आवेदनपत्रों पर विचार किया जाये तो मुझे विश्वास है कि कोई शिकायत की गुंजाइश न रहेगी।

सन्थानम समिति के प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद 14 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से एक को छोड़ कर सब को अस्वीकार कर दिया गया था। इससे पता चलता है कि सरकार प्रतिवेदन की सिफारिशों का कितनी सख्ती से पालन कर रही है।

कुछ माननीय सदस्योंनें सनिक सेवा, डाक्टरों आदि का जिक्र किया। इसका विधेयक का सैनिक सेवा से कोई संबंध नहीं है; इसका संबंध तो केवल केन्द्रीय सेवाओं से है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को वापस ले लेंगे।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने का मेरा उद्देश्य सरकार तथा सेवाओं के ध्यान को इस विषय पर केन्द्रित करना था। यह मेरे इस विधेयक का उद्देश्य असैनिक सेवा को बिल्कुल दोष रहित करना है। सर थोमस हालैंड को, जो कि लार्ड चेम्बरलेन की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे, परिषद से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने किसी व्यापारी के साथ सरकार को धोखा देने की साज़िश की थी सारी असैनिक सेवा ने इसका विरोध किया, परन्तु लार्ड चेम्बरलेन अपनी बात पर डटे रहे। सरकार के हित में असैनिक सेवा का इमानदार होना अत्यन्त आवश्यक है।

इस विधेयक में सेवाओं से अपना कार्य अच्छी तरह करने के लिये अपील की गई है। यदि सरकार इस विषय पर ध्यान दे रही है तो मुझे इस विधेयक को वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।/*The Bill was, by leave, withdrawn.*

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1962

(धारा 92 का संशोधन)

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT), BILL 1962.

(Amendment of Section 92)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । जब भी कोई गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक आता है, सरकार उसके मार्ग में बाधा बन कर खड़ी हो जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है । अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 21 फरवरी, 1966/2 फाल्गुन, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday February, 21, 1966/ Phalguna 2, 1887 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि 6—20 लोक सभा 66—6-6-67—600.